पंचम माला, खंड 63, अंक 2, बुधवार, 11 अगस्त, 1976/20 श्रावण, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LXIII, No 2, Wednesday, August 11, 1976/ Sravana 20, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सत्रहवां सत्र
Seventeenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 63 में अंक 1 से 10 तक ह
Vol. LXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 2, बुधवार, 11 अगस्त; 1976/20 श्रावण, 1898 (शक)

No. 2, Wednesday, August 11, 1976/Sravana 20, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23 और 25 से 30	Starred Questions Nos. 21 to 23 and 25 to 30 . . .	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 24 और 31 से 40 . . .	Starred Questions Nos. 24 and 31 to 40 . .	19—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 149, 151 से 187, 189, 190 और 192 से 293	Unstarred Questions Nos. 149, 151 to 187, 189, 190 and 192 to 293	25—98
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	98—107
संसदीय समितियां	Parliamentary Committees—	
कार्य सारांश—सभा पटल पर रखा गया ।	Summary of work—laid	107
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	108
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	108
याचिका समिति—	Committee on Petitions—	
32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Thirty-second Report presented.	109
समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	
राजभाषा समिति	Committee on Official Language . . .	109
राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी संकल्प	Motion *re*. National Policy for Children—	
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	109—112
दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियम) विधेयक—	Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill	112—124

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider	
श्री शाह नवाज खां	Shri Shahnawaz Khan. . .	112-13,117-18
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	113-14
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . . .	115
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	115
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	115-16
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	116
श्री नाथूराम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	116
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey	116-17
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	117
श्री राजदेव सिंह	Shri Rajdeo Singh	117
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	117
खण्ड 2 से 73 और 1	Clauses 2 to 73 and 1	119-24
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री शाह नवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	124
संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—	Government of Union Territories (Amendment) Bill—	124-27
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	124-5
श्री एम० कतामुतु	Shri M. Kathamuthu	125
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	125
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi	126
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1—	126-27
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
श्री ओम मेहता	Shri Om Mehta	127
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—	127-32
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	127-28
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	129-30
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	130-31
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma.	132

लोक सभा

LOK SABHA

बुधवार, 11 अगस्त, 1976/20 श्रावण, 1898 (शक)

Wednesday, August 11, 1976/*Sravana* 20, 1898 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SRPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWER TO QUESTIONS

समाचार संगम के लिये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का मंत्री-स्तरीय सम्मेलन

+

*21. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार संगम की स्थापना के लिये हाल ही में नई दिल्ली में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का मंत्री स्तरीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुख्य मामलों पर विचार-विमर्श हुआ और उन पर क्या निर्णय लिये गये ; और

(ग) इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

समाचार एजेंसी संगम के बारे में गुट निरपेक्ष देशों का मंत्री-स्तरीय सम्मेलन

प्रैस एजेंसी संगम के बारे में गुट निरपेक्ष देशों का मंत्री स्तरीय सम्मेलन 8 से 13 जुलाई, 1976 तक नई दिल्ली में हुआ था ।

2. प्रैस एजेंसी संगम के बारे में गुट-निरपेक्ष देशों में मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में सूचना के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों के सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया था । सम्मेलन के मुख्य निर्णय ये थे :—घोषणा को पास करना जिसमें और बातों के साथ-साथ

कोलम्बो शिखर सम्मेलन से यह सिफारिश की गई है कि वह सूचना के क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए लिये गये निर्णयों का पुनरीक्षण करने के लिए एक अन्तर-सरकारी समन्वय परिषद् गठित करे। गुट-निरपेक्ष देशों के प्रैस एजेंसी संगम का गठन और संगम को चालू करने के लिए समन्वय समिति की स्थापना ; जन सम्पर्क के विभिन्न माध्यमों के क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष देशों के बीच आगे सहयोग के लिए एक कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करना ; गुट निरपेक्ष देशों के बीच दूर संचार सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करना और संचार के द्रुत और मितव्ययी साधन सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाना ; और गुट निरपेक्ष देशों के देश या सरकार के प्रमुखों के आगामी शिखर सम्मेलन की घोषणा में शामिल करने के लिए पैरा ग्राफों का प्रारूप तैयार करना।

3. सम्मेलन में निम्नलिखित देशों ने भाग लिया :

सदस्य : अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेन्टीना, बहराइन, बंगला देश, भूटान,, बोत्स्वाना, बुरुण्डी, साइप्रस, क्यूबा, कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य, वियतनाम समाजवादी गणराज्य, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य, मिश्र, ईथापिया, गाम्बिया, घाना, गियाना गुयाना, भारत, इंडोनेशिया, ईराक, जैमाइका, जोर्डन, कीनिया, कुवैत, लाओ जन समाजवादी गणराज्य, लाइबेरिया, लीबियाई अरब गणराज्य, मलयेशिया, माल्टा, मारिशस, मोराक्को, मोरिटानिया, मोजम्बीक, नेपाल, नाइजर, नाइजेरिया. ओमान, पी० एल० ओ. पैरू कातर. सेनेगल, सोमालिया, श्रीलंका, सूडान, स्वाजीलैंड सीरियाई अरब गणराज्य, तोगो, त्रिनिडाड और तोबागो, ट्यूनिसिया, उगांडा, संयुक्त अरब अमीरात तंजानिया संयुक्त गणराज्य, येमन, यूगोस्लाविया, जेरे, जाम्बिया।

प्रेक्षक : इक्वेडोर, मैक्सिको, वेनेजुस्ला, अफ्रीकी एकता संगठन, अरब राज्यों की लीग, अफ्रो-एशियाई जन एकता संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : इस सम्मेलन तथा उसमें प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का गुट-निरपेक्ष देशों के इतिहास में विशेष स्थान रहेगा। इस कार्य में हमारी सरकार ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उसके लिए वह सदन की बधाई की पात्र हो सकती है। परन्तु पश्चिमी देशों द्वारा इस सम्बन्ध में जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, उनसे तो स्पष्ट रूप से यह लगता है कि अब पश्चिमी समाचार एजेंसियों का अधिपत्य खतरे में पड़ गया है। अतः मैं इस सम्बन्ध में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस संगम द्वारा अपना कार्यकरण कारगर ढंग से करने तथा उसके द्वारा पश्चिमी देशों की विकसित प्रौद्योगिकी तथा संगठन के साथ मेल खाने की दृष्टि से कार्यकरण करवाने हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ? क्या इस संगम के माध्यम से केवल गुट-निरपेक्ष देशों के बीच ही समाचारों का आदान प्रदान होता रहेगा या यह संगम पश्चिमी देशों में भी अपने केन्द्र स्थापित करेगा जिनके माध्यम से गुट-निरपेक्ष देशों को पश्चिमी देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके तथा वह उनके बारे में भी सच्चाई जान सकें क्योंकि अभी तक उन्हें इस कार्य के लिए पश्चिमी देशों पर ही निर्भर करना पड़ता है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम पश्चिमी देशों की चिंता को भलीभांति समझते हैं। यद्यपि इस सम्मेलन में संगम का गठन करने सम्बन्धी निर्णय का उद्देश्य पश्चिमी देशों के साथ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करना नहीं था और न ही हम अपने लिए कोई अलग समाचार एजेंसी स्थापित करना चाहते थे अपितु इसका उद्देश्य तो केवल गुट-निरपेक्ष देशों के लिए किसी ऐसी माध्यम व्यवस्था

करना था जिससे कि न केवल एक दूसरे के बारे में तथात्मक जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सके बल्कि एक दूसरे देश में घट रही घटनाओं को बिना किसी तोड़-मरोड़ के, सही रूप में जाना जा सके क्योंकि आजकल हमें तोड़े-मरोड़े समाचार प्राप्त हो रहे है। इस सम्बन्ध में को जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है। हम इस सम्बन्ध में शीघ्र ही होने वाले शिखर सम्मेलन में लिये जाने वाले निर्णयों व प्रस्तावों के अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि शीघ्र ही श्रीलंका में इसका एक अन्य सम्मेलन होने वाला है। माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि इस सम्बन्ध में एक समन्वय समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है। इस समिति का अध्यक्ष "समाचार" का प्रतिनिधि ही होगा। सम्मेलन के समाप्त होने से पहले ही इस समिति की एक बैठक दिल्ली में हुई थी। कोलम्बो शिखर सम्मेलन के बाद इस समिति की एक अन्य बैठक होगी जिसमें अनेक ऐसे विषयों के बारे में निर्णय किया जायेगा, जिनके बारेमें विचार किया जा चुका है और सम्भवतः समन्वय समिति अपनी अगली बैठक से पूर्व ही उनके बारे में निर्णय कर लेगी। जहां तक संचार तथा प्रोद्यागिकी का सम्बन्ध है, इसके बारे में तो माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि सम्मेलन में इस कार्य के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था। इस समिति की बैठक कुछ ही सप्ताहों के बाद बगदाद में होने वाली है। भारत इस समिति का सदस्य है और इस समिति में संचार सुविधाओं के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले माध्यमों तथा संचार की आदान-प्रदान सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के साथ-साथ टैरिफ व केवल दरों आदि के मानकीकरण के बारे में विचार किया जायेगा। अतः अनुवर्ती कार्यवाही बहुत सशक्त तथा सुचारू रूप से की जा रही है और मैं माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दिला सकता हूं कि सम्मेलन में आरम्भ की गई कार्य सम्बन्धी अनुवर्ती कार्यवाही समन्वय समिति द्वारा पूर्ण तत्परता से की जा रही है।

हमें आशा है कि शीघ्र होने वाले शिखर-सम्मेलन में इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश तथा मार्ग-दर्शन प्राप्त हो जायेंगे।

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में लिये जाने वाले निर्णयों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा और उन संभावित निर्णयों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा जो कि इस चर्चा के फलस्वरूप लिये जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : संभावित निर्णयों के बारे में वह क्या बता सकते हैं। जहां तक पहले उठाये गये कदमों का संबंध है, उसके बारे में उन्होंने बता ही दिया है।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय को बधाई देते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी देशों द्वारा चलायी जा रही न्यूज एजेंसियां इस गुट निरपेक्ष क्लब की सदस्य नहीं है और अब भी भारतीय समाचार उन एजेन्सियों से समाचार ले रहे हैं और यदि हां, तो वह यह समाचार लेना कब तक बन्द कर देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस प्रश्न का सरकार के कार्यकरण से कोई संबंध नहीं। 'समाचार' ने अन्य समाचार एजेंसियों के साथ जो करार किये हैं वह अपनी इच्छानुसार ही किये हैं। हमें हाल ही में यह बताया गया था कि समाचार ने अमरीका की "यूनाइटेड प्रैस इन्टरनेशनल" के साथ अपना करार तोड़ लिया है। यदि मेरी जानकारी ठीक है तो हाल ही में 'समाचार' ने फांस या जर्मनी की न्यूज एजेंसी के साथ भी अपना करार तोड़ लिया है। 'समाचार' द्वारा संभवतः ऐसा इसलिये किया

जा रहा है कि उनके पास और अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था है या उसके उन देशों के साथ सीधे संबंध हैं जिनके पारस्परिक मामलों को वह प्रचार करना चाहते हैं। अतः मेरा यह विश्वास है कि 'समाचार' इस समस्या से भलीभांति अवगत है और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस सम्बन्ध में कदम उठाता रहेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस कार्य के लिये बधाई..

श्री राम सहाय पांडे : बधाई तो मैं उन्हें पहले दे चुका हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं भी आपके साथ शरीक होता हूं। पी० टी० आई० कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते मुझे इस सम्मेलन की बैठकों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और जहां तक मैं समझ पाया हूं गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधि पश्चिमी देशों द्वारा उनके विरुद्ध किये जा रहे प्रचार से चिंतित हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या 'समाचार' के पास 'रियूटर' जैसी कोई अन्तर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है जिसके माध्यम से पश्चिमी देशों द्वारा हमारे तथा अन्य गुट निरपेक्ष देशो के विरुद्ध किये जा रहे प्रचार का खण्डन किया जा सके।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहां तक मुझे मालूम है कि 'समाचार' का भी एक अन्तर्राष्ट्रीय विंग है और उसके प्रतिनिधि विश्व के विभिन्न भागों में है। परन्तु हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि वह अपने ब्यूरो विश्व के अन्य भागों में भी स्थापित करने का प्रयत्न करें। जैसाकि पश्चिम एशियाई देश, अफ्रीकी तथा लातीनी अमरीकी देश अन्य क्षेत्र हैं जहां कि हमारी व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। परन्तु इसके लिये केवल मात्र अच्छी वित्तीय स्थिति कि ही नहीं अपितु अच्छे संगठन की भी आवश्यकता है और अच्छे संगठन से मेरा तात्पर्य इस कार्य के लिये अपेक्षित संवाददाताओं से है। 'समाचार' इस मामले से भली भांति परिचित है और मुझे आशा है कि वह लोग इसके लिये अपेक्षित योजना प्रस्तुत करेंगे। यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हुई तो हम भी उनका अनुरोध प्राप्त होने पर उसका अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे।

एक समान जेल सुधार

***22. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यो में एक समान जेल सुधार करने के लिए लम्बे अस से चली आ रही मांग पर कोई विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां। श्रीमान्।

(ख) यह राज्य का विषय होने के कारण भारत सरकार राज्यों के प्रयास में केवल मार्गदर्शन कर सकती है और समन्वय स्थापित कर सकती है। तदनुसार अतीत में विभिन्न विशेषज्ञ दलों को समस्याओ की जांच करने के कार्य में लगाया गया था और उनकी सिफ़ारिशें कार्यान्वियन के लिए सभी राज्यो को परिचालित की गई थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विभिन्न राज्यों में जेलों की दशा पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियां और कार्यकारी दल स्थापित किये गये थे और अनेक सिफ़ारिशें भी की गई थीं, परन्तु

मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है कि जेलों सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति क्या होनी चाहिये और क्या उन्होने उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे में सोचा है ताकि राज्य भी ऐसा कर सकें ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य जेलों की दशा को सुधारना और कैंदियों को सही रास्ते पर लाने और उनके पुनर्वास के महत्व पर जोर देना है । इस विषय पर राज्यों द्वारा विचार किया जा रहा है परन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य बाधा संसाधनों का अभाव है । अतः हमने राज्यों में जेलों का सुधार करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि नियत करने का प्रस्ताव रखा है, परन्तु यह वित्त मंत्रालय के अनुमोदन पर निर्भर करता हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं । इसका अर्थ यह हुआ कि प्राप्त हुई सिफ़ारिशों के बावजूद भी सरकार के पास जेलों सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है । इस बीच जेलों में खाद्य सप्लाई और साक्षात्कार,आसुंका कैदियों सहित कैदियो के सम्बन्धियों को पत्र भेजने सम्बन्धी सुविधा जैसी अन्य सुविधाओं की दशा और अधिक खराब हो गई है । वे इतनी अधिक बिगड़ गई हैं कि कैंदियों को भूख हड़ताल करनी पड़ी । हाल में ऐसी भूख हड़तालें अलीपुर सेन्ट्रल जेल और प्रेसीडेन्सी जेल में एक महीने से अधिक समय तक चलीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि और सम्बन्धित राज्य सरकारों को कोई सुझाव भेजे हैं क्योंकि उनके उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण कैदी अनावश्यक रूप से कष्ट उठा रहे हैं और हालत दिन प्रति दन बिगड़ती जा रही है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं जेलों की खराब दशा के बारे में अपने माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं । जेलों की दशा सन्तोषजनक है परन्तु सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है ।

जेलों सम्बन्धी कार्यकारी दल ने कुछ सिफ़ारिशें की हैं और उन्हें राज्य सरकारों के पास भेजा गया है । लगभग सभी राज्य सरकारों ने उन्हें स्वीकार किया है परन्तु मुख्य बाधा संसाधनों का अभाव है । हम वित्त मंत्रालय का अनुमोदन लेकर उन्हें कुछ धनराशि उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं । धन के मिलने पर सब ठीक हो जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने पश्चिम बंगाल जेल में भूख हड़ताल के बारे में प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । क्या वहां भूख हड़ताल हुई थी ?

श्री एफ० च० मोहसिन : कलकत्ता में भूख हड़ताल हुई थी और यह 4-8-1976 को बिना शर्त के वापस ले ली गई ।

श्री न्द्रजीत गुप्त : किन मुद्दों पर ? क्या यह किसी समझौते के बाद वापस ली गई ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : शुरू में प्रेसीडेन्सी जेल, कलकत्ता के 146 कैदियों ने 17-5-1976 को उस दिन की प्रातः से अनधिकृत रसोई के बन्द किये जाने के प्रतिरोध में भूख हड़ताल आरम्भ की थी । जेल प्राधिकारियों ने जेल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदढ करने के लिये यह कदम उठाया था क्योंकि वहां से 24-2-1976 को बहुत भारी संख्या में उग्रवादी कैदी बचकर भाग गये थे । बाद में 4-8-1976 को भूख हड़ताल पूरी तरह बिना शर्त वापस ले ली गईं ।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से प्रतीत होता है कि जेलों की दशा सुधारने में मुख्य बाधा धन का अभाव है । क्या यह सच नहीं है कि हाल में सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदियों के प्रति कड़ा रवैया अपनाया है ? हो सकता है कि उनकी राजनीति बिल्कुल गलत हो परन्तु फिर भी उन्हें राजनीतिक कैदी माना जाता है । कैदियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं तथा रियायतें, जो उन्हें 1949–50 में भूख हड़ताल करके मिलीं थीं, अब छीन ली गई हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कैदियों ने निराश होकर गलत काम भी किये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन रियायतों को छीनने का क्या कारण है जो उन्हें मिलती थीं या जो सरकार को उन्हें देनी पड़ती थीं जिसके फ़लस्वरूप कैदी अब बहुत अधिक निराश हो गये हैं ? इन में पैसे का कोई प्रश्न नहीं है । यह रवैये का प्रश्न है । क्या यह रवैये का प्रश्न है या नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : कुछ कैदियों ने चार कारणों पर भूख हड़ताल की थी । एक कारण यह था, वे चाहते थे कि अनधिकृत रसोई पुनः चालू की जाये । दूसरा टेबल इन्टरव्यू को पुनः चालू करना था, तीसरा जेल परिसरों में कैदियों को बेरोक-टोक घूमने की अनुमति और चौथा राजनीतिक कैदियों का उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानान्तरण को समाप्त करना था । इन चार कारणों पर उन्होंने भूख हड़ताल की थी । आप को याद होगा कि यह 24–2–1976 के बाद हुआ जब बहुत से कैदियों ने बचकर निकलने का प्रयास किया था और वहां पर झगड़ा हुआ था और कुछ कैदी गोली से मारे गये थे । उस घटना के बाद, जिसमें गोली भी चली थी, जेल में कैदियों के रवैये को नियंत्रित करने के लिए जेल प्राधिकारियों को कुछ कदम उठाने पड़े थे । बाद में कैदियों ने 4–8–1976 को बिना शर्त भूख हड़ताल समाप्त कर दी ।

Shri D.N. Tewari : I want to know whether some guide lines have been prepared and forwarded to states for implementation.

श्री एम० एच० मोहसिन : कार्यकारी दल ने कुछ सिफ़ारिशें की हैं और ये सिफ़ारिशें राज्य सरकारों को लागू करने के लिए भेजी गई हैं ।

औद्योगिक एककों के लिये राजसहायता

*23. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे औद्योगिक एककों के लिए राजसहायता के रूप में चालू वर्ष के दौरान लगभग 10 करोड़ पए की राशि वितरित करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का राज्यवार आवंटन क्या है ;

(ग) क्या एक सरकारी समिति द्वारा किए गए अध्ययन से इस योजना के कार्यान्वयन में कुछ खामियों का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उनके बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हाँ । इस योजना के लिए चालू वर्ष 1976–77 में विद्यमान बजट आवंटन 10 करोड़ रुपए किया गया है ।

(ख) ये निधियां राज्यवार आवंटित न की जाकर अपितु इनका भुगतान कार्य के आधार पर किया जाता है ।

(ग) जी, हां । एक सरकारी समिति ने राज सहायता योजना का अध्ययन किया है ।

(घ) श्री पी० सी० नायक, भूतपूर्व उद्योग सचिव, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी इस समिति की रिपोर्ट पिछड़े सत्र में सभापटल पर रखी जा चुकी है। इस समिति द्वारा की गयीं सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या यह सच है कि इस समिति द्वारा किये गये विश्लेषण से पता चलता है कि पिछड़े राज्यों को कुछ विकसित राज्यों की तुलना में कम राज सहायता मिली है ?

दूसरे लघु यूनिटों को मिली राज सहायता भी बड़े और मध्यम उद्योगों की तुलना में बहुत कम है ।

अन्त में, जो थोड़ी सी राज सहायता दी गई है उससे विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी पूंजी वाले उद्योगों के विकास में सहायता मिली है जबकि श्रमिकों वाले उद्योगों को इसकी आवश्यकता थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है और यदि हां, तो इन सिफ़ारिशों पर विस्तार से विचार करने तक इन कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या तुरन्त उपाय किये हैं ?

श्री ए० पी० शर्मा : यह सच नहीं है कि राज सहायता अधिकतर विकसित राज्यों को दी गई है और पिछड़े राज्यों को नहीं । राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता और राज सहायता विभिन्न राज्यों द्वारा व्यय की गई राशि के अनुसार दी जाती है । वे मांग करते हैं और उन्हें यह राशि दी जाती है । अतः इस राशि को खर्च करने और उसके लिए केन्द्रीय सरकार से मांग करना राज्यों का काम है और तदनुसार यह राशि दी जाती है ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या माननीय मंत्री हमें यह बतायेंगे कि देश में सभी पिछड़े क्षेत्रों के शीघ्र, तुरन्त और एक समान विकास के लिए कोई नई नीति बनाई जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हमने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए 600 से अधिक लाइसेंस जारी किये हैं । हमने लोक वित्तीय संस्थानों के साथ मामला उठाया कि इन योजनाओं को विकसित राज्यों में इसी प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए तरजीह दी जानी चाहिये । इसके अलावा राज सहायता योजना में रूपभेद करके सभी कृषि-परिष्करण उद्योगों को शामिल किया गया है ताकि इन पिछड़े क्षेत्रों में शीतागार जैसे कृषि-परिष्करण उद्योगों को राज सहायता योजना के कारण अधिकाधिक प्रोत्साहित किया जा सके ।

Shri Bibhuti Mishra : The answer reveals that industries have been set up in backward areas and you are giving subsidy. May I know whether you are doing something about the areas where no industries have been set up ? My district is a backward one. I want to know what industry you propose to set up there ? How you are going to distribute the amount of Rs. 10 crore meant for backward areas ? I want to know whether you propose to issue any directives to state Governments to spent the money in the baccward area for which it is meant and not the area where industries have already set up ? The Government made repeated declarations that industries will be set up in areas having a population of less than ten lakh, but nothing has been done.

श्री टी० ए० पाई : वे जिले जहां केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, दो समितियों द्वारा तय किये जाते हैं । और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की स्वीकृति से विकसित राज्यों में तीन जिले और

पिछड़े राज्यों में 6 जिले चुने जाते हैं। राज सहायता योजना इन लोगों को इन जिलों में जाने के लिए प्रेरित करती है। हम केवल बड़े उद्योगों को ही राज सहायता नहीं देते हैं। यहां तक की लघु उद्योगो को भी राज सहायता अग्रिम रूप से मिल सकती है यदि वे पिछड़े जिलों में स्थित हैं। केन्द्र कार्य-निष्पादन के आधार पर राज सहायता दे सकता है। परन्तु प्रत्येक जिले में ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि पिछड़े राज्यों में उन जिलों के नाम क्या हैं जो राज सहायता योजना के लिए चुने गए हैं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह आया है कि राज्य सरकारें इस राज सहायता को राज्य के अन्य विकसित क्षेत्रों के लिये उपयोग कर रही हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता कि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की यह जानने की क्या प्रणाली है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के समुचित विकास में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता के उद्देश्यो की पूर्ति की जा सके। इस प्रयोजन के लिये सरकार के पास वस्तु स्थिति जाने की क्या प्रणाली है ?

श्री टी० ए० पाई : यह जानकारी कि राज्य सरकारें कहीं और धन लगा रही हैं सही नहीं है क्योंकि हम धन देने से पहले सारी बातों की जांच करते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : पिछड़े राज्य के 6 जिले चुने गये हैं। क्या मैं उसके बारे में जान सकता हूं।

श्री टी० ए० पाई : मैं पिछड़े राज्य में 6 जिलों की पूरी सूची बताने में असमर्थ हूं। वह अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर दूंगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : उनका कहना है कि कार्य-निष्पादन के आधार पर धन दिया जाता है।

श्री टी० ए० पाई : जब धन दिया जाता है उस समय राज्यों के पिछड़े जिलों में हुए कार्य को आधार माना जाता है।

श्री राम सहाय पांडे : धन पिछड़ेपन के आधार पर मिलना चाहिये, कार्य के आधार पर नहीं।

श्री के० लकप्पा : देश में औद्योगिक पिछड़ेपन के गलत अर्थ लगाये गये हैं। जिस विशेषज्ञ समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है उसने बताया है कि कुछ जिलों को पिछड़ा हुआ नहीं माना गया है यद्यपि वे पिछड़े हुए हैं। यह पाया गया कि अनेक राज्यों ने आवंटित धन को भी अन्य मदों पर व्यय किया। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या समूचे प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा और देश में पिछड़े हुए जिलों का पता लगाया जायेगा ताकि देश के पिछड़े क्षेत्रों को सहायता दी जा सके ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने पुनर्गठन का सुझाव दिया है। यह कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Ramavtar Shastri : I want to know whether there are certain industrial units which misuse the funds given by the Government and do not set up the units for which money was given and the action taken by Government against such people.

श्री टी० ए० पाई : राज्य सरकारों द्वारा उद्योगों की स्थापना का प्रमाणपत्र दिये जाने पर सरकारी सहायता दी जाती है । हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी ऐसे एकक को सहायता दी गई है जो विद्यमान नहीं है । यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी जानकारी है तो वह उसे मुझे जांच के लिये दें ।

गुजरात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

*25. **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों को पुनरीक्षित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में औद्योगिक न्यायाधिकरण के पंचाट की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(क) गुजरात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का मामला विचाराधीन है ।

(ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य बिजली बोर्डों को अपने कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करने के अधिकार हैं । इसलिए राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों की स्वीकृति गुजरात सरकार द्वारा नहीं दी जाती ।

(ग) यूनियनों के साथ मैत्रीपूर्ण समझौते पर पहुंचने की संभावना ढूंढने के लिए द्विपक्षीय बातचीत शुरु कर दी गई है तथा मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण में यूनियनों की सहमति से स्थगित हो गया है ।

Shri Arvind M. Patel : Sir, I want to know why the question revision of pay scales of high officials was referred for arbitration under the chairman ship of Dr. Kurian and their pay scale was improved just one month before while class III and class IV employees have been deprived of this ?

Shri K. C. Pant : Bipartiti negotiations are going on. The case has been withdrawn from the Industrial Tribunal and it is being negotiated between the parties concerned. The cases that have been referred to the Industrial Tribunal and decisions that have been reached outside it are in accordance with the labour policy of the Gujarat Government.

Shri Arvind M. Patel : The Gujarat Electricity Board has set up a sub-committee to settle the question of revision of pay scales after withdrawing the case from the Industrial Tribunal. No benefit will accrue to helpers and class IV employees like sweepers from this sub-committee. I want to know whether Government is taking any steps to provide help to these employees ?

Shri K. C. Pant : No settlement has been arrived at so far ; negotiations are still going on. Offers and counter Offers have been received from both sides. It is hoped that a decision will be reached soon.

श्री बेकारिया : प्रश्न के भाग (ग) के उतर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कार्मिक संघ से द्विपक्षीय बातचीत चल रही है ताकि समझौता हो सके। समिति अप्रैल या मई, 1975 में नियुक्त की गई थी। अध्यक्ष के रवैये के कारण बैठक नहीं बुलायी गयी है। इसी कारण से बिलम्ब है। अब, जब कि राज्य की सरकार नहीं है, क्या केन्द्रीय सरकार चेयरमैन पर जोर डालेगी कि कर्मचारियों के प्रस्ताव समिति के पास पहुंचने से पहले वह अपने निष्कर्ष निकाल लें?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : गुजरात में सरकार है। उनसे प्राप्त जानकारी के आधर पर मैंने कहा है कि निकट भविष्य में समझौता होने की आशा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गुजरात बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनमानों का प्रश्न 1974 से चला आ रहा है। सरकार ने डा० कुरियन को मध्यस्थ नियुक्त किया है जो वरिष्ठ इंजीनियरों, उप-इंजीनियरों और कनिष्ठ इंजीनियरों के वेतनमानों के बारे में अपना निर्णय दे चुका है। इसमें चेयरमैन, बोर्ड के सदस्यों, सचिव के वेतनमानों में वृद्धि कर दी गई है। क्या यह न्यायोचित निर्णय है जिसमें निम्नस्तर के कर्मचारियों को लम्बे समय तक लाभ से वंचित रखा जायेगा। वेतन संशोधन वर्ष 1974 में ही हो जाना था, इसलिए क्या सरकार ने बातचीत शीघ्रतापूर्वक करने के लिए न केवल गुजरात बोर्ड बल्कि अन्य राज्य बोर्डों को मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी किए हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सच है कि संशोधन 1974 में हो जाना था क्योंकि गत समझौता 31-3-74 को समाप्त हो गया था। लेकिन इसके बाद भी राज्य विद्युत बोर्ड ने, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, 30 रुपये प्रति माह की विशेष अन्तरिम राहत दी। उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा दी गई अन्तरिम राहत की तरह अन्तरिम राहत भी दी तथा महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। इस प्रकार इस कार्यवाही से मजदूरों का वेतन निश्चित रूप से बढ़ गया है। लेकिन जहां तक मूल प्रश्न का सम्बन्ध है, इसे न्यायाधिकरण को भेजा गया है और न्यायाधिकरण के बिना ही आपसी बातचीत से मामले को निपटाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, उन्हें आशा है कि निकट भविष्य मे मैत्रीपूर्ण समझौता हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं उनकी पेशकशों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं गुजरात सरकार द्वारा अपनाई जा रही मुख्य मुख्य बातें जानता हूं।

दिल्ली में पकड़ा गया डाकुओं का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

*26. **श्री सरजू पांडे :**
श्री रानेन सेन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली की अपराध शाखा ने डाकुओं के एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है जो विदेशी पर्यटकों को लूटा करता था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तीन मामले---एक, थाना लाजपतनगर में, एक थाना कनाट प्लेस में और एक थाना दरियागंज में, दर्ज किए गए हैं और पांच व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

डा० रानेन सेन : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है । मैं प्रश्न के (ख) भाग में तथ्यों के बारे में जानना चाहता था । क्या तथ्य केवल इतने ही हैं ? हाल में हमने विदेशी पर्यटकों द्वारा किए गए अपराधों तथा पुलिस गिरफ्तारियों के बारे में सुना है । इन तथ्यों के बावजूद भी छोटा सा जवाब दे दिया गया है ।

श्री ओम मेहता : मैं और तथ्य दे सकता हूं । 5–6 जुलाई, 1976 की रात को नई दिल्ली के विक्रम होटल में फ़्रांसीसी पर्यटक ठहरे हुए थे । अपराधी डेनियल चोमेट उर्फ सोवराज चार्ल्स गुरमख ने अपने साथी जीन धुसाइम से मिल कर वहां कुछ लोगों में गोलियां बांटी और कहा कि ये गोलियां उनको पेट की गड़बड़ी से बचाएंगी । गोलियां लेते ही कुछ सदस्यों ने कै करनी शुरू कर दी ....

अध्यक्ष महोदय : क्या यह लम्बा विवरण है ? आप कृपया तथ्य बताएं ।

श्री ओम मेहता : ये पांच अपराधी हैं । मैं उनके नाम बताता हूं । इन्होंने 11 डकैतियां डाली हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया । दिल्ली पुलिस ने प्रशंसनीय काम किया है क्योंकि इन्होंने डाकुओं के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया है । ये डाकू जमानत से बचकर भाग रहे थे । उनके नाम डेनियल चोमट उर्फ सोवराज चार्ल्स गुरमख, जीन धूसाइम है ....

डा० रानेन सेन : नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नाम नहीं चाहते ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय नाम का उच्चारण नहीं जानते और न ही हम समझ सकते हैं । अच्छा हो यदि वह नाम न बोलें ।

श्री ओम मेहता : हो सकता है माननीय सदस्य फ़्रांसीसी नामों का उच्चारण जानते हों । मैं फ़्रांसीसी भाषा का विशेषज्ञ नहीं हूं । ये डाकू विभिन्न होटलों में आने जाने वाले पर्यटकों को लूटते थे । उन्होंने दिल्ली और दिल्ली से बाहर के होटलों में लगभग 11 डकैतियां डालीं । जब भी वे डाका डालते थे, पर्यटकों को नशीली दवा दे देते थे और उन्हें लूट लेते थे । कुछ मामलों में पर्यटकों की मृत्यु भी हो गई ।

डा० रानेन सेन : विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हम पर्यटकों को भारत आने के लिए प्रोत्साहन देते हैं । इस आड़ में कई अपराधी तत्व भी आ जाते हैं और यहां हर प्रकार का अपराध करते हैं । यह घटना हाल ही में हुई लेकिन इससे पूर्व एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें एक अपराधी ने अशोक होटल में एक आभूषणों की दुकान में घुसने के लिए सेंध लगाई थी । हमें ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं । अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार ने ऐसे लोगों का आसानी से पता लगाने

के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं । दिल्ली पुलिस का कार्य सराहनीय रहा है लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये व्यक्ति 11 अपराध करने के बाद गिरफ्तार किए गए । समाचारपत्रों में खबर छपी है कि ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से सम्बन्धित हैं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रारम्भिक खोज-बीन अथवा इन व्यक्तियों की पूर्व गतिविधियों का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली है ?

श्री ओम मेहता : जहां तक सम्भव होता है, छान बीन की जाती है । पूरी छान बीन करना सम्भव नहीं होता क्योंकि भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या हजारों में होती है । साथ ही, ऐसे मामले केवल भारत में ही नहीं होते । इन अपराधियों ने थाइलैंड और नेपाल में भी अपराध किए तथा गत कुछ महीनों में भारत में भी ऐसे मामले हुए । गत चार-पांच महीनों में, जब वे दिल्ली में थे, तो हमने उन सबको पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया ।

डा० रानेन सेन : विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में बड़ी संख्या में हिप्पी आ रहे हैं जो न केवल ऐसे अपराध करते हैं बल्कि बुरे काम भी करते हैं ? क्या हिप्पियों की छानबीन के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री ओम मेहता : इस प्रश्न का मूल प्रश्न के साथ सम्बन्धी नहीं है, जहां तक हमें जानकारी है उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों की तरह कोई चोरी या डाका नहीं डाला है ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति डाकुओं के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह से सम्बन्धित है और उन्होंने विश्व के प्रत्येक कोने में अपराध किये हैं, क्या अन्य देश भी उन व्यक्तियों की तलाश में हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन अपराधियों को तब तक भारत से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और अपराधी पाये जाने पर वे अपनी सजा पूरी नहीं कर लेते ?

श्री ओम मेहता : उन्हें तब तक भारत से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा जब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता और वे दोषी पाये जाने पर अपनी सजा पूरी नहीं कर लेते ।

अंग्रेजी के समाचार पत्रों को विज्ञापनों की बढ़ी हुई दरें

*27. **श्री धामनकर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी भाषाओं के समाचारपत्रों की अपेक्षा अंग्रेजी समाचारपत्रों को विज्ञापनों की जो अधिक दरें दी जाती हैं उनको समाप्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या छोटे समाचारपत्रों को विज्ञापनों की बेहतर दरें देने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ताकि वे अधिक विज्ञापन प्राप्त कर सकें ; और

(घ) समाचारपत्रों को विज्ञापनों की दरें, उनकी संख्या तथा विज्ञापन की भाषा का फ़ैसला किस एजेन्सी द्वारा किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) नया दर ढांचा शीघ्र ही तय हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) जी हां ।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय एजंसी होगी ।

श्री धामनकर : मंत्री महोदय ने अंग्रेजी समाचारपत्रों को विज्ञापनों के लिए दी जाने वाली बढ़ी हुई दरें समाप्त करने का सही निर्णय किया है और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं और चूंकि हमने समाज के निम्न वर्गों के बीच प्रचार करना होता है, इसलिये केवल स्थानीय भाषा का समाचारपत्र ही अधिक उपयुक्त है । अंग्रेजी समाचारपत्र इसलिये समृद्ध हैं क्योंकि उन्हें विज्ञापनों की बढ़ी हुई दरें दी जाती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस निर्णय की क्रियान्विति करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है । मंत्री महोदय ने बताया है कि शीघ्र ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा । क्या इस वर्ष के अन्त तक इसे क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

श्री धर्मवीर सिंह : प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्य ने सरकार के निर्णय की सराहना की है । जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं इसे शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाएगा । हम तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक समिति दरों के ढांचे के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश नहीं कर देती । इस समिति में मुख्य लागत लेखाकार, वित्तीय सलाहकार तथा श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के सदस्य हैं । चूंकि सारे देश के विभिन्न समाचारपत्रों की दरें अलग अलग हैं तथा इसकी श्रेणियां तथा आंकड़े अलग अलग हैं, इसलिये थोड़ा समय अवश्य लगेगा पर मुझे विश्वास है कि दो मास के अन्दर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा । प्रतिवेदन के मिलते ही हम निर्णय को क्रियान्वित कर पायेंगे ।

श्री धामनकर : क्या अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये भी यही नीति अपनाई जाएगी और क्या विज्ञापनों के संदर्भ में स्थानीय जिले तथा क्षेत्रीय समाचारपत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

श्री धर्मवीर सिंह : अर्द्ध-सरकारी एवं स्वायत्त संस्थायें भी इस निर्णय को क्रियान्वित करेंगी । हमारी नीति जिले के समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देने की है क्योंकि हाल के वर्षों में इन पत्रों की मांग बढ़ी है और ये पत्र प्रभावकारी हैं । इनको विज्ञापनों की बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि 70 प्रतिशत से अधिक विज्ञापन अंग्रेजी समाचारपत्रों में दिये जाते हैं और जिला स्तर तथा अन्य स्तरों पर छपने वाले समाचारपत्रों को विज्ञापन नहीं मिलते ? यदि मेरी बात गलत है तो मंत्री महोदय सही प्रतिशतता बतायें । यदि ऐसा है, तो जब तक समिति का प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होता, क्या इस बीच सरकार जिला तथा अन्य स्तरों पर छपने वाले स्थानीय समाचारपत्रों के लिये विज्ञापनों की प्रतिशतता सिद्धान्त रूप से क्रियान्वित करेगी ?

श्री धर्मवीर सिंह : यह कहना बहुत कठिन है कि प्रतिशतता निर्धारित की जा सकती है । देश में प्रचार माध्यम के विकास के साथ साथ जिला स्तर पर छपने वाले अन्य छोटे समाचारपत्रों का विकास होना स्वाभाविक है । हम आशा करते हैं कि समय आएगा जब इन समाचारपत्रों को दिये जाने वाले विज्ञापनों की प्रतिशतता में वृद्धि होगी । लेकिन जहां तक परिचालन का सम्बन्ध है, हमने वर्ष 1975-76 के बाद से छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के लिए विज्ञापनों का वितरण

27 प्रतिशत से बढा कर 32 प्रतिशत कर दिया है । एक वर्ष में 5 प्रतिशत वृद्धि सराहनीय कार्य है । समाचार पत्रों की सूची में, हमने छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के लिए श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों की संख्या 1300 से बढा कर 1900 कर दी गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अंग्रेजी समाचार पत्रों को न केवल विज्ञापन की बड़ी हुई दरें दी जाती हैं बल्कि विज्ञापनों के वितरण के मामले में राजनीतिक भेदभाव भी किया जाता है। आपात स्थिति के बाद प्रतिपक्षी दलों और विशेषकर मार्क्सवादियों द्वारा चलाये जा रहे छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है । सरकार की नीति क्या है ? क्या यह विज्ञापनों के वितरण के मामले में छोटे तथा मध्यम दर्ज के समाचार पत्रों के साथ किये जाने वाले भेदभाव को समाप्त करेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जहां तक सरकारी विज्ञापनों के वितरण का सम्बन्ध है, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता । हमने एक नीति बनाई है जिसके अनुरूप हमने छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों और विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों वाले क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में छपने वाले समाचारपत्रों की सहायता करने का निर्णय किया है । कई संसदीय समितियों तथा सदन ने भी यह सिफ़ारिश की है कि सभी विज्ञापन श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से दिये जायें । मेरा भी यही विचार है । यह निदेशालय ही इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कौन सा प्रचार-माध्यम अपनाया जाये अर्थात् दैनिक समाचार पत्र का प्रयोग किया जाये या आवधिक पत्रिका का । यह निदेशालय विज्ञापनों की संख्या तथा दरें भी सुनिश्चित करेगा । एक और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया है । पहले ऐसा होता था कि जब भारतीय भाषा के किसी पत्र का परिचालन अंग्रेजी समाचारपत्र के बराबर होता था तो भी अंग्रेजी समाचार-पत्र को अधिक तथा स्थानीय भाषा में छपने वाले पत्र को कम विज्ञापन दर मिलती थी । अब बढी हुई दरें समाप्त कर दी गई हैं । दोनों पत्रों को विज्ञापनों की एक सी दरें मिलेंगी । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं --राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जाता हमने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में आज बताया है कि विज्ञापन के मामले में कौन सा मानदंड अपनाया जाता है । माननीय सदस्य अतारांकित प्रश्न का उत्तर देख लें और यदि वह फ़िर भी स्पष्टीकरण चाहते हैं और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हम उसका उत्तर देंगे ।

Shri B.S. Bhaura : The policy of the Government applies only to D.A.V.P. and other undertakings. But there are a number of big newspapers which get advertisements from private enterprises. May I know whether Government will exercise control on private advertisements so that there the advertisements are also available to the newspapers.

Shri Vidya Charan Shukla : No, Sir, We don't have any control on private advertisements.

सेना के कर्मचारियों के लिये आरक्षित पद

*28. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरक्षित पदों पर सेना कर्मचारियों के लिये "बाद की भर्ती" (लेटर इन्डक्शन) योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकारी सेवाओं, परा मिलिट्री फोर्सिज और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेना कार्मिको के लिये आरक्षित पदों पर उनकी भर्ती और उन्हें आयु-सीमा, निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं और भर्ती के लिये निर्धारित शारीरिक तथा स्वास्थ्य मानकों में छूट दिये जाने की आवश्यकता के प्रश्न पर अध्ययन किया जा रहा है ।

इस प्रयोजन के लिए स्थापित अध्ययन ग्रुप भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को भरने में वर्तमान गिरावट के कारणों का पता लगायेगा और केवल सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए वर्तमान प्रबन्धों में सुधार के लिये सिफ़ारिशें करेगा ।

असैनिक विभागों में जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सम्मिलित हैं, पद इस समय भी, एक सीमित संख्या तक इन पदों में सेना कार्मिकों को बाद की भर्ती (लेटरल इन्डक्शन) द्वारा भरे जा रहे हैं जबकि वे सेना से सेवा मुक्त/सेवानिवृत्त होने वाले होते हैं ।

Shri Hari Singh : May I know from the hon. Defence Minister what progress has so, far been made by the study group in respect of the reserved seats for Milatary service personel in Government employment, when they would be able to submit their report and Their findings and the reasons for not filling up the posts ?

श्री जे० बी० पटनायक : भूतपूर्व सैनिकों को कार्य पर लगाये जाने का मामला देश की सर्वोच्च सत्ता के विचाराधीन है । प्रधान मंत्री ने स्वयं 29 अप्रैल को बैठक बुलाई तथा उक्त बैठक में उन्होंने मंत्री मंडलीय सचिव को भूतपूर्व सैनिकों को कार्य पर लगाने के मामले पर विचार करने के लिये एक विशेष अध्ययन दल के गठन का निदेश दिया । अध्ययन दल का गठन किया जा चुका है तथा अपना प्रतिवेदन 15 सितम्बर तक दे देगा । प्रतिवेदन का अध्ययन करके यदि आवश्यक समझा जायेगा तो इसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

Shri Hari Singh : May I know from the hon. Minister as to whether it is absolutely correct that the quota for ex-servicemen is not fully utilised and if the Government would form a committee on which ex-servicemen are represented to study as to why this quota is not being utilised in Government Departments.

Mr. Speaker : You may reply to the question in respect of the new committee.

श्री जे० बी० पटनायक : यह अध्ययन दल गहराई से इस प्रश्न पर विचार करेगा । इसलिये किसी दूसरे अध्ययन दल को नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : जिन अधिकारियों को 1962 के चीनी आक्रमण के तुरन्त बाद आपात कमीशन दिया गया था और जिन्हें 1964 में वापस भेज दिया गया, उनमें से, कितने व्यक्तियों को सरकारी तथा अर्द्ध सरकारी संगठनों में लिया गया है ? क्या अभी भी राज्य सरकारों को 1962 में आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिये कोटे रिजर्व करने का निदेश है ।

श्री जे० बी० पटनायक : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। यदि नोटिस दिया जाये तो आंकड़े बताये जा सकते है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सशस्त्र सेनाओं से अधिकारियों तथा अन्य पदों पर से प्रति वर्ष पदमुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है जिन्हें रोजगार खोजना पड़ रहा है ? दूसरो क्या उनके नाम तथा अन्य विवरण रिसटलमेंट निदेशक के पास एक पृथक रजिस्टर में रखे जाते हैं । अथवा उन्हें स्वयं देश के सामान्य रोजगार दफ्तरों में जाना पड़ता है ?

श्री जे० बी० पटनायक : प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में 50,000 जवान तथा 600 अधिकारी प्रति वर्ष कार्यमुक्त किये जाते हैं । उनके नाम तथा विवरण रिकार्ड रखने के लिये सैनिक बोर्डों को भेजे जाते हैं । जहां पर रोजगार दफ्तरों में रजिस्टर करने का प्रश्न है यह व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर है ?

गुजरात में ग्रामों में बिजली पहुंचाया जाना

*29. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने प्रतिशत ग्रामों में बिजली पहुंचायी गयी है; और

(ख) शत प्रतिशत ग्रामों में बिजली कब तक पहुंचा दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गुजरात में 18,275 गांव हैं । 30 जून, 1976 तक 35.1 प्रतिशत (6,420 गांवों) को बिजली दी जा चुकी थी ।

(ख) राज्य का सौ फीसदी विद्युतीकरण करने की योजना अभी तैयार नहीं की गई है ।

श्री डी० डी० देसाई : डा० कोठारी और डा० डार्जी की समिति के अध्ययन से पता चला है कि गुजरात में लागत लाभ अनुपात 69,53 और 41 प्रतिशत है जबकि ब्याज की दर 6, 9 और 12 प्रतिशत है । केरल, तामिलनाडु में ग्रामीण विद्युतीकरण लगभग शत प्रतिशत पूरा होने को है । हरियाणा, पंजाब, पांडीचेरी और दिल्ली इस कार्य को पहले ही पूरा कर चुके है । इन हालात में जबकि लागत- लाभ अनुपात राज्य में कम है तथा सरकारी नीति गांवों से नगर में जाना रोकने, खाद्य उत्पादन बढ़ाने ट्यूब वेल लगाने तथा ग्रामीण विकास पर अधिक बल देने की है तब क्या कारण है कि यह योजनाएं विलम्बित पड़ी है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : विलम्ब का कोई कारण नहीं है । ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में गुजरात अखिल भारतीय औसत से ऊपर है । जहां तक शत प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का प्रश्न है, हाल ही में राज्य बिजली बोर्डों के चेयरमैनों की बैठक में निर्णय हुआ था कि सभी राज्य बिजली बोर्ड ऐसी योजनाएं तैयार करें । केन्द्रीय विद्युत अधिकरण में इस मामले को राज्य बिजली बोर्ड के साथ उठाया है और उन्हें इस महीने के अन्त तक रिपोर्ट देने को कहा गया है ।

श्री डी० डी० देसाई : बेशक मंत्री महोदय ने बताया है कि विलम्ब का कोई कारण नहीं है अथवा विलम्ब किये जाने की कोई वास्तविक योजना नहीं है, मैं समझता हूं कि धन ही एक मात्र बाधा हो सकता है । इस बारे में भी हम देखते हैं कि कुछ विभागों में कुछ वर्षों में बचतें हुई हैं । यदि अच्छी तरह समन्वय किया जाता है तो संसाधनों का ऐसे मामलों में उपयोग किया जा सकता है जिनमें अधिक आय हो सकें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें । उन्होंने बताया है कि प्रतिवेदन अगले महीने उपलब्ध होगा । उसमें सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं जानना चाहता हूं कि न केवल गुजरात अपितु देश के विभिन्न भागों में शत प्रतिशत विद्युतीकरण कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा तथा क्या इसके लिये केन्द्रीय अनुदानों की कमी है इस विलम्ब के लिये उत्तरदायी है, विशेष तौर से उन क्षेत्रों के लिये जिनमें विद्युतीकरण का अधिक उद्योगीकरण आदि के कारण अत्यन्त अवश्यकता है । दो सप्ताह पूर्व एक बैठक में मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि मेरे अपने जिले अहमदाबाद में भी अभी तक शत प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ है केवल इसीलिए कि केन्द्र की योजना तथा धन नही दिया गया ।

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : ग्रामीण विद्युतीकरण पहले पूर्व राज्यों का उत्तरदायित्व था, केन्द्र के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं था परन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों में सहायता देने के लिये स्थापना की गई । इस प्रकार राज्यों द्वारा जो भी सापेक्ष योजनाएं तैयार होंगी तो इनके बारे में यह ध्यान देना पड़ेगा कि इस पर यह कितना लगाते हैं । और उन्हें पूर्णतः केन्द्रीय सहायता पर निर्भर नहीं करना चाहिए । मेरे माननीय मित्र को पता है कि राज्य की योजनाएं केन्द्र की एकमुश्त सहायता को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है । केन्द्र द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये पृथक आवंटन नहीं किया जाता । इसलिए अब तक राज्य सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये उत्सुक नहीं है तब तक इस बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता । इसलिए इस बारे में उनका रुचि होना आवश्यक है ताकि ग्रामीण विद्युतीकरण में गति लाई जा सकें ।

कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी

*30. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **इलक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इलेक्ट्रानिक्स आयोग ने क्या प्रगति की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इलैक्ट्रानिकी आयोग ने अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है, जैसे आयात, प्रौद्योगिक लाइसेंसिंग अभिकलित्र के प्रयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र, प्रौद्योगिकी विकास, संगणक सामग्री (साफ्ट वेयर) का निर्यात, तथा विदेशी कम्पनियों के निर्माण-कार्यक्रम । इलैक्ट्रानिकी विभाग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्ययन 9 में इन नीतियों का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है ।

(ख) इलेक्ट्रानिकी आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये नीति विषयक कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय तथा की गई कार्यवाही नीचे दिये अनुसार है :—

(i) इलेक्ट्रानिकी विभाग पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह इलेक्ट्रोनिक आंकड़ा संसाधन उपस्कर (इलेक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेन्ट) तथा अभिकलित्र (कम्प्यूटर) पर आधारित सूचना प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित

सभी मामलों के विषय में देश के सभी प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को समन्वित करने के उद्देश्य से सरकार के केन्द्रस्थ मंत्रालय के रूप में कार्य करे।

(ii) 5 लाख रुपये से ऊपर के मूल्य वाले अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) के आयात के लिए नीतियां तथा प्रशासनिक कार्यवाहियां निर्धारित कर दी गई हैं।

(iii) रक्षा, तेल, कृषि, इस्पात, परमाणु ऊर्जा, योजना, औद्योगिक उत्पादन जैसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिये अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रणालियों का विन्यास तथा प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार उनके विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिये प्रादेशिक अभिकलित्र (कम्प्यूटर) केन्द्रों की रूप-रेखा तैयार कर ली गई है तथा उनके आयात की अनुमति दे दी गई है।

(iv) गारन्टी के आधार पर यंत्रेतर सामग्री का निर्यात करने के उद्देश्य से अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) को आयात करने का कार्यक्रम तथा विदेश से वापस आने वाले/विदेश में बसे भारतीय राष्ट्रिकों द्वारा इनके आयात के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया गया है।

(v) कार्यक्रम योग्य परिकलित्रों (प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स), लघुकाय अभिकलित्र (मिनी कम्प्यूटर) के उपान्त उपस्करों (पेरीफ़ेरल्स) सूक्ष्म-संसाधित्र पर आधारित दूर-संचार प्रणालियां तथा कैश रजिस्टर के औद्योगिक लाइसेंस तथा लघुकाय अभिकलित्रों के लिये सीमित औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है; यह एक सतत प्रक्रिया है।

(vi) 'जहां है जैसी है' प्रणाली के आधार पर यहां कार्यरत की विदेशी कम्प्यूटर कम्पनियां अब तक आयात किये गये इस्तेमाल शुदा कम्प्यूटरों का पुनः सज्जीकरण करके इन मशीनों को जो सप्लाई किया करती थीं, अब उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

(vii) भारत में कार्यरत विदेशी कम्प्यूटर कम्पनियों के कार्यकलापों की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जांच की गई है और इस आशय की सिफारिशें की गई हैं कि विदेशी साम्यापूंजी (ईक्विटी) को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाय या अन्यथा उनके उन सभी वर्तमान कार्यकलापों को समाप्त कर दिया जाय जिन्हें व्यापार प्रक्रिया, विपणन, आंकड़ा-केन्द्रों के प्रचलन आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(viii) अभिकलित्र (कम्प्यूटर) की यंत्र-सामग्री (हार्ड वेयर) तथा यंत्रेतर सामग्री (साफ्ट-वेयर) के विकास के लिये लगभग 3 करोड़ रुपयों के मूल्य के प्रौद्योगिकी विकास विषयक ठेके सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को दिए गए हैं।

(ix) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से बम्बई के टाटा मौलिक अनुसन्धान संस्थान में एक राष्ट्रीय यंत्रेतर सामग्री विकास तथा अभिकलन तकनीकि केन्द्र (नेशनल सेंटर फार साफ्ट वेयर डेवलपमेंट एण्ड कम्प्यूटिंग टेक्नीक्स) की स्थापना की गई है। नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। कलकत्ता में एक प्रादेशिक अभिकलित्र केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

श्री राजा कुलकर्णी : यह अच्छी बात है कि कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, आयात, औद्योगिक लाइसेंसिंग; अग्रता क्षत्रों, प्रौद्योगिकी विकास तथा भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों के निर्माण कार्यों के बारे में जन नीति तैयार हो गई है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान कम्प्यूटर उद्योग के एक दर्जन से अधिक सरकारी विभागों में कार्यकरण पर लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें पाया गया है कि कम्प्यूटरों का पूरा पूरा उपयोग नहीं किया जाता। क्या सरकार इस बारे में जांच करने के लिये कोई विशेषज्ञ समिति गठित करने जा रही है जो विभिन्न सरकारी विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के निगमों में कम्प्यूटरों तथा अन्य इलैक्ट्रानिक मशीनों की क्षमता के कम उपयोग के बारे में अध्ययन करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि माननीय सदस्य विवरण पर ध्यान दें तो उन्हें पता चलेगा कि इलैक्ट्रोनिक आयोग इस बात पर ध्यान देता है कि कितनी क्षमता उपलब्ध है तथा उपभोक्ताओं के क्या विशेष उपयोग हैं तथा किन मामलों में एक क्षेत्र में स्थित सरकारी विभागों के कार्यों का पूल किया जा सकता है। इन सभी बातों पर इलेक्ट्रोनिक आयोग ध्यान देता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत में गरीबी

*24. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मंत्री भारत में गरीबी के बारे में 28 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1325 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973, 1974 और 1975 में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में, पृथक्-पृथक्, कितने तथा किस अनुपात में लोग गरीबी के स्तर से नीचे थे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : 28 जनवरी, 1976 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1325 का उत्तर देने के बाद कोई नई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

चक्रा तथा बराही नदियों में पन-बिजली की क्षमता

*32. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चक्रा तथा बराही नदियों से पन-बिजली पैदा की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का उपयोग किस प्रकार और कब तक करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). कर्नाटक की चक्रा और बराही नदियों की वार्षिक ऊर्जा क्षमता क्रमशः 500 मिलियन यूनिट और 1000 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, चक्रा परियोजना के जून, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है। बराही परियोजना का निर्माण-कार्य हाथ में लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

"स्टेट्समैन" के मामलों की जाँच

*33. **श्री मोहम्मद इस्माईल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री "स्टेट्समैन" के मामलों की जांच के बारे में 31 मार्च, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "स्टेट्समैन" नई दिल्ली के निलम्बित कर्मचारियों की सेवाओं को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) "स्टेट्समैन" के प्रबन्धकों द्वारा सरकार के कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय से प्राप्त किये गये रोकादेश को रद्द कराने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क). यह मालूम हुआ है कि प्रबन्धक स्टेट्समैन के 14 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच कर रहे हैं। उनको उच्च न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत निलम्बन भत्ता मिल रहा है। चूंकि इनमें से किसी को भी अभी तक कोई दंड नहीं दिया गया है, अतः कानूनी अधिकारों के अन्तर्गत सरकारी अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख). रिट याचिका का विरोध करने के लिए कदम उठाए गए हैं और मामला न्याय निर्णयाधीन है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली से कैदियों का फरार हो जाना

*34. **श्री झारखंडे राय** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1976 में, तिहाड़ सेन्ट्रल जेल, दिल्ली से कुछ कैदी फरार हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे पुनः गिरफ्तार कर लिए गए हैं ; और

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई थी कि वे किस प्रकार फरार होने में सफल हुए।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता), (क). (ख) तथा (ग). मई, 1976 में तिहाड़ सेन्ट्रल जेल से कोई कैदी फरार नहीं हुआ है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये मदों का आरक्षण

*35. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में विकास हेतु कुछ अतिरिक्त मदों को आरक्षित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क). जी, हां।

(ख) अतिरिक्त आरक्षित वस्तुएं ये हैं :—

1. 10 अश्वशक्ति तक के कुछ वर्गों के बिजली के मोटर।

2. प्लाईवुड की चाय की पेटियां ; और

3. कैमल बैक (सामग्री जो टायर की मरम्मत करने में काम में लाया जाता है)।

सीमेंट से कन्ट्रोल हटाया जाना

*36. **श्री पी० गंगारेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सीमेंट और उसके मूल्यों पर लगे कन्ट्रोल हटाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या लाभ होंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) और (ख). यद्यपि सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है तो भी इस संबंध में प्राप्त विभिन्न सुझावों पर हमेशा गौर किया जाता है।

त्यक्त कोयला खानों में बढ़िया किस्म के कोयले का शेष भंडार

*37. **श्री एच० एन० मुकर्जी** :
श्री सरोज मुकर्जी :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गिरिडीह झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्र की त्यक्त कोयला खानों में लगभग 1360 लाख टन हाई ग्रेड का कोयला अभी शेष है;

(ख) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने त्यक्त कोयला खानों में खनन कार्य पुनः आरम्भ करने की कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनमें शेष कोयले के ठीक अनुमान के लिए पूर्व जांच और सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क). गिरिडीह कोयला क्षेत्र में त्यक्त कोयला खानों में अच्छे किस्म का लगभग 22.30 लाख टन कोयला होने का अनुमान है। झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में भी अच्छे किस्म के कोयले की कुछ मात्रा अछूती पड़ी हो सकती है। किन्तु उसका मात्रात्मक निर्धारण संभव नहीं है।

(ख): गिरिडीह कोयला क्षेत्र में त्यक्त खानों में पड़े खम्बों और खानों के मध्य कोयला बैरियरों के लिए खुदाई करने हेतु एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई। ये खम्बे पानी में हैं। इन भंडारों की खुदाई के लिए काफी बड़ी मात्रा में पानी निकालना होगा।

इन भंडारों की सुरक्षित, किफायती तथा वैज्ञानिक खुदाई की संभावना पर विचार करने हेतु कोल इंडिया लि० द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में त्यक्त खानों को या तो कुछ मौजूदा खानों के साथ मिला दिया गया है अथवा उन्हें जहां कहीं भी तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से खोलना उपयुक्त पाया गया है पुनः खोला गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हाथ की घड़ियों का उत्पादन

*38. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्विटजरलैंड के सहयोग से देश में हाथ की घड़ियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरु की गई कथित नयी योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उसकी रोजगार क्षमता और अन्य आर्थिक पहलुओं की जांच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं; और

(घ) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क)से(घ). मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० की एक योजना (हाथ से चाबी देने वाली) कलाई घड़ियों का उत्पादन 66 लाख से बढ़ाकर 30 लाख प्रति वर्ष का है। यह योजना दो चरणों की है जिसमें हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा पुर्जे तथा मवमेंट बनाए जायेंगे और सारे देश के चुने हुए स्थानों में इसकी असेम्बलिंग की जायेगी। हिन्दुस्तान मशीनटूल के लिये स्विस सहयोग प्राप्त कराने का भी एक और प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत भारत में घड़ियों का निर्माण करने की क्षमता बढ़ाने के लिये सहायता मिलेगी तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु एक परि-योजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट पूरी हो जाने पर रोजगार की संभाव्यता तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के ब्यौरे का पता चलेगा। घड़ियों की असेम्बलिंग के विकेन्द्रीकरण के लिये भी सावधानी पूर्वक योजना बनाई जा रही है जिससे देश के भिन्न-भिन्न भागों में कुशलता प्राप्त कारीगरों को रोजगार दिया जा सके।

सरकार ने देश के कलाई घड़ियों का निर्माण करने वाले एककों की स्थापना विशेषकर स्विस सहयोग से उन्हें स्थापित करने के लिये निजी क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं के लिये मंजूरी दे दी है। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संक्षेप में अनुबन्ध में दिया जाता है।

इनमें से दो कंपनियां यथा; मैसर्स हैगडे एण्ड गोले और मैसर्स सोंधी ट्रेसा टाइम इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लि० ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। शेष परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

स्विस सहयोग से अब तक (7 अगस्त, 1976) तक स्वीकृत किया गया कलाई घड़ियां बनाने का कार्यक्रम

क्रम सं०	पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	क्षमता	स्थापना स्थल	कैफियत
			लाख		
1.	मे० सोंधी ट्रेसा टाइम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	मे० ट्रेसा वाच कं० लि०, जनेवा, स्विटज़रलैंड	3.6	शाहदरा दिल्ली	
2.	मे० हैज एण्ड गोले प्रा० लि०, बंगलौर	मे० बर्नार्ड गोले, स्विटज़रलैंड	1.00	बंगलौर	
3.	श्री जी० एस० प्योरवाल, शिमला	मे० रैम्बू थोमसन ए० जी० स्विटज़रलैंड	6.00	धर्मपुर (शिमला हिल्स)	
4.	श्री एच० सी० बंगारा, बम्बई।	मे० रोमर वाच कं० स्विटज़रलैंड	3.6	महाराष्ट्र/ हरियाणा	
5.	मे० कैमी इण्डिया, बम्बई।	मे० कैमी वाच कं० लि०, जनेवा स्विटज़रलैंड	4.8	महाराष्ट्र/ गुजरात	
6.	मे० सैंडोज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली	—	2.8	शाहदरा दिल्ली	यद्यपि बिना किसी प्रकार की वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता के इस परियोजना की स्थापना की जा रही है फिर भी आवेदक जो एक गैर-आवासीय भारतीय हो, उसके द्वारा कुछ मशीनों का आयात करने की व्यवस्था की गई है।

आवश्यक वस्तुओं का आयात

*39. **श्री के० एम० मधुकर : क्या नागरिक पूर्ति और** सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों की दैनिक आवश्यकता की कुछ वस्तुओं का आयात करने का निर्णय किया है ताकि व्यापारियों तथा सट्टेबाजों की चाल से टक्कर ली जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकार ने इस बात के लिये कई उपाय किये हैं कि गरीबों को उनकी दैनिक आवश्यकता की वस्तुयें मिलती रहें और सट्टेबाजी की रोकथाम की जाये । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने के अलावा जमाखोरी रोकने सम्बन्धी उपायों को तेज किया गया है । इसके अतिरिक्त जुलाई तथा दिसम्बर, 1976 के बीच खाने के तेलों की विदेशी सप्लाई की कमी 1.25 लाख मीटरी टन सोयाबीन आयल, पाम आयल, रेपसीड आयल जैसे विदेशों से मंगाये गये वनस्पति तेलों से पूरी की जा रही है । इसी प्रकार चालू पंचांग वर्ष के दौरान 8 लाख मीटरी टन मिट्टी के तेल का आयात करने का निर्णय किया गया है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों में चलचित्र कलाकारों द्वारा भाग लिया जाना

*40. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने चलचित्र कलाकारों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लिये जाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या चलचित्र उद्योग और उनके मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच इस बारे में कोई सहमति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, हां ।

(ख). जी, हां । फिल्मी व्यक्तियों के विभिन्न पंचों में बातचीत के परिणामस्वरूप, आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों में उनके भाग लेने के बारे में करार तैयार किया जा रहा है ।

(ग). करार में निर्माताओं, निर्देशकों, संगीतकारों, गीतकारों, कहानी या कथोपकथन लेखकों, अभिनेताओं आदि के आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों में आकाशवाणी, दूरदर्शन के महानिदेशक द्वारा निर्धारित तरीके में आकाशवाणी / दूरदर्शन में समय-समय पर लागू दरों पर शुल्क के भुगतान पर भाग लेने की व्यवस्था है ।

उचित दर की दूकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

149. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग राज्य मंत्री ने हाल ही में यह आश्वासन दिया था कि छात्रों के लिये खाद्य पदार्थों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण सभी राज्यों में घटी दरों पर उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख). 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के एक भाग को कार्यरूप देने के लिये सरकार ने विद्यार्थी समुदाय की आवश्यक उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति करने की एक योजना बनाई है । 43 नगरों में 76 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों का चयन किया गया है, जो उपभोक्ता सहकारी संस्थायों के जरिये विद्यार्थियों को इन वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे । राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे इस योजना को 1 लाख तथा उससे ऊपर की आबादी वाले सभी शहरों तथा नगरों के विश्वविद्यालयों/स्नातक कालिजों के छात्रावासों तथा स्वीकृत निवासगृहों और साथ ही उच्च शिक्षा के छात्रावासों तथा संस्थानों, चाहे वे कम आबादी वाले स्थानों में ही हों को लागू करें। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थायें छात्रावासों, विश्वविद्यालय/स्नातक कालिजों को आवश्यक स्वरूप की वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दालें, मसाले, बनस्पति, खाने के तेल, चाय, काफी, साबुन, डबल रोटी, अंडे, नियंत्रित कपड़ा, नमक, हौजरी का सामान, साइकिलों के टायर तथा ट्यूबें, कागज तथा लेखन सामग्री, जिसमें कापियां भी शामिल हैं, ड्राइ-बैटरी सैल आदि की सहकारी सोसायटियों और छात्रावासों द्वारा आपस में तय की गई तरजीही/रियायती शर्तों पर आपूर्ति करेगी । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3344 विश्वविद्यालय/कालिज छात्रावासों और स्वीकृति निवासगृहों को आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें सहकारी सोसायटियां भी शामिल हैं, के माध्यम से करने के लिये प्रवन्ध किये गये और इससे जून, 1976 के अन्त तक 271 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है ।

हाल ही में विश्वविद्यालय/कालिज उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिये 'कामन कोचन केन्द्र' स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/कालिज उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कामन कोचन केन्द्रों को स्थापना करने हेतु लगभग 100 विद्यार्थियों की यूनिट वाले ऐसे प्रत्येक केन्द्र के लिये 20,000 रुपये की सहायता दी जाएगी । इसमें से प्रत्येक सोसायटी को विद्यार्थियों के लिये ऐसे कोचन केन्द्र चलाने के लिये 15,000 रुपये अंश पूजी अंशदान के रूप में दिये जायेंगे, जो उपान्त धन (मार्जिन मनी) का काम करेंगे और 5,000 रुपये अथवा वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) बर्तन तथा रसोई के दूसरे आवश्यक उपकरण, फर्नीचर आदि खरीदने के लिये दिये जायेंगे । राज्य सरकारों से मंजूरी के लिये प्रस्ताव भेजने के लिये कहा गया है ।

PROBLEMS OF RESIDENTS OF DANAPUR CANTONMENT

151. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **DEFENCE** be pleased to state:

(a) whether the residents of Danapur Cantonment Board area have recently submitted a memorandum regarding some of their problems ;

(b) if so, the facts thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (Shri J. B. Patnaik) :(a) to (c). The hon'ble Member is presumably referring to a representation dated 4th May 1976 sent by 47 people of the Danapur Cantonment area. The representation contained allegations that the Cantonment Executive Officer was not following the 20-point Economic Programme, does not inspect the Cantonment area, dishonestly appropriated the amount meant for repair of roads, did not auction the trees fallen during the floods, and invited tenders for the allotment of ekka stand instead of auctioning it. These allegations have been investigated by Government and found to be baseless.

DACOITS KILLED ON BANGLADESH WEST BENGAL BORDER

152. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of dacoits killed on the border of Bangladesh and West Bengal in June, 1976, and the places to which these dacoits belonged ; and

(b) the time since when these dacoits had been committing dacoities ?

DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Shri F.H. Mohsin) : (a) According to available information 7 dacoits were killed on the Bangladesh-West Bengal border during June, 1976, 2 of them belong to districts of Cooch Behar and Murshidabad and the remaining 5 were from across the border.

(b) We have no information since when these particular dacoits had been coommitting dacoities.

COVERAGE OF POPULATION BY A.I.R. NET WORK IN MADHYA PRADESH AND RAJASTHAN

153. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) the percentage of population of Madhya Pradesh and Rajasthan covered by the All India Radio-net-work at present ;

(b) the additional percentage of population likely to be covered by the end of the Fifth plan ; and

(c) the steps or schemes proposed to be undertaken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) 74% of the population in Madhya Pradesh and 73·5 % of the population in Rajasthan are presently provided with a primary grade medium wave service by A.I.R. Transmitters.

(b) An additional 13% of the population in Madhya Pradesh and 4·5 % of the population in Rajasthan are expected to be served at the end of the Fifth plan.

(c) The following schemes are under implementation :

1. Madhya Pradesh :
   - (i) 20 Kw mw transmitter, Jagdalpur .
   - (ii) 20 Kw mw transmitter, Ambikapur.
   - (iii) 20 Kw mw transmitter, Rewa.
2. Rajasthan :
   - (i) 20 Kw Mw transmitter, Suratgarh.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

154. श्री मधु दण्डवते :

श्री अनन्तराव पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र सरकार ने काफी समय से चले आ रहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिये सूत्र तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सूत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री के॰ ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) तथा (ख). जैसा इस सदन में पहले कहा गया था, जब कि इस विवाद का कोई सन्तोषजनक हल निकालने के प्रयत्न जारी हैं, तो ब्यौरों की चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा ।

गुजरात में प्रशासनिक ढांचा

155. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1976 के दौरान गुजरात के प्रकाशित ढांचे में भारी फेरबदल करना शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस फेरबदल के क्या परिणाम निकले; और

(ग) प्रशासन को सुचारु ढंग से चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : भाग (क) तथा (ख). गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार द्वारा सभी स्तरों पर राज्य में प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय किये थे । राज्य प्रशासन से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को तेजी से से कार्य रूप देने और इसकी उचित निगरानी करने के लिये कहा गया है ।

जून, 1976 में राज्य सरकार ने अच्छे प्रशासन के हित में कुछ और उपाय किये थे जिससे वरिष्ट अधिकारियों के तबादले करने पड़े । उनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के सन्दर्भ में शहरी विकास और स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के मामलों की ओर अधिक ध्यान । सचिवालय में पंचायत तथा स्वास्थ्य विभाग दो अलग-अलग विभागों अर्थात् (क) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन विभाग और (ख) पंचायत तथा आवास व शहरी विकास विभाग को विभाजित किया गया ;

(2) 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के सन्दर्भ में सहकारिता आन्दोलन को क्रियाशील बनाना ;

(3) तीन महीने से अधिक पुराने लम्बित मामलों को निपटाने के लिये पहली जुलाई से बकाया कार्य के निपटान के लिये अभियान शुरू किया गया था जिससे लम्बित मामलों की 25 प्रतिशत संख्या घट गई । यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा ;

(4) प्रत्यावर्तित की जानेवाली शक्तियों को जानने और उन पर रिपोर्ट देने और लोक सम्पर्क के क्षेत्रों को जानने के लिए सचिवालयों में विभाग-वार विशेष दस्तों का गठन किया गया है ;

(5) विवरणयों तथा फार्मों का पुनरीक्षण करने तथा अनावश्यक फार्मों को समाप्त करने हेतु विशेष दस्तों का भी गठन किया गया है ;

(6) कार्य प्रणालियों का सरलीकरण, कर्मचारियों इत्यादि के प्रशिक्षण द्वारा कार्य-कुशलता में सुधार ;

(7) अनुशासन तथा समय पर उपस्थिति और भ्रष्टाचार तथा अकुशल कर्मचारियों को उनकी 50/55 आयु होने पर छंटनी करने के लिये भी आरम्भ किये गये उपायों का गहन किया गया है ;

(ग). केन्द्रीय सरकार राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने तथा कार्यकरण को सुगम बनाने के लिये राज्य सरकार से निकट का सम्पर्क बनाये हैं ।

Cost of Production of Scooters

156. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Industry be pleased to refer to the reply given on the 28th January, 1976 to Unstrarred Question No. 1344 regarding black marketing in scooters and state the scooter production cost at present in public and private sectors, make-wise separately ?

Minister of Industry (Shri T.A. Pai) : Approved ex-factory retail selling prices of the various makes of scooters, which are in commercial production are shown below :—

NAME OF THE MODEL	EX-FACTORY RATAIL SELLING PRICES INCLUDING DEALERS' COMMISSION.
	(Rs.)
1. Bajaj	3133·52
2. A.P.L.i) Lambretta	3740·00
(ii) MAC	3909·00
3. Rajdoot	3256·42
4. Vijai Deluxe	3710·00

Out of the above makes of scooters only one make *i.e.* 'Vijai Deluxe' is produced in the public sector.

ऊर्जा के उत्पादन के लिए लकड़ी के स्थान पर कोयले अथवा लिगनाइट का उपयोग

157. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के इंधनों से, विशेष कर लकड़ी जलाने से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) लकड़ी से ऊर्जा प्राप्त करने में भारी अपव्यय को देखते हुये, लकड़ी के स्थान पर, सौर ऊर्जा के लिये प्रयोग करने के साथ-साथ, कोयले अथवा लिग्नाइट का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क). पिछले वर्ष (1975-76) में विभिन्न प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त उर्जा की प्रतिशतता, कोयला प्रतिस्थापन मात्रा के रुप में निम्नलिखित थी :—

कोयला . . .	21.0 प्रतिशत
तेल	30.5 प्रतिशत
जल तथा न्युक्लीय विद्युत् .	8.0 प्रतिशत
जलाऊ लकड़ी	26.5 प्रतिशत
गोबर	6.0 प्रतिशत
बेकार बनस्पति	8.0 प्रतिशत

(ख). जलाऊ लकड़ी का स्थान तत्काल ही, ऊर्जा की अन्य किस्में पूर्ण रूप से ले लें, इस प्रकार की व्यवस्था देश की ऊर्जा नीति में नहीं है ? फिर भी, घरेलू क्षेत्र के लये साफ्ट कोक और ब्रीकेट की व्यवस्था इसमें की गई है। बिना धुएं वाले ठोस घरेलू ईंधनों का उत्पादन करने के लिये दो निम्न तापमान वाले कारबनाइजेशन प्लान्ट की स्थापना की जा रही है। भोजन पकाने के लिए विशेषकर देहाती क्षेत्रों में, भोजन पकाने के लिये और ऊर्जा का उपयोग मध्यम तापमान के के लिए बनाए जाने वाले संग्राहकों (कलेक्टर)/संकेन्द्रकों (कन्सन्ट्रेटर) के विकास पर निर्भर होगा। इस समय इन संग्राहकों/संकेन्द्रकों के बारे में अनुसन्धान तथा विकार कार्य हो रहा है। वर्तमान समय में ऊर्जा की जो आवश्यकतायें लकड़ी से पूरी की जानी हैं उन्हें पूरा करने में जैव गैस के प्रयोग से सहायता मिलेगी।

सेक्स, हिंसा तथा अपराध से भरी फिल्मों का सेंसर

158. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के निदेश के बावजूद सेंसर बोर्ड ने, आपात स्थिति के दौरान कुछ ऐसी हिन्दी फिल्मों को पास किया है जिनमें हिंसापूर्ण तथा आपराधिक गतिविधियों एवम् सेक्स की भरमार है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रदर्शित हो रही ऐसी फिल्मों को जो सरकार की हाल ही में घोषित सेंसर, नीति तथा सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है की उचित जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड उन अधिकारों जो चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत उसमें निहित हैं, का प्रयोग करते हुए फिल्में सेंसर करता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय पर जो सामान्य कानूनी निर्देश जारी किये हुए हैं उनका वह अपने पूरे विवेकानुसार पालन करता है। ये निर्णय अर्ध-न्यायिक होते हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन या बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों की जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

159. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 और 1976–77 के लिए मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत योजनाएं क्या हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च होगा;

(ख) प्रत्येक के लिए निर्धारित समय क्या है; और

(ग) उनके अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली लगने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वर्ष 1975-76 तक 1976-77 (31-7-1976 तक) के दौरान निगम ने 1,965.747 लाख रुपये की कुल लागत वाली मध्य प्रदेश की 52 ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं 1,832.059 रुपये की ऋण सहायता के लिए स्वीकृत की हैं। प्रत्येक योजना का नाम, लागत तथा स्वीकृत ऋण राशि संलग्न विवरण में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11006/76]

(ख) निगम द्वारा स्वीकृत की गयी योजनाओं को 5 वर्ष तक की अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम बनाया जाता है। प्रत्येक योजना को पूरा करने के लिए निर्धारित अवधि भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण में दी गयी है।

(ग) पूरा हो जाने पर ये योजनाएं 2,090 गांवों को बिजली देंगी।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की मंजूरी

160. **श्री दयालार रवि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में 8 बार वृद्धि दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : क्योंकि सैनिक स्कूलों का व्यय बुनियादी तौर पर राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्ति के धन से और जूनियर कमीशन अफसरों तथा अन्य रैंकों के बच्चों के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धन से पूरा किया जाता है अतः छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने के बारे में निर्णय होने तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में 8 बार वृद्धियों का अब तक भुगतान कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

छात्रवृत्ति की दर 2,400 रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्र से बढ़ा कर 4,000 रुपए करने के लिए एक मामला प्रारम्भ किया गया है और इसे बोर्ड आफ गवर्नरों की आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

उस पर निर्णय हो जाने तक स्कूलों को निम्नांकित शर्तों के अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की 8 वृद्धियों के भुगतान का प्रबंध करने के लिए निदेश जारी कर दिये गये हैं :—

(1) कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते स्थानीय प्रशासन बोर्ड के सुस्पष्ट अनुमोदन और संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त कर लेने के पश्चात् किया जाएगा।

(2) महंगाई भत्ते की इन 8 (आठ) किस्तों की अदायगी के लिए स्कूल के रिजर्व फंड का उपयोग नहीं किया जाएगा।

(3) तथापि, इस दायिता को पूरा करने के लिए स्कूल सहायक गतिविधियों से वर्तमान शुद्ध राजस्व आय का उपयोग कर सकता है।

जब कभी और जहां कहीं स्कूल अतिरिक्त महंगाई भत्ते, बताये गये स्रोतों से मंजूर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो उन्हें कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन बोर्ड और राज्य सरकारों को स्कूल की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति मंजूर की गई छात्रवृत्ति की दर से अधिक व्यय से अवगत कराते हुए, छात्रवृत्ति की राशि में उपयुक्त वृद्धि करने तथा तदर्थ अनुदान के लिए संबंधित राज्य सरकार से प्रस्ताव करें।

इन अतिरिक्त महंगाई भत्तों के भुगतान पर अनिवार्य जमा योजना की व्यवस्थाएं लागू होंगी।

नशे की हालत का पता लगाने के लिए गेजेटों का उत्पादन

161. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन चालकों की नशे की हालत का पता लगाने के लिए एक गेजेट का विकास किया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस उपकरण का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ कर दिया गया हैं क्योंकि पंजाब जैसे कुछ राज्य तुरंत ही उपयोग बड़े पैमाने पर करने को उत्सुक हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० मौर्य): (क) जी, हां। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रुमेंट्स आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़ में ड्राइवरों में नशे की हालत का पता लगाने के लिए एक उपकरण को आद्यरूप तैयार किया है।

(ख) इस समय सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रुमेंट्स आर्गेनाइजेशन इस आद्यरूपां का प्रयोगशाला में परीक्षण कर रहा है। एक बार इस उपकरण से उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि हो जाने पर इसे वाणिज्यिक स्तर पर तैयार करना शुरू कर दिया जाएगा।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना

162. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रहन-सहन पर अधिक खर्च को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने भी कर मुक्त आय की सीमा बढ़ा दी है, क्या सरकार का विचार स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन की सीमा भी 500 रुपये मासिक आय से बढ़ाकर 750 रुपये मासिक आय अथवा 8000 रुपये वार्षिक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार का वार्षिक आय की वर्तमान सीमा, जो 5,000 रुपये वार्षिक है, को बढ़ाने का विचार नहीं है।

ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में घुड़दौड़

163. **श्री मुरासोली मारन** : या **गृह** मंत्री तमिलनाडु में घुड़दौड़ के बारे में 5 मई, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3306 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में घुड़दौड़ के बारे में इस बीच सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ख) तक. अब तक इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

महाराष्ट्र में आदिवासी हथकरघा बुनकरों को सुविधायें

164. **श्री राम हेडाऊ** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में हथकरघों पर काम करने वाले आदिवासी बुनकर, अर्थात् "हलबा-कोष्टी", को आदिवासियों को दी जाने वाली सुविधायें दी जा रही थीं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ये सुविधायें किस आधार पर दी जा रही थीं;

(ग) यदि नहीं, तो इन सुविधाओं को बन्द कर देने के क्या कारण हैं; और

(घ) आदिवासी बुनकरों तथा स्कूल तथा कालेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के प्रति, उनकी छात्रवृत्तियां रोककर किये जा रहे अन्याय को रोकने के लिए, जिसके कारण उनकी पढ़ाई रुक गई है, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या तत्काल कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) तक. हलबा या हलबी जन जाति के महाराष्ट्र राज्य के (1) अमरावती जिले की मेलघाट तहसील, (2) चान्द जिले की गडचीरोली तथा सिरोन्चा तहसीलों, (3) यवतमाल जिले की केलापुर वानी तथा यवतमाल तहसीलों में एक अनुसूचित जन जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले हलबा अथवा हलबी समुदाय के सभी सदस्य, उनका व्यवसाय चाहे जो भी है, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध लाभों के हकदार हैं। कुछ बुनकर अथवा कोष्टी अपने को हलबा कोष्टी बताकर और यह असर डालकर कि वे हलबा हैं, अनसूचित जनजातियों के रूप में लाभ प्राप्त करते रहे हैं। प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र सरकार भी सारे विदर्भ में सभी हलबा कोष्टियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में लाभ दे रही है। महाराष्ट्र सरकार से कहा गया है कि लाभ केवल अनुसूचित जनजातियों अर्थात् निर्दिष्ट क्षेत्रों में रहने वाले हलबा अथवा हलबीयों को दिये जायें।

बिहार में गांवों का विद्युतीकरण

165. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ऋण की व्यवस्था करके बिहार राज्य में जिला-वार, कितने गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जिलावार लक्ष्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्कीमों के बारे में 31–3–76 तक की स्थिति के अनुसार दी गई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दिये गये ऋण से बिहार में 1,554 ग्रामों को बिजली दे दी गई है।

जिलेवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पांचवीं योजना का साइज और स्वरूप अभी निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, पांचवीं योजना की रूप-रेखा में बिहार में 1,542 गांवों को राज्य के सामान्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 7,500 गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंर्गत तथा 4,500 अतिरिक्त गांवों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तपोषित सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

जिलेवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दिये गये ऋण से बिहार में 31-3-1976 तक विद्युतीकृत ग्रामों की जिलेवार स्थिति :—

क्रम सं०	जिले का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1.	गोपालगंज	56
2.	चम्पारन–पूर्वी	13
3.	चम्पारन–पश्चिमी	37
4.	मुजफ्फ़रपुर	61
5.	सीतामढ़ी	23
6.	दरभंगा	72
7.	मधुबनी	20
8.	सहरसा	75
9.	पूर्निया	64
10.	मुंगेर	155
11.	बेगूसराय	57
12.	भागलपुर	20
13.	पटना	139
14.	नालन्दा	99

क्रम संख्या	जिले का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
15.	गया	116
16.	नवादा	119
17.	रोहतास	121
18.	भोजपुर	42
19.	संथाल परगना	30
20.	हजारीबाग	18
21.	रांची	123
22	सिंहभूमि	40
23.	पलामू	54
	जोड़ . .	1554

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कटौती के लिये सांविधिक व्यवस्था

166. **श्री पी० गंगादेव :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में 25 प्रतिशत कटौती के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई सांविधिक व्यवस्था किये जाने पर विचार कर रही है; और

(ख) मूल्यों को उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). सरकार फुटकर मूल्यों में 25 प्रतिशत की समान दर से कमी करने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था करने का विचार नहीं कर रही है। तथापि 1974 के मध्य में मूल्यों को उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए कई आर्थिक वित्तीय तथा प्रशासनिक उपाय किये गये हैं। जून, 1975 में आपात स्थिति की घोषणा के बाद से इन उपायों को बढ़ाया गया है तथा इनमें और तेजी लाई गई है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल, गेहूं तथा चीनी की आपूर्ति करने की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया है और उसे कारगर बनाया गया है। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 1974 के अन्त में 2.17 लाख से बढ़कर मई, 1976 में 2.42 लाख हो गई है। मिट्टी के तेल के वितरण के लिए फुटकर केन्द्रों की संख्या, जो 1974 के अन्त में एक लाख थी, को बढ़ाकर 2.29 लाख कर दिया गया है। नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए फुटकर केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 47,000 कर दिया गया है जबकि जुलाई 1975 से पहले इनकी संख्या 29,000 थी। उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य सनिश्चित करने की दृष्टि से पिछले एक वर्ष के दौरान शहरी तथा देहाती दोनोंही इलाकों में उपभोक्ता सहकारी फुटकर केन्द्रों की संख्या काफी बढायी गई है। नागरिक

पूर्ति और सहकारिता विभाग द्वारा की गई बातचीत के फलस्वरूप विनिर्माताओं द्वारा चाय, शिशु आहार, दियासलाइयों, साबुनों, अपमार्जकों के सामान्य ब्रांडो और जूतों की चुनी सामान्य ब्रांडों के मूल्यों में कमी की गई है। आपातस्थिति की घोषणा के तुरन्त बाद राज्य सरकारों ने ऐसे आदेश जारी किये जिनके अनुसार व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे आवश्यक वस्तुओं के स्टाक तथा मूल्य प्रदर्शित करें। पैकेज में रखी गई वस्तु (विनियमन) आदेश, 1975 जो 2 अक्तूबर, 1975 से लागू हुआ है के अन्तर्गत विनिर्माताओं/वस्तुओं को पैक करने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक पैकेज पर मूल्य अंकित करें।

कुप्रबंध के कारण बी० सी० सी० एल० की कोयला खानों की खराब स्थिति

167. **सरदार स्वर्णसिंह सोखी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोयला खानों के क्षेत्र संख्या 1 में कोयला खानें कुप्रबंध तथा उपेक्षा के कारण खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या हाई ग्रेड कोकिंग कोल वाली इसकी कुछ पतली परतें 17 मई, 1976 को बंद कर दी गई हैं; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

बर्मा में मार्गदर्शी औद्योगिक संयंत्र

168. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश बर्मा में 16 मार्गदर्शी औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार संलग्न सूची के अनुसार 16 मार्गदर्शी औद्योगिक संयंत्र लगाने के लिए सहमत हो गयी है। ये मार्गदर्शी औद्योगिक संयंत्र भारत के तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। भारत सरकार परियोजना के लिए अपेक्षित उपकरण तथा मशीनें उपलब्ध करायेगी तथा उन्हें चलाने के लिए भारतीय विशेषज्ञ भी उपलब्ध करायेगी। बर्मा सरकार आवश्यक अवस्थापना संबंधी सुविधाएं तथा इन संयंत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित समान विशेषज्ञों की व्यवस्था भी करेगी।

विवरण

1. कार्यशाला के लिए अवस्थापना संबंधी सुविधाएं
2. बेन्टोनाइट
3. मिलटोन
4. संतरे का रस
5. सोडियम एग्निनेट
6. स्ट्रा बोर्ड फ़िल्टर पेपर
7. हार्ड बोर्ड
8. बेंच स्केल पेपर मिल्स
9. डिस्टिलेशन कालम
10. मैंगनीज डाइ आक्साइड
11. इलैक्ट्रो-केमिकल मेटेलर्जी
12. कैलशियम कारबाइड
13. सरेस और जिलेटीन
14. मेन्था कल्टीवेशन
15. पोटाशियम शिग्रोनाइट
16. गामा इरेडिएटर।

Implementation of 20-Point Programme

169. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the progress made by each State in the implementation of 20-Point economic programme; and

(b) whether the progress in this regard in some States is not satisfactory?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Shankar Ghosh): (a) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library See No. L. T. 11007/76]

(b) No Sir.

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

170. **श्री वी० बी० नायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युतीकरण के लिए निर्धारित और राज्य विद्युत् बोर्डों को सौंपी गई राशियों का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य विद्युत् बोर्डों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा स्वीकृत योजनाओं को 5 वर्ष तक की अवधि में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया जाता है। निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशि इन योजनाओं के कार्यान्वियन संबंधी कार्यक्रम के अनुसार ही किस्तों में दी जाती है। ऋण की किस्तें हमेशा अग्रिम रूप से दे दी जाती हैं, पहली किस्त ऋण संबंधी आवश्यक कागजातों का निष्पादन कर दिये जाने पर दी जाती है और दूसरी तथा बाद की किस्तें तब दी जाती हैं जब राज्य बिजली बोर्ड उन्हें पहले ही दे दी गई निधियों का उपयोग कर लेने और वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर लेने के कार्य में निर्धारित स्तर पर पहुंच जाते हैं।

बोर्डों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, कुछ राज्यों में निधियों का प्रयोग संतोषजनक नहीं रहा। ऐसे मामलों में, स्थिति को सुधारने के लिए निगम संबंधित बोर्डों का ध्यान मामले की ओर आकर्षित करता है। यदि इतने पर भी निधियों के उपयोग संबंधी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता तो नयी योजनाओं को आगे स्वीकृति प्रदान करना तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक कि सुधार नहीं हो जाता। एक समय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और बिहार के मामले में अस्थायी तौर पर ऐसा करना पड़ा था।

बिजली के भारतीय केबिलों की विश्व में मांग

171. श्री डी० के० पंडा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बने बिजली के केबिलों की सारे विश्व में भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या भारतीय निर्माता इस निर्यात सम्भावना का लाभ नहीं उठा सके हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). समुद्रपार के देशों, विशेष कर तेल के विषय में समृद्ध देशों जैसे नाइजीरिया, लीबिया, दुबई, आदि के साथ ही थाईलैण्ड, सिंगापुर, फिलीपीन, मलयेशिया, बंगलादेश, आदि जैसे देशों में जिन्हें एशियायी विकास बैंक से अपने विद्युत् वितरण व्यवस्था का विस्तार करने के लिये पर्याप्त धनराशि मिली है विद्युत् केबिलों की काफी मांग है। सोवियत रूस में भी इनकी काफी मांग है।

(ग) भारत के निर्यातक निर्यात की इस सम्भाव्यता की खोज में रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान 1973–74 में हुये 11.54 करोड़ रुपये की अपेक्षा 1974–75 में 17.25 करोड़ रुपये की और 1975–76 में 22.43 करोड़ रुपये के निर्यात की वृद्धि हुई थी। 1976–77 के लिये 25 करोड़ रुपये तथा 1978–79 के लिये 30 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय प्रस्तावों को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए विभिन्न वर्ग के विद्युत् तारों और केबिलों के आयात प्रतिस्थापन लाइसेंसों और नकद प्रतिपूर्ति के लिये मंजूरी दे दी है।

कनाडा से आणविक सहायता का पुनः आरम्भ किया जाना

172. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आणविक सहायता पुनः आरम्भ किये जाने के बारे में कनाडा सरकार से चल रही बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप हुये समझौते का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सामग्री के लिये हम विदेशों पर किस हद तक निर्भर हैं और यह निभरता कम करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) परमाणु विद्युत् परियोजनाओं को पूरा करने के लिये आवश्यक उपकरणों के आयात के लिये भारत विदेशों पर कोई खास ज्यादा निर्भर नहीं है । विद्युत् परियोजनाओं के लिये अपेक्षित नाजुक किस्म के उपकरण या तो पहले से ही देश में बनाये जा रहे हैं या अब उन्हें बनाने का काम चल रहा है ।

भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग

173. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महराष्ट्र में भू-तापीय ऊर्जा का अनुमान लगाने के लिये कोई भू-गर्भीय जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) इस नयी ऊर्जा का उपयोग सरकार कब तक कर सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). भू-तापीय क्षमता के बारे में सुनिश्चित पता करने के लिये हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में, महाराष्ट्र में पश्चिमी समुद्र-तट के साथ-साथ तथा जम्मू और कश्मीर में पूगा घाटी में इस समय अन्वेषण कार्य किया जा रहा है । पूगा घाटी में एक सतही भू-तापीय जलाशय मिला है तथा भंडारों का सुनिश्चित पता करने के लिए और अन्वेषण किये जा रहे हैं । पार्वती घाटी में और पश्चिमी समुद्र-तट के साथ-साथ किये जाने वाले अन्वेषण कार्य प्रारम्भिक अवस्था में हैं ।

(ग) भू-तापीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत् उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिये किया जाना इस समय चल रहे विभिन्न अन्वेषणों और अध्ययनों के परिणामों पर निर्भर होगा ।

भूतपूर्व राजदूतों तथा उच्च अधिकारियों द्वारा अपने संस्मरणों का प्रकाशन

174. **श्री यमुना प्रसाद मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से आग्रह किया गया है कि वह भूतपूर्व राजदूतों तथा सरकार के अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा उनके संस्मरणों के प्रकाशन पर रोक लगाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्छ जिले के अंजर ताल्लुक में खडाई गांव में कृषि श्रमिकों पर हमला

175. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान गुजरात में कच्छ जिले के अंजर तालुक के खेडोई गांव के कृषि श्रमिकों और बंधित मजदूरों पर जमींदारों और उनके गुंडों द्वारा किये गये आक्रमण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(ग) अपराधियों को दण्डित करने और कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आसाम के शिवसागर जिले में लकवा नामक स्थान पर बिजली संयंत्र

176. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के शिवसागर जिले में लकवा नामक स्थान पर एक ऐसे बिजली संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है, जिसमें अब तक की उफलती आ रही है प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या आसाम में 1980 से पहले बिजली पैदा करने वाली अन्य परियोजनायें भी हैं, जबकि मेघालय स्थित बांसपानी योजना से बिजली मिलना बन्द हो सकता है ।

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). असम के शिवसागर जिले में लकवा में गैस टर्बाइन उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है । 3 × 15 मेगावाट के गैस टर्बाइन उत्पादन सेटों को प्रतिष्ठापित करने की व्यवस्था प्रस्तावित परियोजना में की गई है जिनमें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के समीपवर्ती तेल क्षेत्रों की गैस का उपयोग होगा ।

(ग) असम में बोंगईगांव में (2 × 60 मेगावाट की) एक ताप-विद्युत् परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है और 1979–80 के दौरान इसके चालू हो जाने की आशा है ।

कर्नाटक के पिछड़े जिलों में नए उद्योगों का विकास

177. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य के पिछड़े जिलों में नए उद्योगों के विकास को तीव्र करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इससे लाभान्वित हुये जिलों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्री श्री टि ए० पै : (क) कर्नाटक राज्यसहित सारे भारत के पिछड़े जिलों में नये उद्योगों के विकास की गति तेज न करने के लिये उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) 15 प्रतिशत सीधा केन्द्रीय अनुदान या राज सहायता देना ।

(2) अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त दिलाना ।

(3) आयकर में कुछ रियायतें देना ।

(ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े निम्नलिखित जिले रियायती दर पर वित्त पाने के योग्य हैं :—

बेलगांव, बीदर, बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, उत्तरी कनारा, रायपुर, दक्षिण कनारा और तुनकर ।

इनमें से रायचूर, धारवाड़ और मैसूर सीधे केन्द्रीय अनुदान/राजसहायता पाने के योग्य हैं ।

उद्यमशीलता का विकास

178. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघुउद्योग क्षेत्र में प्रति एक लाख रुपये के पूंजी निवेश पर 21 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है जो बड़े उद्योग क्षेत्र में उतने ही पूंजी निवेश पर रोजगार से चार गुना अधिक है ;

(ख) क्या यह निर्णय लिया गया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के औद्योगिक विकास हेतु कुल परिव्यय का 60 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाएगा ;

(ग) क्या देश के चुने गए 12 जिलो में उद्यमशीलता के विकास का काम विशेष कार्यक्रम के रूप में किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) जी, हां।

(ख) पांचवीं योजना के मसौदे में केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के परिव्यय का करीब 60 प्रतिशत पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं, ग्रामीण व शिल्पी कार्यक्रम, समुपयुक्त प्रौद्योगिकी और शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थानों की योजनाओं के लिये दिया गया है।

(ग) और (घ): अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ को सहायता से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में लघु उद्योगों में उद्यमिता के विकास के लिये प्रारम्भिक अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं।

इन जिलों में उद्यमिता तथा इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए साधनों और मांगों का अनुमान लगाने के लिये राज्य सरकारों की सहायता से और आगे गहन अध्ययन शुरू किया जा रहा है।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों के स्थान पर एक आयोग की स्थापना

179. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के स्थान पर कृषि मूल्य आयोग की तरह औद्योगिक मूल्य आयोग, स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांधी दर्शन और कार्यक्रमों का प्रचार करने वाले विभिन्न संस्थानों का कार्यकरण

180. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद् सदस्यों ने गांधी दर्शन और कार्यक्रमों के प्रचार के लिये प्रारम्भ किये गये कई संस्थानों के कार्यकरण और गतिविधियों की जांच किये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संस्थानों की निधियों के दुरुपयोग किये जाने और इनके द्वारा विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त किये जाने की शिकायतों के बारे में जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के बारे में तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) : पूछताछ की जा रही है।

पूर्वी क्षेत्र में वृहत तापीय बिजली घर

181. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वि क्षेत्र में वृहत तापीय बिजलीघर की स्थापना के लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सैक्टर में, फ़रक्का में, एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

बम्बई में डाइनामाइट छड़ों का पकड़ा जाना

182. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में ऐसे कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिन के पास बड़ौदा जैसी किस्म की डाइनामाइट छड़ें थीं ; और

(ख) इस संबंध में की गई जांच का क्या निष्कर्ष निकला ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) 26-6-76 को किंगस सर्किल रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल पर विस्फ़ोट के एक मामले की जांच पड़ताल के समय बम्बई गुप्तचर अपराध शाखा ने 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बम्बई पुलिस ने डाइनेमाइट छड़ों समेत विस्फ़ोटक सामग्री बरामद की है। सी० बी० आई० ने जांच पड़ताल का कार्य हाथ में ले लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

बडे अग्निकाण्डों तथा विस्फोटकों तथा अन्य खतरनाक वस्तुओं संबंधी मामलों की तकनीकी की जांच

183. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में तकनीकी अधिकारियों ने सभी कितने बड़े अग्नि कांडों और विस्फ़ोटकों तथा अन्य खतरनाक वस्तुओं संबंधी मामलों की तकनीकी जांच की, और

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिन में देशी बमों अवैध गतिविधियों के लिये उपयोग में लाई गई आग लगाने वाली तथा अन्य खतरनाक वस्तुओं के बारे में जांच की गई तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख): 1975-76 के दौरान मुख्य विस्फ़ोटक नियंत्रक ने विस्फ़ोट के 54 मामलों में पूछताछ की और 276 बमों तथा अन्य खतरनाक वस्तुओं की जांच की जो अवैध गतिविधियों के लिये उपयोग में लाई गई थीं।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

184. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री के० लक्प्पा :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों, चीनी, आलू और कपड़ा जैसी आम उपयोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल में चिन्ताजनक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) बढ़ते हुये मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किये हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : पिछले थोड़े समय से आम खपत को आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों का रवैया एक जैसा नहीं रहा है। गेहूं, दालों, मिटटी के तेल, सोडा राख तथा साबुनों जैसी कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्य या तो स्थिर रहे हैं या उनमें कमी हुई है। तथापि, खाने के तेल, चीनी, आलू तथा कपड़े जैसी कुछ दूसरी वस्तुओं के मूल्यो में वृद्धि हुई है। यह आम बात है कि हर वर्ष कमी के समय मूल्यों में वृद्धि होती है। इस वर्ष इस वृद्धि को कुछ हद तक वर्षा आरम्भ होने में विलम्ब होने और बरसात के मौसम के शुरु में कम बारिश होने से बल मिला। कपड़े के मूल्यो में वृद्धि का कारण कपास के मूल्यों का बढ़ना है जो उसके उत्पादन में हुई कमी के कारण बढ़े है।

(ग) राज्य सरकारों ने सटटेबाजी तथा जमाखोरी को रोकने के लिये अपने प्रवर्तन तंत्र को तेज कर दिया है। सीधी खपत के लिये मूंगफ़ली के तेल की सप्लाई को बढ़ाने की दृष्टि से वनस्पति विनिर्माताओं के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया हैं कि वे वनस्पति तैयार करने में 50 प्रतिशत मात्रा में आयातित तेलों का प्रयोग करें। खाद्य तेलों का आयात बढ़ा दिया गया है। एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अगस्त 1976, के लिये 20 हजार मीटरी टन नान-लेवी चीनी का अतिरिक्त कोटा मुक्त किया गया है। आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया हैं। स्वदेशी स्टाक को बढ़ाने के लिये कपास का आयात किया जा रहा है।

गैर-सरकारी उद्योग में बाधा

185. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1976 को मद्रास में फ़ेडरेशन आफ़ इंडियन चैम्बर्स आफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसीडेंट द्वारा दिये गये इस आशय के प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र का उद्योग आर्थिक प्रगति के लिये इस समय विद्यमान अनुकूल स्थिति का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ है. क्योंकि यह सामान्य इक्विटी पूजीं जुटाने में असमर्थ है ;

(ख) इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता के पूरे उपयोग और विस्तार के बारे में उद्योग के सामने आई बाधाओं के स्वरूप के संबंध में एफ़० आई० सी० सी० आई० और सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1975-76 की अवधि में गैर-सरकारी कंपनीयों द्वारा जुटाई गई पूंजी के बारे में निम्नलिखित सूचना से यह पता चलता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 3967.91 लाख रुपये की वृद्धि हुई थी।

वर्ष	(रु० लाख में)
1974-75	13,873.50
1975-76	17,841.41

इस के अतिरिक्त सिक्यूरिटी मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक जो मई, 1976 में बिल्कुल नीचे गिर गया था (1970-71-100) उस में जून, 1976 में सुधार हुआ, जिससे पता चलता है कि बाजार में सुधार हुआ है जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार होने से उत्पन्न हुई है। बाद की स्टाक मार्केट रिपोर्टों से भी पता लगता है कि शेयर मूल्यों में और भी सुधार हुआ है।

(ग) फ़ेडरेशन आफ़ इंडियन चैम्बर्स आफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री तथा सरकार के बीच उद्योगों द्वारा महसूस किये गये अवरोधों के बारें में कोई विशेष बार्ता नहीं हुई है। फ़िर भी, अवरोधों सहित उद्योग के विभिन्न पहलुओ पर सरकार के साथ विभिन्न मंचों पर ऐसे उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् विकास परिषदों नामित व्यक्तियों आदि में चर्चा की जा रही है।

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

186. **श्री एम० कत्तामुत्तु** : क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इन उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं ने कृत्रिम कमी उत्पन्न करने के लिये जानबुझकर उत्पादन में कमी की है जिससे मूल्य स्तरों को ऊंचा रखा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) एक विवरण संलग्न है जिस में उपभोज्य वस्तुओं के विभिन्न उद्योगों का वर्ष 1976 के पहले छः महीनों का उत्पादन उस से पहले के वर्ष की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में दिया गया है। कुल 37 में से केवल 9 वस्तुओं के उत्पादन में कमी हुई है। इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि बनावटी अभाव पैदा करने के लिये इन उपभोज्य वस्तुओं

के निर्माताओं ने जानबूझकर उत्पादन में कमी की है। इसलिये उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11008/76]

औद्योगिक कच्चे माल की केन्द्रीय एजेंसी

187. **श्री वरके जार्ज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक कच्चे माल का रक्षित भंडार बनाने के लिये सरकार का विचार एक केन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार की इच्छा महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से उन का प्रचुर मात्रा में स्टाक करने की है, फिर भी ऐसे सामग्री का रक्षित भण्डार बनाने के लिये एकमात्र नई एजेंसी स्थापित करने का कोई भी विचार नहीं है।

Criterion for Giving Newspaper Advertisements

189. **Shri M. C. Daga:** Will the **Minister of Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the criterion for giving Government advertisements as also the criterion for giving them in daily newspapers;

(b) the number of Hindi dailies published in Delhi and the amount paid to them for such advertisements by Government during the last three years, month-wise and year-wise, separately; and

(c) whether there are such daily-newspapers also which are given no advertisements by Government and if so, the names thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) In selecting newspapers and periodicals for Government Advertisements, the following considerations are generally kept in view:—

(i) adherence to accepted standards of journalistic ethics;

(ii) regularity in publication;

(iii) category of the publication i.e. small, medium or big and also having regard to the place of its publication and circulation.

(b)

Year	No. of Hindi dailies published	Amount paid annually
		Rs.
1973	9	7,69,153
1974	7	7,89,962
1975	9	11,24,400

Records are not maintained monthwise.

(c) No record is maintained of daily newspapers which are not used for Government advertisements.

मीजो नेशनल फ्रण्ट के नेता के साथ समझौता

190. **श्री के० मालन्ना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीजो नेशनल फ्रंट के छिपे नेता श्री लालडेंगा ने हिंसा त्यागने का निर्णय किया हैं और यह स्वीकार किया है कि मिजोरम भारत का एक अभिन्न भाग है ;

(ख) क्या भारतीय संविधान के उपबन्धों के अधीन इस संबंध में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख). जी हां, श्रीमान् ।

(ग) मिजो नेशनल फ्रंट प्रतिनिधि मण्डल ने एक हस्ताक्षर किये गये दस्तावेज में यह बात स्वीकार की है कि मिजोरम भारत का अभिन्न भाग है और भारतीय संविधान के उपबन्धों के अधीन मिजोरम की सभी समस्याओं के हल को स्वीकार करने के अपने संकल्प की सूचना भारत सरकार को दी ।

प्रतिनिधि मंडल मिजोरम में जल्दी ही सद्भाव और शान्ति का वातावरण उत्पन्न करने के लिये हिंसा त्यागने और सभी गतिविधियों को स्थगित करने के लिये सहमत हुआ । उपरोक्त उद्देश्यों के बढ़ावे के लिये भूमिगत प्रतिनिधि मण्डल सभी भूमिगत लोगों को उनके हथियारों तथा गोलाबारूद के साथ उनकी स्थापना के बाद एक ही महीने के अंदर परस्पर समस्त शिविरों में एकत्रित करने को सहमत हुआ और हथियारों तथा गोलाबारूद को भारत सरकार को सौंपने के लिये भी राजी हुआ ।

मिजोरम सरकार ने अपनी ओर से पहले 6 जुलाई, 1976 से तीन महीने की अवधि के लिये कार्यवाही स्थगित कर दी हैं । परन्तु इस प्रकार का स्थगन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करने वाले भूमिगत लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और विधि व व्यवस्था बनाये रखने पर लागू नहीं होगा ।

यह सहमति हुई कि बातचीत आगे जारी रखी जाय ।

इस्पात की पाइप और ट्यूब उद्योग में उत्पादन का विविधिकरण

192. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की पाइप और ट्यूब उद्योग को विविध प्रकार का उत्पादन करने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) जी, हां ।

(ख) अपनी अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग करने हेतु उद्यमियों को यथावश्यक परिवर्तन करने की अनुमति देने की सरकारी नीति के अनुसार ऐसा किया गया है ।

जूते और चप्पल

193. चौधरी राम प्रकाश: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शीघ्र ही 'नागरिक' जूते और चप्पलों की बिक्री करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा ये वस्तुयें किस तिथि तक बाजार में आ पायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने व्यापारिक नाम 'नागरिक' के अन्तर्गत उपभोक्ता की आम वस्तुयें बनाने तथा उन्हें बेचने की एक योजना प्रस्तुत की है। वस्तुओं की सूची में चमड़े के जूते तथा चप्पलों को शामिल किया गया है ।

(ख) निगम से एक विस्तृत प्रस्ताव देने के लिये कहा गया है जिसमें वित्तीय स्थिति जैसे निवेश और व्यय को प्रावस्थाबद्ध करने तथा निधियों की व्यवस्था किस प्रकार करने का विचार है, लाभ कितना होगा तथा आवश्यक स्टाफ आदि के बारे में सूचना दी गई हो तथा इन विस्तृत ब्यौरों की प्रतीक्षा है :

'आंसुका' तथा भारत सुरक्षा अधिनियम के प्रयोग के बारे में राज्यों को अनुदेश

194. श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न वस्तुओ के मूल्यों में कमी लाने के लिये 'आंसुका' तथा भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत शक्तियो का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को हाल हो में कोई अनुदेश जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) जून-जुलाई, 1976 में प्रधानतः व्यापारियों के कुराचार के कारण कुछ अनिवार्य वस्तुओं जैसे खाने के तेल, रुई के मूल्यों में वृद्धि के समाचारों को देखते हुये राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यों पर कड़ी निगरानी रखने और जमाखोरों और चोर बाजारी करने वालों और सट्टेबाजों के विरुद्ध आंसुका व भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के प्रयोग समेत कड़ी कार्यवाही करने की सलाह दी गई है ।

आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, भारत सुरक्षा नियमों और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत की गई गिरफ्तारियां

195. श्री अमर सिंह चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ बेईमान व्यक्तियों और व्यापारियों द्वारा कुछ वस्तुओं की जमाखोरी और तस्करी करने के कारण हाल के महीनों में उनके मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) ऐसे बेईमान, समाज विरोधी तथा अन्य व्यक्तियों और व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो देश की वर्तमान स्थिति और आपात स्थिति के अनुरूप कार्य नहीं करते; और

(ग) आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम, भारत सुरक्षा नियमों और आवश्यक वस्तु अधिनियम, के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में ऐसे कितने व्यक्ति और व्यापारी गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार जुलाई, 1976 के पहले पखवाड़े में कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि देखी गई थी। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सतर्क रहने तथा जहां कहीं आवश्यक हो आंसुका तथा भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम के प्रयोग समेत जमाखोरों इत्यादि के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिये निदेश जारी किये गये थे। राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र शासनों ने जमाखोरी तथा काला बाजारी जैसे बेईमानी के धन्धों में लगे समाज विरोधी तत्वों और व्यापारियों की गतिविधियों को रोकने के लिये कदम उठाये हैं।

(ग) आंसुका / भारत सुरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नजरबन्द व गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या मालूम की जा रही है।

केरल में पिछड़े जिलों को दी गई केन्द्रीय राज सहायता की प्रतिपूर्ति

196. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि केरल के पिछड़े जिलों में औद्योगिक एककों को दी गई राज सहायता को चुने हुये पिछड़े जिलों के औद्योगिक एककों को केन्द्रीय राज सहायता योजना के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति की जाये;

(ख) यदि हां, तो 1973 के पश्चात् राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि दी तथा राज्य सरकार को अब तक कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गई; और

(ग) राज्य सरकार को शेष कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की जानी है तथा क्या राशि के भुगतान में कोई बिलम्ब है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पै) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा कुल वितरित की गई राशि 90.30 लाख रुपये है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक प्रतिपूर्ति की गई राशि 62.47 लाख रुपये है।

(ग) राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति के रूप में दावे की विचाराधीन बकाया राशि 27.63 लाख रुपये हैं। भुगतान करने में कोई भी बिलम्ब नहीं है।

Application of recommendations of Third Pay Commission to Staff Artistes of A. I. R.

197. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have recently declared that recommendations of Third Pay Commission would apply to the staff artistes of All India Radio with effect from 1971; and

(b) if so, the benefits to be received by the staff artistes of All India Radio thereby and the time by which arrears would be paid to them?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) & (b). The revised fee scales of staff artistes on the Sound side of A.I.R. on the analogy of the third Pay Commission's recommendations have been announced on 18th June, 1976. These take effect from 1st January, 1973. For the present implementation of the orders in so far as they relate to Journalistio Group has been stayed. The benefits that would accrue to the staff artistes by the said revision are given in the orders of 18th June, 1976 a copy of which is laid on the Table of the Sabha. Action to pay arrears of fee to staff artists is in progress.

[Placed in liberary. **See** No L.T. 11009/76]

रक्षा उपक्रमों के अधिकारियों को रिहायशी स्थान

198. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उपक्रमों के कनिष्ट अधिकारियों को कोई आवास सुविधा दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल गाडगिल) : (क) और (ख). कुछ रक्षा उपक्रमों के कनिष्ट अधिकारियों को आवास सुविधा दी जाती है। आवास किसी सीमा तक दिया जाता है। यह एक से दूसरे उपक्रम में अलग-अलग है।

केरल के लिये पाँचवीं योजना के लक्ष्य

199. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिये पांचवीं योजना के लक्ष्यों के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया हैं ;

(ख) चालू बजट के पुनरीक्षित योजना नियतन की तुलना में पांचवीं योजना के लिए केरल सरकार का लक्ष्य क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क), ख और (ग). योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में केरल समेत, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श हाल ही में पूरा किया है। इन विचार-विमर्श के आधार पर केरल समेत, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आकार और विषय-वस्तु पर योजना आयोग को अभी अन्तिम रूप से निर्णय करना है।

केन्द्र के विचाराधीन पड़े केरल के विधेयक

200. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास केरल सरकार के कितने विधेयक विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इन विधेयकों के बारे में अपना अन्तिम निर्णय बताने में सरकार कितना समय लेगी ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन) : (क) तीन विधेयक ।

(ख) तथा (ग). इन विधेयकों पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है और भारत सरकार का निर्णय राज्य सरकार को यथाशीघ्र बता दिया जायेगा ।

भाषायी समाचारपत्रों की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिये संगठन की स्थापना

201. **श्री वसन्त साठे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय भाषायी समाचारपत्र संगठन ने सुझाव दिया है कि देश में छोटे तथा मध्यम दर्जे के भाषायी समाचारपत्रों की वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करने के लिए एक अलग संगठन की स्थापना की जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का स्वरूप क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) छोटे तथा मध्यम दर्जे के भाषायी समाचारपत्रों की वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). 15 जुलाई, 1976 को बम्बई में हुए इंडियन लैंग्वेजेज न्यूजपेपर्स एसोसियेशन की 35वीं वार्षिक साधारण बैठक में बैठक के अध्यक्ष के भाषण में यह कहा गया था कि सरकार को समाचार-पत्र वित्त निगम बनाने के बारे में विचार करना चाहिए ।

(ग) और (घ). सरकार ने विज्ञापनों सहित सभी सुविधाओं के बारे में छोटे और मझौले दर्जे के समाचारपत्रों पर विशेष ध्यान देने का पहले ही निर्णय ले लिया है । जहां तक समाचारपत्रों के उत्पादन के लिए वित्त का सम्बन्ध है, सामान्यतया प्रिंटिंग प्रेस उद्योग के रूप में संस्थागत वित्त के पात्र हैं । फिलहाल किसी भी श्रेणी के समाचारपत्रों को धन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कोई निगम स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

छावनी बोर्ड नियम

202. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्डों के वर्तमान नियमों में परिवर्तन करने के बारे में सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनो की मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख). यह अनुमान किया जाता है कि माननीय सदस्य छावनी अधिनियम 1924 के संशोधन का उल्लेख कर रहे हैं। स्थिति 28 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2584 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई थी। उसके बाद से अन्तर विभागीय परामर्श पूरे कर लिये गये हैं और सिफारिशों को नया रूप दे दिया गया है। इन्हें शीघ्र ही पूरा कर लिये जाने की आशा है।

Non-aligned news agencies pool

203. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether any non-aligned nations news agencies pool has been set up or proposed to be set up at international level;

(b) if so, the broad outlines of its objects and working;

(c) the names of the countries which are likely to participate in it; and

(d) whether any meeting is likely to be held in this connection in the near future; and if so, the venue and date thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) Non-aligned Countries Press Agencies Pool was constituted by the Ministerial Conference of Non-aligned Countries held in New Delhi from 8--13th July, 1976.

(b) The objectives of the Pool *inter alia* are:

(i) To improve and expand mutual exchange of information and further strengthening of mutual cooperation among non-aligned countries; and

(ii) to facilitate dissemination of correct and factual information among non-aligned countries, their mutual cooperation and other subjects of common interest, among non-aligned countries as well as the international community in general.

The pool is not intended to substitute news exchange arrangements already existing among non-aligned countries or to be a supra-national news agency.

Broadly each participating news agency is entitled to transmit and to distribute news items within the frame-work of the Pool and can send daily an agreed wordage to one or more distributing agencies. All distributing news agencies will provide in their daily transmissions or newscasts a mutually agreed duration of time to be devoted to distribution of news received from other participants. Each news agency will endeavour, to the full extent of its possibilities to promote utilisation of the news and information carried on by the Pool, by publications, and radio and television stations using its services. The pool is founded on the principle of being a self-financing activity.

(c) The names of the countries participating in the pool is expected to be made known by the Coordination Committee of the pool, which was appointed by the Conference.

(d) A meeting of the Coordination Committee is likely to be held in the near future, but its venue and timing is not yet known.

Observance of self discipline and code of conduct by the Press

204. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the Press is discharging its responsibility by observing self-discipline and the code of conduct prepared by it; and

(b) whether Government keep a watch on the directives issued by them and the procedure followed in observance thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) The press is, by and large, observing self-discipline.

(b) Government does not issue any directives as such. Government however keep a watch to see that laws are not breached.

Industrial Production

205. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry** be pleased to state

(a) the percentage increase registered in industrial production in the first quarter of 1976 as compared to the production in the last quarter of 1975; and

(b) the main items of industrial production which have shown increase in production ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri B. P. Maurya): (a) According to the general index of industrial production compiled by the Central Statistical Organisation, industrial production during the first quarter of 1976 registered a rise of 8·1 per cent over the last quarter of 1975.

(b) A statement showing group-wise indices of industrial production during January—March 1976 compared with October—December 1975 is attached. [Placed in Library. *See* No. LT 11010/76].

Irregularities and Misappropriation in Nepa Mills

206. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given on the 17th March, 1976 to Unstarred Question No. 717 regarding irregularities and misappropriation in Nepa Mills and state the results of the enquiry into the complaint ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri B. P. Maurya): An enquiry regarding alleged irregularities and misappropriation in Nepa Mills was conducted but the allegations made in the complaint were not proved.

इंजीनियरी उद्योग का सर्वेक्षण

207. **श्री स० आर० दामाणी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के इंजीनियरी उद्योग में विद्यमान क्षमता इसके उपयोग, जन शक्ति के युक्तिसंगत उपयोग आदि का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उससे प्राप्त, प्रमुख समूहवार, निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) देश में निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रतियोगितापूर्ण मूल्यों पर अच्छे किस्म के माल तैयार करने के लिये इस उद्योग के कार्यकरण को सुनियमित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख). राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० द्वारा इंजीनियरी उद्योग की 667 इकाइयों का सर्वेक्षण निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया था :—

(1) अधिष्ठापित संयंत्र और उपकरणों तथा संयंत्रों के वास्तविक कार्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उद्योगों की वास्तविक अधिष्ठापित क्षमता का पता लगाना,

(2) इस बात का अनुमान लगाना कि अलग अलग उपक्रमों की क्षमता में बैलेंसिंग उपकरण लगाकर इस प्रयोजन के लिए कितना और निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी जिससे उनको क्षमता बढ़ाई जा सके। केवल एकक वार आकलन रिपोर्टें तैयार की गयी थी। प्रमुख वर्ग-वार निर्णय निगम को सौंपे गये कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं था।

(ग) क्षमता का पूरा उपयोग करने को बढ़ावा देने के बारे में सरकार की नीति के संदर्भ में निर्यात विकास का संवर्द्धन करने, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा करने के लिए उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक तकनीकी विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इन प्रयत्नों को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए एक-एक विशेष योजना तैयार की है। इस प्रयोजन के लिए एक तकनीकी विकास निधि की स्थापना की गई है।

इस निधि का उपयोग आई०डी०ए० के चुने हुए उद्योगों जैसे वाणिज्यिक गाड़ियां, ट्रैक्टरों, फोर्जिंग, ढलाई घरों, वस्त्र मशीनों और मशीनी औजारो में किया जायगा। जिन संगठनों को निर्यात क्रयादेशों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी आवश्यकताएं जरूरी समझी जायेंगी। वहां अन्य उद्यमों के बारे में भी विचार किया जायगा।

इस योजना के अधीन तेजी से सुधार करने वाले और समन्वित रूप में प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावो को प्राथमिकता दी जायेगी :—

(क) निर्यात क्षमता और निर्यात की मात्रा,

(ख) लागत में कमी करना,

(ग) क्षमता का उपयोग करना,

(घ) प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा करना,

(ङ) उत्पाद मिश्र को युक्तियुक्त करना, और

(च) आधुनिकीकरण और युक्तिसंगत बनाना।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित राजपत्रित पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव

208. **श्री झारखण्डे राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित राजपत्रित पदों के लिए अब तक कितने उम्मीदवारों का चयन किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सेवा अथवा किसी विभाग में आरक्षित रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के बारे में सरकार के ध्यान में कोई मामला आया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) संघ लोक सेवा आयोग समूह (ग्रुप) 'क' के पदों (इनमें सभी राजपत्रित) और समूह (ग्रुप) 'ख' के पदों (इनमें अधिकांश राजपत्रित, किन्तु कुछ अराजपत्रित होते हैं) पर भर्ती करता है। 1974-75 और 1975-76 वर्षों के दौरान आयोग ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कुल 1319 उम्मीदवारों की सिफारिश की है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में लघु तथा कुटीर उद्योगों को सहायता

209. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों द्वारा चलाये जा रहे लघु तथा कुटीर उद्योगों को अधिक सहायता नहीं दी है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को राज्य में इन लघु एककों को चालू वर्ष के दौरान और अधिक सहायता देने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार की सहायता दी जायेगी; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान किन क्षेत्रों तथा जिलों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (घ). जनजातीय क्षेत्रों को लघु और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए उल्लेखनीय सहायता दी गई थी किन्तु हाल ही में जनजातीय क्षेत्रों को तेजी से विकास करने के लिए हाल ही में एक विशद योजना शुरू की गई है। एक जनजातीय उपयोजना भी तैयार की गई है, जिसके लिए 1976-77 की वार्षिक योजना में 18.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें भड़ोच, पंचमहल, सूरत, बालसाद, बदोदरा, साबरकण्ठा और डॉग्स इन सात जिलों के 32 तालुके शामिल हैं जिनमें राज्य की कुल जनजातीय आबादी की 72.30 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। जनजातीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं। आदिवासियों को कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण देने के लिए बड़ौदा, राजपीपला और अहमदाबाद में प्रशिक्षण देने की विशेष कक्षाएं शुरू की गई हैं। हिम्मत नगर प्रशिक्षण केन्द्र में विभिन्न विषयों में 60 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बिजली देने के कार्य को भी महत्व दिया गया है। विद्युतीकरण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 11 तालुकों को शामिल किया जायेगा और बाकी 18 तालुकों को द्वितीय चरण में लिया जायेगा।

Ban on Exhibition of certain Films

210. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government have banned exhibition of certain films; if so, the points of objection in these films;

(b) when these films were passed by the Censor Board and whether the screening some of the films was permitted after they were duly censored; and

(c) whether playing of records of film stars has been banned in Vividh Bharati and other programmes of Akashvani; if so, the main reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) & (b). Government have suspended the public exhibition of eight certified films, namely, "Kaam Shastra" (Hindi), "Gupt Shastra" (Hindi), "Stree Purush" (Hindi), "Gupt Gyan" (Hindi), "Vazhkai Ragasyam" (Tamil), "Marmakkalai" (Tamil), "Gupt Gyanamu" (Telugu) and "Dhampathya Ragshyam" (Malayalam), which were believed to contain an excess of obscenity and vulgarity. Government are now reviewing them. During 1976 the Board of Film Censors have so far refused censor certificate to 16 Indian feature films and 25 imported feature films on account of their containing scenes with excess of violence, sex, indecency and immorality or for degrading women.

(c) Government have decided not to broadcast from All India Radio the song "Kahat Kabir Suno Bhai Sadho, Baat Kahoon Mai Khari; Yeh Duniya Ek Numbri Tou Mai Dus Numbri. .." of the film "DUS NUMBRI" sung by a play-back singer, as it was found that linking of a name, held in veneration in the country by many people, with a film song, was hurting the feelings of such people.

तापीय बिजली घरों का बार-बार खराब होना

211. डा० के० एल० राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तापीय बिजली घरों के बार-बार खराब होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या तापीय बिजली घरों में प्रयुक्त होने वाले भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने हेतु कोई विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यक उपसाधक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ताप केन्द्रों की प्रणाली में खराबी पैदा करने वाले मुख्य कारण हैं---उच्च तापमान की स्थितियों में कठोर कार्य कर रहे यन्त्रों का बन्द हो जाना, धातु की सतहों का कट जाना, प्रणाली क्षमता की कमी के कारण निवारक रख-रखाव व्यवस्था में कमी तथा निम्न आवृत्ति वाली परिस्थितियों में प्रचालन।

(ख) और (ग). विद्युत केन्द्रों को सप्लाई किये जाने वाले कोयले की गुणता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किये गये हैं, यथा (1) कोयले की लिंकेजों का युक्तिकरण; (2) गुणता नियंत्रण संबंधी उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन जिसमें शेल और पत्थर को कोयले से अलग करने, संयुक्त तौर पर नमूने लेने, छानने और साइजिंग की व्यवस्था शामिल है। किये गये इन उपायों के फलस्वरूप विद्युत् केन्द्रों को सप्लाई किये जा रहे कोयले की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है और अब कोयले की धुलाई क्षमता के बारे में अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए कुछ विशिष्ट स्थानों में तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किये जा रहे हैं।

स्कूटर तथा मोपेड के टायरों ट्यूबों से नियन्त्रण हटाया जाना

212. श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :
श्री के० लकप्पा :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्कूटरों, मोपेड तथा अन्य वाहनों के टायरों तथा ट्यूबों का जो खुले बाजार में उपलब्ध नहीं हैं और जो विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में सूचीबद्ध मूल्यों से 60 से 100 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं, नियन्त्रण हटाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन टायरों तथा ट्यूबों को उचित मूल्यों पर सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) स्कूटर और मोपेड के टायरों और ट्यूबों समेत मोटरगाडियों के टायरों एवं ट्यूबों के मूल्यों पर कोई भी कानूनी कंट्रोल नहीं है ; बाजार में ये टायर और ट्यूबें निर्बाध रूप से मिल रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Scarcity of Electricity in Madhya Pradesh

213. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the number and the names of the districts of Madhya Pradesh which faced scarcity of electricity during the last three years;

(b) reasons therefor; and

(c) steps taken by Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) to (c). The Madhya Pradesh Electricity Board have indicated that in all the districts of the State, there was power shortage limited to peaking capacity only from December, 1974 to March, 1975. Energy availability was short of the requirement between April, 1975 and June, 1975 and then from November, 1975 onwards. Among the reasons for shortages of peaking capacity and availability of energy is growth in the consumption of electricity both in the agricultural and industrial sectors.

Several new generation projects are under execution in the State and steps have also been taken to maximise the generation from the available plants, flatten the load curves of the Madhya Pradesh system and obtain assistance from the neighbouring systems.

Development of Backward districts of Madhya Pradesh

214. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the Council of Scientific and Industrial Research has selected certain backward districts of Madhya Pradesh for development; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Sankar Ghose): (a) The matter is still under negotiation between the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and the State Government of Madhya Pradesh.

(b) Does not arise.

भारतीय अन्तरिक्ष तथा अनुसन्धान संगठन का अन्तरिक्ष विभाग में विलय

215. **श्री वयालर रवि** : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष तथा अनुसंधान संगठन को अंतरिक्ष विभाग में विलय करने से अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, लैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मिजोरम में सुरक्षा उपाय

216. **श्री मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे मिजो लोगो के केन्द्र के साथ, समझौता होने के बाद, मिजोरम में सुरक्षा संबंधी गतिविधियां अब पहले जितनी कड़ी नहीं रही हैं, जिससे कि उस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो सके ;

(ख) क्या इसका लाभ उठाकर छिपे नागा बाहर से प्रशिक्षण तथा गोलाबारूद लेने के लिये अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि जब तक उस क्षेत्र में पूर्णरूपेण सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती, सुरक्षा उपायों में कोई ढील न दी जाये ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजो नेशनल फ्रन्ट प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुए समझौते के अनुसरण में सरकार द्वारा सुरक्षा दलों की कार्यवाही का स्थगन आदेश अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने और विधि व व्यवस्था बनाये रखने पर लागू नहीं होता।

(ख) तथा (ग). सम्भवतः सदस्य महोदय मिजोरम में भूमिगत मिजो नेशनल फ्रन्ट का उल्लेख कर रहे हैं। मिजोरम और नागालैण्ड में भी कार्यवाही का स्थगन अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कार्यवाहियों और आम विधि व व्यवस्था बनाये रखने पर लागू नहीं होता। बर्मा के साथ हमारी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भूमिगत व्यक्तियों की गुप्त गतिविधि को रोकने के लिये निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

आकाशवाणी, कलकत्ता के ट्रांसमीटर में खराबी

217. **श्री सरोज मुकर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में आकाशवाणी केन्द्र का ट्रांसमीटर उपकरण काफी समय से खराबी के कारण कुछ मिनटों के लिये अक्सर बन्द हो जाता है, यदि हां, तो

एक अत्यन्त आधुनिक तथा त्रुटि रहित उपकरण लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या आकाशवाणी, कलकत्ता स्टेशन का प्रसारण बहुत क्षीण है तथा कलतका 'ए' सेवा के स्थान पर अन्य पड़ौसी देशों के केन्द्रों की आवाज़े सुनाई देती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कलकत्ता केन्द्र सेवा में प्रसारण की तकनीकी पहलू को सुदृढ़ करने तथा उसे सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी कलकत्ता के ट्रांसमिटिंग उपकरण में कोई खराबी नहीं है।

(ख) जी, नहीं। कलकत्ता 'क' सेवा के कार्यक्रम एक उच्च शक्ति के ट्रांसमिटर पर रडियेट किये जाते हैं और इस ट्रांसमिटर से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस के प्राथमिक सेवा क्षेत्र, जिस में राज्य का अधिकांश भाग आता है, में संतोषजनक रूप से सुनाई देते बताये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Surrender by Mizo Rebels

218. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Mizo rebels have surrendered unconditionally;

(b) the number and types and weapons deposited by the rebels after their surrender;

(c) the source from which these weapons were acquired by the rebels and the place and the manufacture marking of the country; and

(d) whether these weapons bear the markings of Pakistan, China and America ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) A delegation of the underground Mizo National Front party held a series of discussions with the Union Home Secretary. An understanding was reached on the 1st July, 1976. In accordance with the signed documents.

(i) The M.N.F. delegation acknowledged that Mizoram is an integral part of India and conveyed to the Government of India their resolve to accept a settlement of all problems in Mizoram within the framework of the Constitution of India.

(ii) In order to bring about a climate of understanding and an atmosphere of peace and tranquility in Mizoram at the earliest, the delegation agreed to adjure violence and suspend all activities.

(iii) In furtherance of the above objectives, the underground delegation agreed to collect all underground personnel with their arms and ammunition inside mutually agreed camps within one month after their establishment and also agreed to hand over arms and ammunition to the Government of India.

(iv) The Government of Mizoram also decided to suspend operations, by the security forces for an initial period of three months with effect from 6th July, 1976. Such suspension, however, would not apply to operation against U.G. personnel attempting to cross international border and to the maintenance of law and order.

(v) It was agreed to continue the talks further.

(b) to (d). As envisaged above, talks would be continued where modalities of implementation of the agreement are expected to be finalised.

Inquiries into newsprint quota given to "Avantika"

219. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2396 on 14th April, 1976 regarding inquiries into newsprint quota given to "Avantika" Hindi daily of Ujjain and state:

(a) the decision taken on report submitted by the Central Bureau of Investigation to the Chief Controller of Imports and Exports regarding allegations against the Hindi daily "Avantika" published from Ujjain, Madhya Pradesh;

(b) whether the allegations against the newspaper have been substantiated; and

(c) if so, the action taken so far against the proprietors of the newspaper?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a), (b) & (c). The Central Bureau of Investigation report was examined by Chief Controller of Imports and Exports. As the offence committed by the paper was regarded by him as being of a technical nature, Chief Controller of Imports and Exports who is the competent authority has closed the case with a warning.

डनलप इण्डिया लिमिटेड को नये टायर एकक के लिए लाइसेंस

220. **श्री वयालार रवि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डनलप इंडिया लिमिटेड को मोटर टायर के एक नये एकक के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी का एक रिले स्टेशन

221. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवधि भाषा के लिये आकाशवाणी का एक रिले स्टेशन फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। यह क्षेत्र लखनऊ रेडियो स्टेशन की प्राथमिक सेवा की परिधी में आता है जो अवधि में 25 मिनट के कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित करता है। इलाहाबाद केन्द्र भी अवधि में लगभग 20 मिनट के कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारित करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'फ्रीडम एट मिडनाइट' में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाना

222. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'फ्रीडम एट मिडनाइट' नामक पुस्तक में तथ्यों को इतना अधिक तोड़-मरोड़ कर पेश किये जाने को देखते हुए सरकार का विचार उन का खंडन करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सरकार को मालूम है कि 'फ्रीडम एट मिडनाइट' नामक पुस्तक में कुछ तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है किन्तु वह स विषय में कोई सरकारी खंडन जारी करना आवश्यक नहीं समझती।

मद्रास में जहरीली शराब के कारण मौतें

223. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्री एम० एम० पुरती :
श्री हरी सिंह :
श्री पी० गंगादेव:
श्री एन० ई० होरो :
श्री ए० के० गोपालन :
श्री एम० कत्तामुत्तु :
चौधरी राम प्रकाश :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में हाल ही में मद्यपान के पश्चात् 100 से अधिक व्यक्ति मर गये थे और अनेक अन्य गम्भीर रूप से बीमार हो गये थे और हस्पताल में भर्ती हुये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). जुलाई, 1976 में मेथिल एलकोहल मिली हुई अवैध शराब पीने के पश्चात् 297 व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती किये गये थे। उन में से 113 की मृत्यु हो गई।

(ग) पुलिस ने जांच पड़ताल हाथ में ले ली है और अब तक 11 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया है।

अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए यूरेनियम ईंधन की सप्लाई

224. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
डा० सरदीश राय :
श्री त्रिदिब चौधरी :
श्री एन० ई० होरो :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के० मालण्णा :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री एन० आर० वेकारिया :
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु बिजली घर के लिये यूरेनियम ईंधन की सप्लाई में अमरीका ने असाधारण विलम्ब किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब से परमाणु बिजली घर के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में इस बीच क्या कार्यवाही की है और उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती न्दिरा गांधी) : (क), (ख). तथा (ग) समृद्ध यूरेनियम के निर्यात के लिये लाइसेंस देने से संबंधित हमारे आवेदन पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही में उन याचिकाओं की वजह से विलम्ब हुआ है जो न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन को, जो कि लाइसेंस देने वाला एक सांविधिक निकाय है तथा अमरीकी सरकार की कार्यपालिका शाखा के अंतर्गत नहीं आता है, दी गई है। भारत सरकार अमरीकी अधिकारियों के साथ लगातार सम्पर्क बनाये हुये हैं तथा इस मामले पर भारत के जो विचार हैं वे न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के सामने अमरीका के राज्य विभाग ारा रखे जा रहे हैं। इन कोशिशों का नतीजा यह हुआ है कि समृद्ध यूरेनियम की जितनी मात्रा के लिये हम ने लाइसेंस मांगा था, उसकी लगभग आधी मात्रा के निर्यात की इजाजत दे दी गई और वह मात्रा भारत में 23 जुलाई 1976 को प्राप्त भी हो गई है। इसलिये, इस मामले में निकट भविष्य में कोई कठिनाई पैदा नहीं ोगी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के खाद्य उत्पाद

225. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रमुख खाद्य उत्पादन क्या-क्या हैं ;

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के एककों की वर्ष 1960, 1970 तथा 1975 में प्रत्येक प्रमुख खाद्य मद की अनुज्ञप्त क्षमता तथा प्रतिष्ठापित क्षमता क्या थी तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कम्पनी द्वारा किन्हीं खाद्य वस्तुओं का क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या किन्हीं खाद्य वस्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में कम्पनी की स्थिति एकाधिकार वाली है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) कम्पनी द्वारा इन वस्तुओं का उत्पादन स्वीकृति सीमा के अन्दर ही रहा है।

(घ) जी, नहीं।

विवरण

(मी० टनों में)

मे० हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा निर्मित प्रमुख खाद्य पदार्थ	लाईसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन		
		1960	1970	1975
शिशु खाद्य . . .	1000	—	841	815
स्किम मिल्क पाउडर . .	2621	—	887	286
पूर्ण दुग्ध पाउडर . .	100*	—	—	—
माल्टयुक्त दुग्ध आहार . .	445*	—	447	—

*स्किम मिल्क पाउडर की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अंदर।

टिप्पणी —मे० हिन्दुस्तान लीवर को शुरू में 1960 में प्रतिवर्ष 2580 मी० टन स्किम मिल्क पाउडर का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था और इस समय उनकी संशोधित क्षमता 2621 मी० टन है। 1965 में स्किम मिल्क पाउडर की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के भीतर उन्हें 1000 मी० टन शिशु खाद्य का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी। 1971 में पुनः उन्हें स्किम मिल्क पाउडर की कुल 2621 मी० टन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर ही 100 मी० टन पूर्ण दुग्ध पाउडर और 455 मी० टन माल्टयुक्त दुग्ध खाद्य का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई थी।

कोलगेट पामआलिव कम्पनी

226. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में वर्ष 1960, 1970 तथा 1975 में टूथ-पेस्ट, टूथ-पाउडर तथा टूथ-ब्रुश का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(खं) अमरीकी बहु-राष्ट्रीय कारपोरेशन की एक शाखा कोलगेट पामआलीव कम्पनी का इस योग में कितना हिस्सा था;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कोलगेट पामआलिव द्वारा सरकार से मंजूरी के बिना "कास्मैटिकस" की क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन किया जाता रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) कालगेट पामआलिव कम्पनी के नवीनतम तुलनपत्र के अनुसार इसकी कुल प्रदत्त पूंजी कितनी है; और

(ङ) कम्पनी ने गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, कुल कितना लाभ कमाया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) हाल के पिछले कुछ दिनों में कालगेट के बारे में ऐसा कोई भी आरोप नहीं मिला है। फिर भी टूथ-पेस्ट का उत्पादन लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक हुआ बताया जाता है।

(घ) 31-12-1975 को कम्पनी की चुकता पूंजी 1,50,000 रु० थी।

(ङ) विगत तीन वर्षों में कम्पनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ निम्न प्रकार है :—

1973 . . .	14,341,419 रु०
1974 . .	15,723,538 रु०
1975 . . .	8,326,921 रु०

विवरण

उत्पादन (मी० टनों में)

वस्तु	1965*		1970		1975	
	डी०जी०टी० डी० के पास पंजीयित एककों का योग	मैसर्स कालगेट पामोलिव	डी०जी०टी० डी० के पास पंजीयित एककों का योग	मैसर्स कालगेट पामोलिव	डी०जी०टी० डी० के पास पंजीयित एककों का योग	मैसर्स कालगेट पामोलिव
1. टूथ-पेस्ट	3124	1537	4864	2474	4139	2293
2. टूथ पाउडर	300	220	488	418	932	707
3. टूथ-ब्रुश	—उपलब्ध नहीं हैं—					

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन का दिया जाना

227. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1976 तक राज्य-वार स्वतंत्रता सेनानियों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से राज्य-वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई;

*वर्ष 1960 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये; और

(घ) ये आवेदन-पत्र अस्वीकार किये जाने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० ए० मोहसिन) : (क), (ख) तथा (ग): सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है। 46,941 आवेदन-पत्र जिसमें राजनैतिक यातना का दावा किया गया उसके समर्थन में पर्याप्त लिखित सबूत न होने के कारण दाखिल दफ्तर कर दिये गये हैं और 31–5–76 को 96 आवेदन पत्रों की संवीक्षा के लिए लम्बित पड़े थे।

(घ) योजना में निर्धारित पात्रता की शर्तों को जब आवेदक पूरा नहीं करता है तो आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 11011/76]

गुजरात में अल्पसंख्यकों के लिए एक समिति का गठन

228. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है; और

(ग) समिति के निदेश पद क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क), (ख) तथा (ग) : गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्पसंख्यकों की एक उच्च शक्ति समिति जिसका सितम्बर 1974 में गठन किया गया था 28 जनवरी, 1976 को पुन: गठन किया गया। श्री मोहम्मद हुसैन गोलंदाज (अहमदाबाद) इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के निदेश पद निम्नलिखित हैं :—

(1) गुजरात में उन अल्पसंख्यकों की समस्याओं का परखना जिनके लिये कोई अन्य विशेष समितियां कार्य नहीं कर रही हैं।

(2) अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपाय निकालना तथा उनकी सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक दशा में सुधार के लिये उपायों पर सरकार को सलाह देना।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

229. **श्री हरी सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1976 में रक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सनिकों, उनकी विधवाओं तथा बच्चों के पुनर्वास के लिए मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर मुख्य मंत्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और बच्चों के पुनर्वास से सम्बन्धित कार्य पर सभी आवश्यक ध्यान और अग्रता दी जाएगी।

गुजरात के लाइसेंसों के लिए लम्बित आवेदन पत्र

230. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में औद्योगिक एकक स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेने सम्बन्धी कोई आवेदन पत्र इस समय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : 31-7-76 तक गुजरात के लिए प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों में से 84 आवेदन पत्र अनिर्णीत हैं। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों पर निर्णय करते समय अवस्थापना (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) कच्चे माल जानकारी मांग, अधिष्ठापित क्षमता आदि की उपलभ्यता जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। अनिर्णीत आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा विद्युत उत्पादित करने वाले संयंत्रों को अपने नियंत्रण में लेना

231. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऊर्जा समस्या सम्बन्धी विश्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार विद्युत् उत्पादित करने वाली सभी संयंत्रों को अपने नियंत्रण में ले ले और राज्य बिजली बोर्डों के पास केवल वितरण का काम ही रहने दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत के ऊर्जा क्षेत्र के बारे में विश्व बैंक द्वारा 1975 में प्रकाशित की गई पुस्तक में, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत उत्पादन करने और बड़ी मात्रा में इसकी सप्लाई करने का उत्तरदायित्व केवल केन्द्र को सौंपे जाने सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। उक्त पुस्तक में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि केवल केन्द्रीय उत्पादन की ही नीति अपनायी जानी चाहिये।

(ख) बिजली उत्पादन के लिये राज्यों द्वारा किये जाने वाले प्रयत्नों के पूरक प्रयत्नों के रूप में सरकार केन्द्रीय भूमिका का निर्वाह करती है।

प्रारूप पांचवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों का पुनरीक्षण

232. **श्री डी० डी० देसाई** :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री महेन्द्र सिंह गिल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पांचवी योजना के प्रारूप में निर्धारित लक्ष्यों का पुनरीक्षण कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न उत्पादनों के लिये नये तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष): (क) (ख) और (ग), आजकल पांचवीं योजना को अन्तिम रूप देने का काम किया जा रहा है। योजना के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त उत्पादन स्तरों और निर्मित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुये और योजना की बाकी अवधि में सम्भावनाओं के वास्तविक विश्लेषणों के आधार पर उत्पादन लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

हैदराबाद में दूरदर्शन केन्द्र खोलना

233. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान हैदराबाद में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्र किस तारीख तक खोल दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। एक दूरदर्शन ट्रांसमिटर हैदराबाद में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) 1977 के मध्य में।

तापीपल्लीगुड्म में त्यक्त हवाई पट्टी

234. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने तापीपल्लीगुडम् में त्यक्त हवाई पट्टी में बेघरबार लोगों को भूमि आवन्टित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां, तपापीपल्लीगुडम् में त्यक्त हवाई अड्डे वाले क्षेत्र को उनको आवंटन के लिये जिनका इस पर अप्राधिकृत कब्जा था, पूरा अथवा आंशिक रूप से, मुक्त करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) भूमि के बाजार मूल्य के भुगतान पर पूर्णतया बिक्री के आधार पर सारे हवाई अड्डे की राज्य सरकार को पेशकश की गई है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

पाँचवीं योजना में नई विद्युत परियोजना

235. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में अनेक नई विद्युत् परियोजनायें आरम्भ करने का अनुमोदन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद):

(क) जी, हां ।

(ख) पांचवी योजना में चालू किये जाने के लिये स्वीकृत विद्युत् परियोजनाओं का उल्लेख उपाबंध में किया गया है

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
	ताप-विद्युत्	
1.	गुजरात	
	(क) उकाई ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार . . .	2 × 200
	(ख) बानकबोरी ताप-विद्युत् केन्द्र	3 × 200
2.	महाराष्ट्र	
	(क) नासिक ताप विद्युत् केन्द्र का विस्तार चरण—दो . .	1 × 210
	ख) भूसावल ताप-विद्युत् केन्द्र का विस्तार . . .	1 × 210
	(ग) चन्द्रपुर ताप-विद्युत् केन्द्र चरण—एक . . .	2 × 210
3.	बिहार	
	पतरातू ताप-विद्युत् केन्द्र का विस्तार चरण—चार . .	2 × 110
4.	असम	
	बोंगाईगांव ताप-विद्युत् केन्द्र	2 × 60
	जल विद्युत्	
5.	केरल	
	इडुक्की चरण—तीन	केवल संर्वधन योजना
6.	तमिलनाडु	
	अपर थम्बरापरनी . . .	1 × 20
7.	उड़ीसा	
	अपर कोलाब	3 × 80

कम्प्यूटर लगाना

236. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं तथा विभिन्न वैज्ञानिक, शैक्षिक, शोध, परिवहन, चिकित्सा, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक सेवाओं और संगठनों में तथा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में उत्पादन गतिविधियों में कम्प्यूटर लगाने के लिये क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई ; और

(ख) क्या कम्प्यूटर के मोटे और बारीक पुर्जे बनाने और उनके रखरखाव में भारत ने पर्याप्त आन्तरिक क्षमता प्राप्त कर ली है ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) इक्लैक्ट्रानिक विभाग पर यह जिम्मेदारी है कि वह अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) तथा अन्य इलैक्ट्रानिकी आंकड़ा संसाधन उपस्करों (इलैक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स) के सम्बन्ध में देश के सभी प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को सम्बन्धित करे। सरकार ने 5 लाख रुपये से ऊपर के मूल्य वाले अभिकलित्रों (कम्प्यूटर्स) को आयात करने के सम्बन्ध में उस कार्याविधि को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसके अनुसार इलैक्ट्रानिक विभाग पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह उन क्षेत्रों का विश्लेषण करे, जहां इन मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है ; विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिये आयात किए जाने वाले अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) के विषय में सम्बन्धित प्रयोगकर्ता के सहयोग से विशिष्टयां तैयार करे ; प्रतियोगिता मूलक निविदायें आमंत्रित करे ; तथा आयात की जाने वाली प्रणाली के सम्बन्धमें (वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर) अन्तिम अनुमोदन प्रदान करे। अनुमोदन प्रदान करने की सही कार्याविधि का ब्यौरा इलैक्टानिकी विभाग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 9 के खण्ड 2 में दिया गया है। यदि आयात किये जाने वाले अभिकलित्रों (कम्प्यूटरों) का यूनिट मूल्य 5 लाख लाख रुपयों से कम हैं तो भी विभाग द्वारा इन्हें पृथक-पृथक् मामले के आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है। किन्तु इस प्रकार के मामलों में वार्षिक प्रतिवेदन के अध्याय 9 के खण्ड 2 में दी गई कमवार कार्याविधि से नहीं गुजरना पड़ता। सरकारी विभाग जिन प्रणालियों को स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उनके सम्बन्ध में भी इलैक्ट्रानिकी विभाग उनके विन्यास तथा उनकी खरीद के बारे में अपनी अनुमति प्रदान करता है। अभिकलित्रों को चाहे स्वदेशी स्रोत से प्राप्त किया जाय अथवा आयात करके खरीदा जाय, इन दोनों ही मामलों में विचार करते समय विभाग इस पहलू पर भी विचार करता है कि भिकलित्र (कम्प्यूटर) लगाने से उनका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। अभिकलित्र (कम्प्यूटर) के सम्बन्ध में जिन क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान की गई है उनकी विस्तृत सूची इलैक्ट्रानिकी विभाग के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवदन के अध्याय के 9 खण्ड 2 में दी गई है।

(ख) जी, हां, लघुकाय अभिकलित्रों (मिनी कम्प्यूटरो) तथा छोटी अभिकलित्र (कम्प्यूटर) प्रणालियों एवं कुछ उपान्त उपस्करो (पेरीफेरल्स) क देश में ही निर्मित करने के सम्बन्ध में पहले ही क्षमता प्राप्त कर ली गई है। इस क्षमता में बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है। अभिकलित्र से सम्बधित यंत्रसामग्री (कम्प्युटर हार्डवेयर) तथा यंत्रेतर सामग्री (साफ्टवेयर) का विकास करने तथा उनके रख रखा की क्षमता भी देश के विभिन्न अंचलों में प्रतिष्ठापित की जा चुकी हैं, तथा

इस प्रकार की क्षमता में इलैक्ट्रानिकी आयोग को प्रौद्योगिकी विकास परिषद् से प्राप्त विकास अनुदानो की सहायता से वृद्धि की जा रही है। इलैक्ट्रानिकी विभाग के अधीन अभिकलित्र (कम्प्युटर) अनुरक्षण निगम नामक एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के गठित हो जाने के फल-स्वरूप, यंत्रसामग्री के रख रखाव के सम्बन्ध में भी देश की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाएगी। इस निगम पर सभी आयातित कम्प्यूटरों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी है।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

237. **चौधरी नीतिराज सिंह :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री समर मुकर्जी :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिको के स्वदेश न लौटने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष): (क) उनके वापस न आने के स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हैं। फिर भी, यह विश्वास किया जाता है कि अच्छी रोजगार की व्यावसायिक सुविधाएं, ज्यादा वेतन और आय, अच्छे स्तर का रहन सहन आदि मुख्य कारण हो सकते हैं।

(ख) भारत सरकार विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, चिकित्साकर्मिकों आदि की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये समय समय पर विभिन्न कदम उठाती आ रही है। सरकार द्वारा किये गये उपायों की सूची संलग्न है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय रजिस्ट्रर का एक विशेष अनुभाग "प्रवासी भारतीय" अनुभाग विदेशों में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकोविदों का पंजीकरण करने के "लिये लाया जाता है। निर्धारित निदेशिकों के रूप में भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संघीय एंव राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों सरकारी उद्योगों और बड़े निजी प्रतिष्ठानों में उनके विवरण प्रसारित किये जाते हैं। ऐसे कार्मिकों के विवरण वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की मासिक पत्रिका टैक्नीकल मैन पावर (तकनीकी जनशक्ति) में प्रकाशित किये जाते हैं इस पत्रि की प्रतियां तीन हजार संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती है।

(ख) संघीय लोक सेवा आयोग और बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग इस बात पर सहमत हो गये हैं कि राष्ट्रीय रजिस्ट्रर के प्रवासी भारतीय अनुभाग

में जिन प्रत्याशियों के विवरण हैं, को उनके द्वारा विज्ञापित पदों के लिये "व्यक्तिगत संपर्क" के प्रत्याशियों के रूप में माना जायेगा।

(ग) किसी कार्य के लिये बगैर किसी आश्वासन के विदेशों से लौटने वाले उच्चयोग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी कार्मिकों को सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिक-पूल में अस्थाई रोजगार दिया जाता है।

(घ) मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में अधिसंख्यक पदों का निर्माण किया जा सकता है जिन पर विदेशों में अध्ययनरत या कार्यरत वैज्ञानिकों में से कुछ को अविलम्ब अस्थाई नियुक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।

(ङ) विदेशों की उत्पादन एककों (कारखानों) में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों को भारत वापिस आने और यहां अपने उद्योग विशेषकर जिस क्षेत्र की उत्पादन प्रौद्योगिकी में उन्होंने कौशल प्राप्त किया है उस क्षेत्र में उद्योग प्रारम्भ करने की दिशा में उन को आकर्षिक करने के लिये एक 'मुश्त योजना' स्वीकृत की गई है।

(च) सी० एस० आई० आर० ने 'शोध सहायक' (रिसर्च एसोसियेट) और "अतिथि वैज्ञानिक" नियुक्त करने के लिये एक योजना प्रारम्भ की है, जिसमें प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों को जो थोड़े सम्य के लिये भारत भ्रमण पर आते हैं सी० एस० आई० आर० संगठन में नियुक्ति प्रदान की जा सकती है विशेषकर उन मामलों में जहां उनकी योग्यतायें संगठन से मेल खाती हैं।

(छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक योजना का श्रीगणेश किया है जिसमें प्रवासी भारतीय छात्रों को उनके सेबेटिकल अवकाश के दौरान भारतीय विश्वविद्यालयों में अल्पावधि नियुक्तियां प्रदान की जा सकती हैं।

(ज) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों की भारत वापसी और स्थाई रूप से यहां उनको बसाना प्रोत्साहित करने के लिये यह निर्णय किया गया है कि ऐसे वैज्ञानिक जब विदेशों से लौटेंगे उनको पचास हजार रुपये कीमत तक व्यावसायिक वैज्ञानिक उपस्कर और उपकरण नये या पुराने प्रयोग किये हुये आयात करने की आज्ञा प्रदान की जायेगी बशर्ते (क) कि संबंधित वैज्ञानिक दो वर्षों से विदेश में रह रहा हो, (ख) आयातित उपकरणों का प्रयोग उसके द्वारा भारत में किया जायगा (ग) वैज्ञानिक की विदेश में कमाई गई अपनी विदेशी मुद्रा से उपकरण खरीदा गया है।

ऊर्जा नीति

238. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ, सौराष्ट्र और कलकत्ता में तट दूर तेल प्राप्त करने में असमर्थ रहने का हमारी ऊर्जा नीति पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश की वर्तमान ऊर्जा नीति सुनिश्चित तेल भंडारों पर आधारित है और इसमें इन संभावनाओं को आधार नहीं बनाया गया है कि जहां-जहां तेल के बारे में खोज की जा रही है वहां तेल मिलेगा। जो उपयुक्त नयी परिस्थितियां तथा विकल्प सामने आयेंगे उनको ध्यान में रखकर इस नीति पर समय-समय पर पुर्नविचार किया जायगा।

कम्प्यूटर लगाना

239. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या इलैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में टेलीविजन के पुर्जों में और अधिक कमी करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका टेलीविजन सेटों के फुटकर मूल्यों पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती न्दिरा गांधी) : (क) भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड (बी० ई० एल०) दूरदर्शन के लिये दो प्रकार के संघटक पुर्जे बनाते हैं : (i) दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब तथा (ii) अर्धचालक (सेमी-कण्डक्टर) युक्तियां। जहां तक दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का संबंध है, भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड द्वारा इनके मूल्यों में 1 मार्च, 1976 से कमी की घोषणा किये जाने बाद (जब इनका मूल्य 565 रु० से घटाकर 465 रु० कर दिया गया था) और आगे कोई कमी नहीं की गई है। अर्धचालक (सेमीकंडक्टर) युक्तियों के मामले में; भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड ने हाल में कुल 10 प्रतिशत की कमी की है, किन्तु यह कमी पृथक्-पृथक् युक्तियों के लिये ही है।

(ख) चूंकि इस प्रकार की पृथक् पृथक् अर्धचालक (सेमीकण्डक्टर) युक्तियां मूल्य की दृष्टि से किसी दूरदर्शन सेट में लगने वाले कुल संघटक पुर्जों के मुकाबले बहुत कम मात्रा में प्रयुक्त की जाती है, अतः इनके मूल्यों में की गई इस कमी का दूरदर्शन सेटों के फुटकर मूल्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

आसाम में कागज परियोजनाओं के लिये ईरान से सहायता

240. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान आसाम में कागज परियोजनाओं के लिये सहायता देने को सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की पेशकश की गई है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). ईरान ने असम में नौगांव और कछार कागज संयंत्रों को स्थापना करने के लिये सहायता देने में रुचि दिखाई है। यह मामला अभी तक इसके लिये कितनी धनराशि की सहायता दी जाये तथा उसकी शर्तें क्या हों उस अवस्था तक नहीं पहुंच सका है।

पिछड़े क्षेत्रों में आशय-पत्रों के लिए आवेदन-पत्रों का रद्द किया जाना

241. श्री एच० एन० मुकर्जी :
श्री एस० एस० बनर्जी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में आशय-पत्रों के लिये सब आवेदन पत्र लाइसेंसिंग समिति द्वारा हाल ही में रद्द कर दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के लिये नये आशय-पत्र जारी किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार उनकी संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : वर्ष 1975 तथा जनवरी से जून, 1976 में पिछड़े क्षेत्रों के लिये जारी किये गये आशय-पत्रों और लाइसेंसों की राज्यवार अलग-अलग संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1975 और जनवरी से जून, 1976 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों को जारी किये गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की राज्यवार अलग-अलग संख्या बताने वाला विवरण।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1975		1976 (जनवरी से जून)	
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
आन्ध्र प्रदेश	19	15	6	10
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	–	–
आसाम	4	1	4	2
बिहार	5	4	1	2
दादरा और नगर हवेली	1	–	–	1
गोवा, दमन और दिव	6	8	2	6
गुजरात	21	17	6	8
हरियाणा	10	6	2	2

1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश	के	1	1	–
जम्मू और काशमीर	6	2	–	2
कर्नाटक	25	16	7	4
केरल	15	9	2	7
मध्य प्रदेश	28	23	3	3
महाराष्ट्र	30	26	6	10
मणिपुर	2	–	–	1
मेघालय	5	2	–	1
नागालैंड	–	1	–	–
उड़ीसा	11	3	1	1
पाण्डिचेरी	2	2	1	
पंजाब	13	4	2	4
राजस्थान	14	5	2	3
तमिलनाडु	24	40	4	7
त्रिपुरा	–		–	1
उत्तर प्रदेश	25	18	3	6
पश्चिम बंगाल	21	12	5	4
योग	201	2क216	58	85

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की क्षमता का उपयोग

242. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि में मात्रा अथवा मूल्यवार कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) देश की तथा निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए अलग-अलग कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(घ) उपर्युक्त दोनों मांगों के बारे में बुक किये गये क्रयादेशों की अद्यतन स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) 1975–76 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के संयंत्रों में क्षमता का उपयोग कुल मिलाकर 85 प्रतिशत के लगभग हुआ था, जबकि चालू वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हुआ था।

(ख) 1975–76 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 3435 मेगावाट के थर्मल और हाइड्रो सेट पूरे किये। पण्यावर्त का मूल्य 414.5 करोड़ रुपये था।

1976–77 की पहली तिमाही में पण्यावर्त का मूल्य 75.6 करोड़ रुपये था।

(ग) निर्यात के लिए उपयोग में लाई गई क्षमता कुल क्षमता के 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत के लगभग है। क्षमता का बाकी उपयोग देश की मांग पूरी करने के लिए किया गया था।

(घ) जून, 1976 के अंत तक निर्माण के लिए लम्बित बकाया आर्डर 865 करोड़ रुपये के हैं, जिनमें से 50 करोड़ रुपये के आर्डर निर्यात के लिए हैं।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में क्षमता का उपयोग

243. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में वर्ष 1975–76 के दौरान तथा चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में क्षमता का कितना उपयोग हुआ;

(ख) उक्त अवधियों में कितनी-कितनी मात्रा में अथवा कितने-कितने मूल्य का वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) देश की आंतरिक मांग तथा निर्यात को पूरा करने के लिए पृथक्-पृथक् कितनी-कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(घ) इस समय देश की आंतरिक मांग तथा निर्यात संबंधी स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारी इंजीनियरी निगम के तीन संयंत्रों में 1975–76 तथा चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग निम्न प्रकार हुआ है :—

	1975–76	अप्रैल–जून, 1976
एच० एम० बी० पी०	57 प्रतिशत	64 प्रतिशत
एच० एम० टी० पी०	52.6 प्रतिशत	57.7 प्रतिशत
एफ० एफ० पी० :—		
आयरन फाउंड्री	30 प्रतिशत	31 प्रतिशत
स्टील फाउंड्री	34 प्रतिशत	35 प्रतिशत
फोर्ज शॉप	45 प्रतिशत	49 प्रतिशत

(ख) 1975–76 और चालू वर्ष की प्रथम तिमाही में पण्यावर्त का मूल्य क्रमशः 87.37 करोड़ रुपये और 15.70 करोड़ रुपये था।

(ग) क्षमता का उपयोग लगभग पूर्ण रूप से देश की मांग पूरी करने के लिए किया गया है। 1975-76 की अवधि में केवल 3,720 रुपये के मूल्य का निर्यात किया गया था। आगामी वर्षों में निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है।

(घ) आंतरिक क्रयादेशों और निर्यात-क्रयादेशों का मूल्य क्रमशः 209.29 करोड़ रुपये और 8 करोड़ रुपये हैं।

उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड की बैठक

244. श्री के० एम० मधुकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की 6 जुलाई, 1976 को दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसमें क्या निर्णय लिये गये ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य व्यक्तियों के साथ निम्नलिखित व्यक्तियों ने बैठक में भाग लिया था :—

बोर्ड के सदस्य :

1. श्री बी० आर० टमटा, आयुक्त, दिल्ली नगर निगम—**अध्यक्ष**
2. श्री एस० एस० मूर्ति, सदस्य (पी० एस०), केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण
3. श्री जोरा सिंह बरार, अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
4. श्री एच० वी० गोस्वामी, अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड
5. श्री एस० सी० कटोच, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
6. श्री जे० पी० नएगामवाला, अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंध बोर्ड
7. श्री नरेश चन्द्र, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड
8. श्री जे० सी० शाह, अध्यक्ष, परमाणु विद्युत् प्राधिकरण
9. श्री एल० आर० सूरी, महा अधीक्षक, बदरपुर ताप विद्युत् केन्द्र
10. श्री पी० एन० अग्रवाल, सदस्य-सचिव, उत्तरी क्षेत्र बिजली बोर्ड

संघटक राज्यों/संगठनों के तकनीकी सदस्य

1. श्री सोहन सिंह, तकनीकी सदस्य, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
2. श्री ए० सागर, सदस्य (तकनीकी), हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड
3. श्री ए० एन० भार्गव, सदस्य (तकनीकी), उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
4. श्री डब्ल्यू० एफ० डिसूजा, सदस्य (विद्युत्) हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

5. श्री टी० एस० मदान, सदस्य (विद्युत्), भाखड़ा प्रबंध बोर्ड

6. श्री पृथ्वी सिंह, सदस्य (तकनीकी), राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड

7. श्री एन० एस० वसन्त, महा प्रबंधक, दिल्ली विद्युत् प्रदाय संस्थान

(ग) बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित थे :—

(1) यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र की विद्युत् प्रणाली में कुछ दिनों बिल्कुल प्रातः काल के समय के दौरान उच्च आवर्ती संबंधी समस्याओं के अध्ययन के लिए बनाई गई समिति की सिफारिशों की भली-भांति आजमाइश की जाये।

(2) उत्तरी क्षेत्र में आवर्ती का माप लेने के प्रयोजन के लिए भाखड़ा के मीटरों को आधार रूप माना जाये।

(3) इस बात पर सहमति हुई कि संघटक बोर्ड आदि क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वांछित आधार सामग्री प्रति घंटा देंगे।

(4) क्षेत्र की विद्युत् उत्पादन स्कीमों और अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों को शीघ्र पूरा करने का महत्व स्वीकार किया गया।

(5) इस बात पर सहमति हुई कि अंतर्राज्यीय पारेषण लाइनों का जितना-जितना भाग जिन-जिन राज्यों में हैं उतने-उतने भाग के रख-रखाव का खर्च वे राज्य ही उठाएं।

Reservation of posts for backward classes

245. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government are considering any proposal for making reservation of posts for people belonging to backward classes similar to that made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the outline thereof and the date from which Government propose to enforce it?

The Minister of State in the Department of Personnel & Administrative Reforms (Shri Om Mehta): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मान्यताप्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के पद-धारियों को स्थानान्तरण से छूट

246. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसियेशनों के पद-धारियों को स्थानान्तरण से छूट दी है; और

(ख) क्या ऐसी सुविधा मुख्यालय/शाखा यूनियन/एसोसियेशन्स, दोनो को ही दी गई है अथवा केवल मुख्यालयो के पद-धारियों को ही ?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

परन्तु, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था (जे०सी०एम०) को राष्ट्रीय परिषद् में विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि मान्यता प्राप्त एसोसियेशनों/यूनियनों के विधान में यथापरिभाषित मुख्य कार्यकारी अथवा महासचिव को या जहां मुख्य कार्यकारी की विशिष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है वहां यथासंभव महासचिव को प्रशासनाध्यक्ष के मुख्यालयों अथवा उसके नियन्त्रणाधीन किसी अन्य कार्यालय में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

आर्थिक और सांख्यिकीय आधार सामग्री एकत्र करना

247. **श्री पी० गंगादेव :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में आर्थिक एवं सांख्यिकीय आधार सामग्री एकत्र करने की वर्तमान पद्धति में अच्छी नीति और प्रशासकीय निर्णयों के लिए सुधार करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या आर्थिक आधार सामग्री की सप्लाई के लिए सूक्ष्म-सर्वेक्षणों के परीक्षण के स्थान पर ग्रामीण अध्ययनों तक सीमित सामाजिक विज्ञानों में क्षेत्रीय कार्य पर्याप्त होगा; और

(ग) इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) आर्थिक एवं सांख्यिकीय आधार सामग्री (समंक) एकत्र करने की पद्धति में आगे और सुधार करना सम्भव है तथा उसके लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). नियमित जनगणनाएं और बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण वास्तव में लाभप्रद हैं। सूचना में महत्वपूर्ण अन्तराल को भरने, समकों की विश्वसनीयता में सुधार लाने और सूचना प्राप्त करने में होने वाले विलम्ब को कम करने के जरिये से सांख्यिकीय पद्धति को सुधारने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। जनसंख्या, कृषि और संगठित उद्योग की गणना करने के अतिरिक्त विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, निर्माणकार्य और सेवाओं के असंगठित क्षेत्रों में कृष्येतर आर्थिक कार्यकलाप की गणना शीघ्र की जाने वाली है। समंकों को व्यापक रूप से और समय पर प्राप्त करने के उद्देश्य से, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करने वाले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन को पुनर्गठित किया गया है। इसके कार्यक्रमों को उन नये क्षेत्रों तक फैलाया गया है जिनमें सूचना का अभाव है।

उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता को उपयोग में लाना

248. **श्री पी० गंगादेव :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6000 करोड़ रुपये की पूंजी देश में बेकार पड़ी है और उद्योगपतियों द्वारा देश में उद्योगों के विकास के लिये उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) और (ख) . यद्यपि मूल्य के रूप में देश में बेकार पड़ी क्षमता की मात्रा बता सकना संभव नहीं है, फिर भी यह सच है कि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। क्षमता का पूरा उपयोग न होने के कारण हर उद्योग में भिन्न-भिन्न हैं जैसे अकुशल व्यवस्था उत्पादन में विविधिकरण का अभाव, तकनीकी अव्यवहार्यता, मांग सम्बन्धी अड़चनें आदि।

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने के लिये सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। इसमें औद्योगिक लाइसेंस के क्षेत्र में किए गए कार्य उदाहरण के लिये चुने हुये उद्योगों में विविधीकरण की अनुमति देना और चुने हुये उद्योगों में बिना किसी सीमा के उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति देना आदि पर्याप्त कच्चे माल की सप्लाई करना, बिजली की सप्लाई में सुधार करना तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में निवश के लिये और अधिक धनराशि का आवंटन करना आदि सम्मिलित हैं।

सौर-ऊर्जा का उपयोग

249 **श्री पी० गंगादेव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सौर-ऊर्जा में उपयोग के लिये सरकार द्वारा मनहट्टन परियोजना की पद्धति पर प्रबल समेकित प्रयास किया जा रहा है :

(ख) क्या हमारे देश के फासिल ईंधन का उपयोग किया जाना अब वांछनीय है ; और

(ग) उक्त ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग के क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा साधन विकसित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) सौर-ऊर्जा के उपयोग के लिये सरकार का एक समायोजित अनुसन्धान एवं उत्पाद विकास कार्यक्रम है। सौर-ऊर्जा के लिये आवश्यक यांत्रिक उपकरणों का विकास करने हेतु यह प्रयास सौर-ऊर्जा का भविष्य में उपयोग सुनिश्चित करने के लिये किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार द्वारा, सौर-ऊर्जा का सीधे तापीय-ऊर्जा के रूप में तथा ऊर्जा के वैकल्पिक साधन रूप में सीधे बिजली में रूपान्तरण करके भी दोनों ही तरह से उपयोग के लिये हर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा गोबर गैस का विकास करने तथा उसी उद्देश्य हेतु पवन ऊर्जा तथा भू-तापीय-ऊर्जा के उपयोग के लिये बहुत प्रयास किये जा रहे हैं।

हजारीबाग तथा गिरदीह जिलों में गैर-कानूनी खनन कार्य

250. **श्री पी० गंगादेव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी खनन कार्य से हजारीबाग तथा गिरिदीह जिलों में अत्यन्त गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है :

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कोल इंडिया लिमिटेड को भारी हानि हुई है ? और

(ग) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड्ज लिमिटेड को बाध्य होकर अपनी कोयला खानों में से नौ को बन्द करना पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). 29 अप्रैल, 1976 को कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1976 के जारी होने से पूर्व हजारी बाग और गिरिदीह जिलों में कुछ निजी पार्टियों द्वारा अवैध खनन कार्य किया जा रहा था। इन लोगों द्वारा कोयले की चोरी छिपे बिक्री के कारण सैन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड से कोयले की मांग में कुछ कमी हो गई थी और इससे कुछ सीमा तक सड़क द्वारा प्रेषण पर भी प्रभाव पड़ा था। उक्त अध्यादेश जारी होने के बाद अवैध खनन बन्द हो गया है।

(ग) जी नहीं।

पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण

251. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या उदयोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए एक प्राधिकरण स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उदयोग मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करने के बारे में सरकार गम्भीर रूप से विचार कर रही है पिछले सत्र में उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा बताई गई इस प्रस्तावित प्राधिकरण की कुछ प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई है ?

विवरण

पुनर्गठित इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया जिस कार्य के लिये सक्षम है, पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण उसके लिये कोई भी वित्त व्यवस्था करने का कार्य नहीं करेगा । चूंकि इण्डस्ट्रियल डैवलपमेंट बैंक आफ इंडिया इस प्रकार के अव्यवस्थापन सम्बन्धी विकास के लिये धन राशि नहीं देता है इसलिये यह प्राधिकरण औद्योगिक बस्ती क्षेत्र के बाहर के अवस्थापना सम्बन्धी विकास के लिये आंशिकरूप से धनराशि देगा । यह पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित प्रेरक उद्योगों की सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करेगा । वह निवेशकर्ताओं को औद्योगिक विकास के लिये उपलब्ध सुविधाओं तथा प्रोत्साहनों के बारे में सूचना देगा । वह कार्यकुशल व्यक्तियों की एक नामिका बनाकर रखेगा जिन्हें अल्प अवधि के लिये पिछड़े राज्यों में प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा । यह उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के एक एजेंट के रूप में पूंजीगत राज सहायता योजना का प्रशासन भी करेगा । प्रोत्साहन व राज सहायता योजनाओं वित्तीय संस्थानों की रियायती दर पर धनराशि देने की योजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने के लिये है । वह राज्य सरकारों से घनिष्ट सम्पर्क बनाये रखेगा । कम पिछड़े क्षेत्रों में विकास केन्द्रों में औद्योगिक गृहों के निर्माण के लिये वह हुडको से निकतम सम्पर्क रख सकेगा । यह प्राधिकरण पिछड़े राज्यों में जहां भारत सरकार की विद्यमान योजनाओं का पर्याप्त असर नहीं हुआ है, उनमें कर्मचारियों की तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सकता है ।

राज्यों में जनता को शिकायतों के निवारण के लिये प्रशासन तन्त्र की स्थापना करना

252. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे जनता की शिकायतों के निवारण के लिये प्रशासन तंत्र की शीघ्र स्थापना करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख). 2 नवम्बर, 1975 को मुख्य मंत्रियों को लिखे गये एक पत्र में उन पर इस बात के लिये बल डाला गया था कि वे जनता को शिकायतों का निवारण करने के लिये शासन-तंत्र को मजबूत

बनायें। विकसित करें। 7 और 8 मई, 1976 को हुये मुख्य सचिवों के सम्मेलन में जनता की शिकायतों के निवारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

(i) जिला तथा निम्न स्तरों पर प्रत्येक विभागीय अधिकारी को चाहिये कि वह जनता को शिकायतें सुनने और उनके निवारण के लिये प्रत्येक सप्ताह एक खास दिन निश्चित करें।

(ii) जिला शिकायत समिति को अध्यक्षता स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये किसी मंत्री अथवा आयुक्त के द्वारा की जा सकती है, यह समिति पर्याप्त रूप से उच्चाधिकार प्राप्त होना चाहिये जिससे कि वह नागरिकों की शिकायतों का तत्काल निवारण कर सकें। इस समिति को किसी भी विभाग के सामान्य प्रशासन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

(iii) पटवारियों, ग्रामसेवकों तथा अन्य क्षेत्रीय कर्मचारियों को उनके निवास स्थान पर भी कुछ कार्यालय सुविधायें दी जानी चाहिये जिससे कि सप्ताह के निश्चित दिनों में ग्रामीण लोग उसे मिल सकें।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इन सिफारिशों का कार्यान्वित किये जाने के लिये राज्य सरकारों को भेजा गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वे इन्हें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

Fisheries in Dams of Damodar Valley Project

+253. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Energy** be pleased to state:

(a) the annual Government revenue for the last three years from fisheries in various dams of Damodar River Valley project;

(b) whether facilities were provided to the local people for taking to fishery as a vocation; and

(c) if so, whether the local mallahs (boatsmen) who used to fish in the Tilaiya dam as partners of the D.V.C. have been deprived of this facility?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a) to (c) Fishing in the Reservoirs of the Damodar Valley Corporation is under the control of the Corporation and accordingly Government does not derive any revenue from it. Departmental fishing by the D.V.C. was started from Mid-August 1974 and continued till August, 1975. Afterwards fishing has been leased out to a private licensee from whom licence fees are being realised. The Corporation's revenue for the last 3 years from fishery in their dams was as under:]

1973-74	Nil
1974-75	Rs. 1,07,649
1975-76	Rs. 2,36,158

During the period of departmental fishing local fishermen as well as others were permitted fishing in D. V. C. reserviors for which they were offered remuneration but the catch wss sold by the Corporation. Present licencsee was also advised to engage local Mallahs (Fishermen) for fishing in Reservoirs and he is doing so.

पश्चिमी घाटों के विकास के लिये अध्ययन दल की रिपोर्ट

254. **श्री बी० वी० नायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाटों के विकास के लिए अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उपरोक्त (ख) के बारे में योजना आयोग का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क), (ख) और (ग) (क) में उल्लिखित कोई अध्ययन दल नहीं बनाया गया है। इसलिए (ख) और (ग) का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथापि, एक उच्च स्तरीय समिति है जो पश्चिमी घाट क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की सिफारिश करती है।

गांवों में आवश्यक वस्तुओं के लिये डिपो खोलना

255. **श्री डी० के० पंडा** : क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंग के रूप में गांवों में आटा, चीनी, कपड़ा तथा दालों के लिये डिपो खोले हैं।

(ख) यदि हां, तो इस एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने डिपो गांवों के लिए खोले गये हैं;

(ग) औसत मूल्य सूची क्या है; और

(घ) क्या सरकार को इन डिपुओं में मूल्यों संबंधी कोई शिकायत मिली है ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ). राशन की दुकानें/उचित मूल्य की दुकानें राज्य सरकार द्वारा इलाकों, जिनमें देहाती इलाके भी शामिल हैं, की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए खोली जाती हैं। इन उचित मूल्य के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से वितरित की जाने वाली वस्तुएं ये हैं—चावल, गेहूं तथा गेहूं की बनी वस्तुएं, लेवी वाली चीनी और कुछ इलाकों में दालें। जून, 1975 में उचित मूल्य की दुकानों/राशन की दुकानों की संख्या 2.23 लाख थी, जो जून, 1976 में बढ़कर 2.38 लाख हो गई है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष नियंत्रित कपड़े के फुटकर बिक्री केन्द्रों की संख्या 29324 थी जो अब बढ़कर लगभग 47000 हो गई है, जिनमें से 37000 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। ये सभी वस्तुएं नियंत्रित दरों पर बेची जाती हैं। इन डिपुओं पर ली जाने वाली कीमतों सम्बन्धी शिकायतों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाई की जाती है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 11012/76]

भारतीय कोयला खानों में खनन का आधुनिक तरीका

256. **श्री डी० के० पंडा :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला खानों में 'स्क्रेपर माइनिंग' नामक खनन का आधुनिक तरीका लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है,

(ग) इस कार्य को पहले कर रहे लोगों के रोजगार पर इससे कहां तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) कोयला खानों के ऐसे लोगों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिधेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां। इस विधि को कोल इंडिया लि० और टाटा आइरन एंड स्टील लि० की कुछ खानों में परीक्षण के तौर पर अपनाया गया है।

(ग) इस विधि के अपनाने से कोयला खानों में अधिक उत्पादन और श्रमिक शक्तियों का अधिकतम उपयोग हुआ है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

बन्द पड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान

257. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **इस समय बन्द औद्योगिक प्रतिष्ठानों की कुल संख्या कितनी है।**

(ख) इन एककों को प्रति वर्ष कुल कितने औद्योगिक उत्पादन की हानि हो रही है और इससे कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं; और

(ग) इन एककों को पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1975-76 की अवधि में प्रत्येक राज्य में बंद पड़े एकक बताने वाला एक विवरण संलग्न है। सरकार और वित्तीय संस्थाओं ने पहले से ही औद्योगिक उपक्रमों में संकटग्रस्तता की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए प्रारंभिक स्थिति में ही पहल करनी शुरू कर दी है ताकि उन्हें पर्याप्त माला में कच्चे माल का आवंटन किया जा सके, कार्यकारी पूंजी और तकनीकी सहायता दी जा सके तथा उनकी प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 11013/76]

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक एककों के मुख्यालयों को कलकत्ता ले जाया जाना

258. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एककों ने अपने मंत्रालयों को एक बार पुनः कलकत्ता ले जाना आरम्भ **कर** दिया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में औद्योगिक पूंजी निवेश में भी कोई सुधार हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) और (ख). जी, हां।

(ग) उन औद्योगिक एककों/कम्पनियों की संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपना प्रधान कार्यालय कलकत्ता स्थानान्तरित कर लिया है, निम्न प्रकार है:—

वर्ष	संख्या
1973–74	4
1974–75	8
1975–76	8

जून, 1973 से जून, 1976 तक पिछले तीन वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की गई लाइसेंस प्राप्त परियोजनाओं में 342.62 करोड़ रुपए (अनुमानित) का अनुमानित औद्योगिक निवेश किया गया है।

लखनऊ की एक लड़की की हत्या के बारे में सी० बी० आई० की जांच

259. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ के उस मामले की जांच-पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यरो को सौंपा गया है जिसमें तस्करों द्वारा एक युवती की हत्या की गई बताई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार के अनुरोध पर 2–5–76 को लखनऊ की कुमारी शुभ्र लहीरी की हत्या के मामले की जांच पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यरो को सौंपा गया है।

(ख) मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

विदेशी संगठनों द्वारा सेना के अधिकारियों की पत्नियों को रोजगार

260. **श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे :**
श्री सी० जनार्दनन :
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त सेना-अधिकारियों की पत्नियों को आई०बी०एम० अधिक वेतन पर नियुक्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आई०बी०एम० में ऐसी कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं ;

(ग) वे वहां कब से कार्य कर रही हैं, उनकी शैक्षणिक अर्हतायें और वेतन क्या हैं;

(घ) क्या सेना अधिकारियों की पत्नियों को किसी विदेशी संगठन में कार्य करने की अनुमति नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों ने इस फर्म में अपनी पत्नियों को नौकरियां दिलाने से पूर्व सरकार से अनुमति ली है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल):(क) और (ख). सेना के सेवानिवृत्त परन्तु पुनः नियुक्त अधिकारी की पत्नी का एक मामला हमारे ध्यान में आया है।

(ग) वह मैट्रिक्यलेट है और पहली फरवरी 1969 से कार्य कर रही है। उसका वर्तमान वेतन 1,000 रुपए प्रति मास है।

(घ) साधारणतया नहीं, परन्तु अनुमति दिये जाने के लिए व्यवस्था है।

(ङ) अफसर ने 19–9–1972 को कार्योत्तर अनुज्ञा मांगी। इस मामले पर विचार किया गया और उसकी नियुक्ति को आपत्तिजनक नहीं पाया गया और उसका 17–3–1973 को अनुमोदन कर दिया गया।

विशाखापत्तनम नेवल डाक यार्ड

261. **श्रीमती रोजा विद्‌याधर देशपांडे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम नेवल डाक यार्ड के निर्माण-कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल):(क) और (ख). विशाखापत्तनम में नेवल डाक परियोजना को, योजना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर तीन चरणों में क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई है। परियोजना का प्रथम चरण 1979 तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है। दूसरा चरण 1981 तक पूरा कर लिये जाने की आशा है। परियोजना का दूसरा चरण पूरा कर लिये जाने के पश्चात् तीसरा चरण हाथ में लिया जायेगा। इस समय यह कहना कठिन है कि तीसरा चरण कब पूरा किया जायेगा।

लघु एककों का विकास

262. **श्री शंकर दयाल सिंह :**
श्रीमती रोजा विद्‌याधर देशपांडे :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री रामसहाय पांडे :

क्या **उद्‌योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु एककों के विकास के लिए एक नया कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कायक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस कार्यक्रम का लघु उद्योगपतियों द्वारा कहां तक स्वागत किया गया है ; और

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस कार्यक्रम में रुचि दिखायी है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और(ख). पिछले दो वर्षों और विशेष रूप से आयात स्थिति की घोषणा की जाने के बाद से लघु उद्योगों का विकास अधिक सघन हो गया है उसका और विस्तार भी हुआ है । इस सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों और लघु उद्योगों का विकास करने, इंजीनियर उद्यमियों को सहायता देने का कार्यक्रम, आधुनिकीकरण कार्यक्रम, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र सम्बन्धी योजनायें तथा नये औजार कक्षों तथा उत्पाद और पांच तथा चीनी मिट्टी के प्रक्रिया विकास केन्द्रों की स्थापना करने, सहायक उद्योगों और विपणन का विकास करने, निर्यात, तथा परामर्शदायी और विस्तार सेवाओं के क्षेत्र में पहल की गई है ।

(ग) इन प्रयासों का लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा स्वागत किया गया है तथा इनके परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

(घ) जी हां । विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लघु उद्योगों के मामलों में ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे का विस्तार

263. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र ट्राम्बे का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मंत्री योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). जी, नहीं । आर–5 रिएक्टर जैसी कुछ ऐसी परियोजनाओं को, जिनके लिये स्वीकृति मिल चुकी है तथा जिन पर काम भी शुरू किया जा चुका है, छोड़कर, भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, ट्राम्बे में और परीक्षण सुविधायें जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

वर्ष 1976–77 के लिए केरल की वार्षिक योजना

264. **श्री वयालार रवि :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 के लिये केरल की वार्षिक योजना का कुल परिव्यय कितना है ;

(ख) क्या इस राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार को इस प्रस्ताव के खिलाफ़ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष): (क) से (घ). राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श कर हाल ही में राज्य के संसाधनों का विश्लेषण किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुये योजना परिव्यय की स्थिति की अभी समीक्षा की जानी है ।

सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य लाभ

265. **श्री वयालार रवि :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी, चिकित्सा सहायता तथा परिवार पेंशन के लाभ मिल रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और रजिस्ट्रार जिन्हें सशस्त्र सेनाओं से लिया जाता है, अपने-अपने सेवा विनियमों के अनुसार, पेंशन उपदान, चिकित्सा सहायता और पारिवारिक पेंशन हित पाने के पात्र हैं, सैनिक स्कूलों के अन्य कर्मचारी अंशदायी भविष्यनिधि योजना के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी की परिलब्धियों के 8.33 प्रतिशत का अंशदान करता है बशर्ते चंदा देने वाला समान अथवा अधिक धन का अंशदान करना पसन्द करता हो। सैनिक स्कूल के कर्मचारी छोटे रोगों के लिये निःशुल्क चिकित्सा परामर्श-और औषधियां स्कूल औषधालयों से और बड़े रोगों के लिये पास के सरकारी औषधालयों/अस्पतालों से चिकित्सा सहायता पाने के पात्र हैं सैनिक स्कूलों के कर्मचारियों को अंशदायी चिकित्सा सहायता देने की योजना विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा अकुशलता के कारण केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सेवा निवृत्त मुकदमा चलाया जाना

266. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1975 में आपात स्थिति की घोषणा के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा अकुशलता के कारण देश भर में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्त किया गया है और कितने कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया गया है ?

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : जून, 1975 और 31-7-1976 के बीच 4944 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को (जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं) लोक हित में समय से पहले सेवा निवृत्ति के आदेश दिए गये थे और जून, 1975 तथा 30-6-1976 के बीच 564 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुकदमा चलाया गया था।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को आंसुका के अन्तर्गत बन्दी बनाया जाना

267. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :**
श्री बी० आर० शुक्ल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1975 में आपात कालीन की घोषणा के पश्चात् धन के दुरुपयोग तथा कदाचारों के गम्भीर अपराधो के लिये 'आंसुका' के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारी बन्दी बनाये गये हैं तथा वे किस-किस श्रेणी के हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रोम मेहता) : श्रांसुका के अन्तर्गत नजरबन्दियां अधिनियम में केवल निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये की जाती है। यह तो एक संयोग की बात है कि नजर बन्द किया गया व्यक्ति सरकारी सेवा में है।

आपात स्थिति के सन्दर्भ में नजर बन्द किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना देना इस अवस्था में लोक हित में नहीं होगा।

गत तीन वर्षों में स्थापित किए गए तापीय संयंत्रों में विद्युत की हानि

268. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने हाल ही में इस बात का पता लगाया गया है कि गत तीन वर्षों में स्थापित किये गये तापीय संयंत्रों में विद्युत को हानि, हानि के राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हानि के कारणों की जांच की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ताप संयंत्रों के बन्द होने की स्थितियों का अध्ययन किया है। इसमें वे संयंत्र भी शामिल हैं जो पिछले तीन वर्षों में स्थापित किये गये हैं। प्रारम्भिक अवस्था में ताप संयंत्रों में रुकावटें पैदा होना सामान्य बात है और प्रारम्भिक समक्रमण काल के दो वर्ष बाद ही इनमें सामान्य उत्पादन शुरू होता है। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप जहां भी आवश्यक हुआ वहां कार्य निष्पादन में और सुधार लाने के लिये सुधार किये गये हैं।

तीसरे विश्व के देशों के वैज्ञानिकों का क्लब

269. **श्री राजदेव सिंह** :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
मौलाना इसहाक सम्भली :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तीसरे विश्व के वैज्ञानिकों के क्लब के किसी विचार को क्रियान्वित किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अधिकांश गुट-निरपेक्ष देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष): (क) और (ख). मैक्सिको नगर में, मैक्सिको देश की सरकार के तत्वावधान में, तीसरे विश्व के देशों के आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययनों (सी०इ० एफ० एस० टी० एम०) के एक केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र का मुख्य उद्देश्य अध्ययन तथा अनुसंधान द्वारा तीसरे विश्व की सामान्य समस्याओं को सुलझाने के लिये योगदान करना है।

न्यूयार्क में हाल में हुई गुट-निरपेक्ष देशों की बैठकों में, पेरू ने एक प्रलेखन परिचालित किया था, जिसमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नीतियों और कार्यों पर विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान

को बढ़ावा देने के लक्ष्य हेतु प्रौद्योगिकीय विकास के लिये तीसरे विश्व केन्द्र को स्थापित करने का सुझाव दिया गया था। तीसरे विश्व से सम्बद्ध वैज्ञानिकों के केन्द्र को बनाने का विचार, उपरोक्त तथ्यों तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुये करना होगा।

छः कम्पनियों को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा वित्तीय सहायता देने के बारे में जाँच

270. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित छः कम्पनियों को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा वित्तीय सहायता देने के बारे में बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जांच आयोग द्वारा नई दिल्ली में मई, 1976 में कोई जांच शुरू की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम रहे।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). बड़े औद्योगिक गृहों के जांच आयोग ने बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित छह: कम्पनियों को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा वित्तीय सहायता दी जाने के बारे में मई, 1976 में सार्वजनिक सुनवाइयां की थीं। पहले जांच कर लेने के बाद इन मामलों में सुनवाइयां हुई थीं। सुनवाई में विचार किये गये मामलों में जांच आयोग के निष्कर्ष सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में सम्मिलित कर दिये जायेंगे।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाना

271. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा प्रभाग ने मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के दुम्हट नामक स्थान में यूरेनियम के नये भंडारों का हाल ही में पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं।

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग को मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले में दुमहाट नामक स्थान के पास तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे स्थानों का पता चला है, जहां यूरेनियम मिलने की सम्भावना है। यूरेनियम से उत्पन्न रेडियोसक्रियता एक प्रमुख अपरुपण क्षेत्र के साथ साथ पाई गई है। इस क्षेत्र की जांच विस्तार से की जा रही है।

भारतीय शिष्टमंडल द्वारा यूरोप का दौरा

272. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हित संवर्धन के अध्ययन के लिये जून, 1976 में उनके नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने यूरोप का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) क्या देश तथा खरीदार राष्ट्रों के पारस्परिक हित के लिये किन्हीं उपायों को अंतिम रूप दिया गया था ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जून, 1976 में यूरोप का दौरा किया था। इस दौरे का एक उद्देश्य यह था कि उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के उपायों का अध्ययन किया जाये। तदनुसार शिष्टमंडल ने स्वीडन, इंगलैण्ड तथा अमेरिका में उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए की गई विधायी तथा संगठनात्मक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस अध्ययन को उपभोक्ता संरक्षण के लिए उचित व्यापार पद्धतियों तथा दूसरे सम्बन्धित उपायों के बारे में कानून बनाते समय ध्यान में रखा जायेगा।

शिष्टमंडल ने आम तौर पर अन्तर सहकारी व्यापार की सम्भावनाओं का भी पता लगाया। स्वीटजरलैण्ड, स्वीडन तथा इंगलैण्ड को सहकारी सोसायटियों ने भारत को सहकारी सोसायटियों से कृषि पदार्थ तथा विनिर्मित वस्तुएं खरीदने में विशेष रूचि दिखाई है। इन व्यापार विनियमों के लिए अब सम्बन्धित सहकारी सोसायटियों के बीच विस्तृत बातचीत होगी।

किरकी का 'रेंज हिल एरिया' के लिये बाजार

273. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को किरकी, पूना के 'रेंज हिल एरिया' में कोई बाजार खोलने के लिये एक अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां।

(ख) सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया है कि छावनी बोर्ड के पास 25,000 वर्ग फुट सैनिक भूमि को बाजार सुविधाओं से सम्पन्न किया जाए।

देहू रोड़ छावनी के लिये जल योजना

274. **श्री अनन्तराव पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहू रोड़ छावनी बोर्ड ने अपनी नई जल योजना के लिये धनराशि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई है और कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा पूरी की जाने वाली जल पूर्ति योजना में भाग लेने के लिए छावनी बोर्ड ने विशेष सहायता अनुदान के रूप में धनराशि की मांग की है।

(ख) योजना की इस समय इंजीनियरों द्वारा संवीक्षा की जा रही है।

New staff pattern and pay scales for employees of "Doordarshan"

275. **Shri Lalji Bhai** : Will Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether proposals regarding new staff patern and revision of pay scales of the employees of "Doordarshan" (T. V.) have been under consideration for a long time; and

(b) if so, the reasons for delay and when the new pay-scales and staff pattern are likely to be introduced ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri DharmBir Sinha) :(a) The proposal regarding staffing pattern for Doordarshan Kendras and revision of fee/ pay scales of T. V. staff has been under consideration for some time.

(b) The decision on staffing pattern will be taken after report of Staff Inspection Unit of Ministry of Finance, which has already commenced study of the Delhi Doordarshan Kendra, is available. In the meantime, the revision of fee scales of T. V. staff artists on the analogy of the recommendations made by the Third Pay Commission for regular Government servants, has been taken up for consideration.

कोयले का उत्पादन लक्ष्य

276. **श्री एम० कतामुतु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन के लिए पांचवीं योजना के लक्ष्य को 13.50 लाख टन से कम करके 12.50 लाख टन कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्तमान उत्पादन दर क्या है और पुनरीक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) जी हां, पांचवीं योजना के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य को 1350 लाख टन से घटा कर 1240 लाख टन कर दिया गया है । यह कटौती व्यापक रूप में इस्पात और विद्युत क्षेत्रों की इस समय प्रायोजित कोयला मांग में कमी के कारण की गई है।

(ग) कोयला उत्पादन की वर्तमान दर इस प्रकार है : —

अवधि	उत्पादन लाख टनों में (अनंतिम)
1974–75	884.10
1975–76	996.90
अप्रैल, 76	79.20
मई, 76	76.90
जून, 76	78.60
जुलाई, 76	81.40
जोड़ (अप्रैल से जुलाई, 76 तक)	316.10

संशोधित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती

277. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में केरलवासियों, तमिलवासियों तथा कर्नाटक-वासियों की नई भर्ती पर रोक लगा दी है ;

(ख)जयदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में इन राज्यों की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई छूट है ; और

(घ)यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मख्य बात क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री(श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) जी नहीं, श्रीमान्; यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी राज्यों से उचित प्रतिनिधित्व हो विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में भरती को नियमित किया जा रहा है।

(ख), (ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

'रेमको' तथा एम० पी० एल० को हुआ घाटा

278. **श्री के० मालन्ना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो एण्ड इलैक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड (रेमको) तथा मैसूर पोर्सलैन्स लिमिटेड (एम० पी० एल०) घाटे में चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों में अधिकांश शेयर कर्नाटक सरकार के हैं ; और

(घ) सरकार ने इन कम्पनियों को ऋणी होने से बचाने एवं इन्हें मुनाफ़ा कमाने वाली कम्पनियों में बदलने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) रेमको रेडियो एंड इलेक्ट्रिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को 31–3–1975 तक कुल 3.76 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई थी।

एम० पी० एल० मैसूर पोर्सलेन्स लिमिटेड को प्रारम्भिक वर्षों में थाड़ा सा लाभ हुआ था किन्तु 1974–75 में इसे 38,07,865 रुपये की भारी हानि हुई, जिससे इसकी संचित हानि बढकर 48.90 लाख रुपए हो गई।

(ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार और राज्य औद्योगिक निवेश तथा विकास निगम के मिलाकर रेमको में 86.19 प्रतिशत और एम० पी० एल० में 76.76 प्रतिशत शेयर ह।

(घ) कुछ कार्यविधिक औपचारिकतायें पूरी करने के उपरांत ये एकक औपचारिक रूप से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने अधिकार में ले लिए जायेंगे। बी० एच० ई० एल०द्वारा अधिग्रहण कर लिये जाने पर ये एकक लाभ कमाने की स्थिति में हो जायेंगे । रेमको तथा एम० पी० एल० के अधिग्रहण से अनेक लाभ होंगे।

बी० एच० ई० एल० के पास एक पावर इलेक्ट्रानिक्स परियोजना है। रेमको इस परियोजना के लिये पर्याप्त विद्युत्, जल और निर्मित क्षेत्र, जिसमें विस्तार की गुंजाइश हो, के साथ अवस्थापना संबंधी एक अच्छा आधार उपलब्ध करके एक आदर्श स्थल प्रदान करेगा। रेमको में विद्यमान सुविधाओं के उपयोग से पावर इलेक्ट्रोनिक्स परियोजना के निश्चित अवधि से 18 महीने पहले चालू होने की सम्भावना है। इस परियोजना के समय से पूर्व चालू हो जाने से आयात प्रतिस्थापन के द्वारा 600 लाख रुपये तक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। रेमको में इस समय निर्मित किये जा रहे विद्युत् मीटरों के डिजाइन में उनके सहयोग करार के चालू हो जाने के पश्चात् कोई सुधार नहीं हुआ है। बी० एच० ई० एल० का डिजाइन में सुधार करने तथा दूसरे प्रकार के विद्युत् मीटरों जैसे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटिंग मीटर, टू पार्ट तथा थ्री पार्ट टैरिफ़ मीटर, स्विच बोर्ड माउंटिंग तथा अन्य प्रकार के विशेष मीटर, रिले आदि बनाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार रेमको के बी० एच० ई० एल० में मिला दिये जाने से इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधि का पुनर्नवीकरण हो जायेगा और निरन्तर पर्याप्त रोजगार मिलता रहेगा।

एम० पी० एल० के अधिग्रहण से बी० एच० ई० एल० की पोर्सीलेन इंसुलेटर्स की आवश्यकता पूरी हो जायेगी, जो लगभग 300 लाख रुपये के मूल्य की है। इस समय इसकी 50 प्रतिशत आवश्यकताएं आयात द्वारा पूरी की जाती हैं। कभी-कभी बी० एच०ई०एल० की आयात द्वारा ये इंसुलेटर्स समय पर नहीं मिल पाते हैं और इससे बी० एच० ई० एल० के उत्पादन कार्यक्रम में कुछ अनिश्चितता आ जाती है। देश के विद्युत् विकास कार्यक्रम और झांसी में बी० एच० ई० एल० के नये संयंत्र के चालू होने से जिनसे इस प्रकार के इंसुलेटरों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, यह स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी। इस समय एम० पी० एल० द्वारा बी० एच० ई० एल० की इन्सुलेटरों की आवश्यकता का केवल 25 प्रतिशत ही पूरा किया जाता है। बी० एच० ई० एल० का एम० पी० एल० के उत्पाद-मिश्र में उपयुक्त परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है ताकि बी० एच० ई० एल० का कुल आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

साप्ताहिक 'रोजगार समाचार'

279. **श्री राम सहाय पांडे : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साप्ताहिक "रोजगार समाचार" को अंग्रेजी तथा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में प्रकाशित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) और (ख) "रोजगार समाचार" अब अंग्रेजी, हिन्दी, बंगला और उर्दू में प्रकाशित हो रहा है। इसके तमिल और तेलगु संस्करण भी शीघ्र ही निकाले जायेंगे। इसके अन्य भाषाओं में भी संस्करण निकालने का प्रश्न विचाराधीन है।

सीमेंट का उत्पादन

280. **चौधरी रामप्रकाश : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट का उत्पादन बढाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) सीमेंट उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 211.6 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है तथा 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक की और क्षमता भी स्वकृत कर दी गयी है जिसमें से लगभग 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता पांचवी योजना के अंत तक स्थापित हो जाने की संभावना है। 1974–75 (147 लाख मीट्रिक टन) की अपेक्षा 1975–76 के दौरान (172 लाख मीट्रिक टन) सीमेंट के उत्पादन में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

सरकार ने मौजूदा एककों का अध्ययन करने, उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट देने, क्षमता अधिकतम करने और कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये कुछ परामर्शदाताओं की सेवाएं भी प्राप्त करने का निश्चय किया है।

जूता निर्माताओं तथा कपड़ा व्यापारियों के प्रतिनिधियों की बैठक

281. **श्री प्रसन्नभाई मेहताः** क्या **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जूता निर्माताओं तथा कपड़ा व्यापारियों के प्रतिनिधियो की अनेक बार बैठक बुलाई थी और उन्हें अपने उत्पादों के मूल्य कम करने को कहा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधियो ने अब तक अपने उत्पादों के मूल्य कम नहीं किये हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्णय किया है ताकि वे अपनी वस्तुओं के मूल्य 1973 के स्तर पर लायें ; और

(घ) क्या इस समय बाजार में जूतों और कपड़े के मूल्य सबसे अधिक है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय सरकार ने आम किस्म के जूतों की कीमतों में कमी करने के बारे में कुछ प्रमुख जूता निर्माताओं के साथ कुछ बैठक कीं। तथापि, सूती कपड़े की कीमतों में कमी करने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कपड़ा व्यापारियों के साथ कोई बैठक नहीं की है।

(ख) संगठित क्षेत्र के तीन प्रमुख जूता निर्माताओं ने आम किस्म के जूतो की चुनी ब्रांडों की कीमतों में कमी की है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं।

प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिये समिति का गठन

282. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशासनिक सुधारों का तत्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोई समिति गठित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) समिति कब तक गठित किये जाने की सम्भावना है।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

बिजली की कमी

283. **श्री सन्नभाई मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान बिजली की सप्लाई बदतर हुई है और कुछ राज्यों में तो बिजली की अत्यधिक कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष बिजली की कमी और भी अधिक है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय किए हैं कि कम से कम औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की कमी लम्बे समय तक न रहे ; और

(ङ) यदि हां, तो देश में बिजली की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). देश में बिजली की सप्लाई की समग्र स्थिति चालू वर्ष के दौरान बदतर नहीं हुई है। तथापि, जल-विद्युत केन्द्रों के अपवाह क्षेत्रों में मानसून कम होने के कारण कम जल उपलब्ध होने की वजह से केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में बिजली की स्थिति पर असर पड़ा है। दूसरी ओर, अधिकांश शेष राज्यों में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा ।

केन्द्रीय सरकार स्थिति का निरन्तर पुनरीक्षण करती रहती है तथा उत्पादन को अधिकतम करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का कार्य समय-सूची के अनुसार हों ।

बिजली की सप्लाई के मामले में औद्योगिक क्षेत्रों को समुचित प्राथमिकता दी जाती है ।

समानान्तर परिवहन प्राधिकरण चलाने वाला अन्तर्राज्यीय गिरोह

284. **श्री अमर सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली पुलिस को हत्या के एक मामले की जांच करते समय संयोगवश एक ऐसे अन्तर्राज्यीय गिरोह का पता लगा जिसके बारे में समाचार है कि वह दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर "समानान्तर परिवहन प्राधिकरण" चला रहा है तथा उसने छः व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया ;

(ख) क्या इस गिरोह के बारे में यह बताया गया है कि यह जाली अन्तर्राज्यीय मार्ग परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और सड़क टोकन जारी करने में लगा हुआ था ;

(ग) क्या अनेक छापों के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में जाली मुहरें, विभिन्न परिवहन अधिकारियों के रबड़ के स्टाम्प, जाली ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन पुस्तकें तथा सड़क-कर टोकन बरामद किये ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) जांच पड़ताल के दौरान विभिन्न स्थानों से और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा अभिशंसी दस्तावेज तथा सामग्री भी बरामद की गई थी। थाना शाहदरा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 472/473 के अधीन एक मामला एफ़० आई० आर० सं० 384 तारीख 16–7–76 को दर्ज किया गया था।

रानीगंज के क्षेत्रों के पूर्वी एक्सटेंशन में कोयला संस्तरों का पता लगना

285. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज क्षेत्र के पूर्वी एक्सटेशन में मोइरा तथा काटडीह बाजार (पश्चिम बंगाल) में पांच अक्षत कोयला संस्तरों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो खानों का वास्तव में प्रयोग करने से पूर्व सभी सम्बद्ध प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इन खानों का प्रयोग कब तक किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० सिदश्वेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) कथित क्षेत्रों में कोयला पट्टियों के ब्यौरे प्राप्त करने के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वे द्वारा ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है और साध्यता रिपोर्ट बनाई जा रही है।

(ग) इन खानों की खुदाई का कार्यक्रम छठवीं योजना के उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर बनाया जाएगा।

केरल के अट्टाप्पडी और वायनाड का विकास

286. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार को अट्टापडी और वायनाड के विकास हेतु कुछ विशेष योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रहन-सहन की दशाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शंकर घोष) :(क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीन स्कीम स्वीकृत कर ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है।

औद्योगिक लाइसेंस हेतु केरल से प्राप्त विचाराधीन आवेदन-पत्र

287. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**
श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु केरल राज्य से प्राप्त आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कितने हैं और उनके पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (घ). केरल के लिए 31–7–76 तक प्राप्त औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों में से 11 आवेदन अनिर्णीत है। औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों पर निर्णय लेते समय विभिन्न बातों जैसे अवस्थापना, कच्चे माल संबंधी जानकारी की उपलभ्यता, मांग, अधिष्ठापित क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाता है। अनिर्णित आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

आसाम में आशय-पत्रों का जारी किया जाना

288. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान आसाम को कितने आशय-पत्र जारी किए हैं ; और

(ख) उनमें से अभी तक कितने आशय-पत्रों को क्रियान्वित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) गत वित्तीय वर्ष 1975–76 में आसाम राज्य की औद्योगिकी एककों की अवस्थापना के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत 10 आशय पत्र जारी किए गए थे।

(ख) आशय-पत्र की प्रारम्भिक वैध अवधि एक वर्ष है, जिसे एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अत: गत वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए आशय-पत्र इस समय क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

समाचार संगम संबंधी भारतीय प्रारूप

289. **श्री अनन्तराव पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने समाचार एजेंसी संगम के बारे में गुट-निरपेक्ष देशो के मंत्रियों के सम्मेलन में समाचार संगम स्थापित करने संबंधी भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ;

(ख) उक्त समाचार संगम के गठन और कार्यकरण में क्या-क्या कठिनाइयां आने की संभावना है और इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है ; और

(ग) क्या भारत सदस्य देशों को समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में शिक्षा देने की सुविधाएं प्रदान करने हेतु तैयार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :(क) सूचना और प्रसारण मंत्री को प्रैस एजेंसी संगम के बारे में गुट-निरपेक्ष देशों के मंत्रियों के सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। अतः वे स्वाभाविक रूप से सम्मेलन के सभी कार्यों और निर्णयों से सक्रिय रूप से संबद्ध थे, जो भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधि मंडलों के घनिष्ट सहयोग और लगन के ही परिणाम स्वरूप लिए गए थे।

(ख) प्रैस एजेंसी संगम के संचालन के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक कार्य-ढांचे की व्यवस्था सम्मेलन द्वारा स्वीकृत उसके संविधान में की गई है। संगम को चलाने के लिए एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है।

(ग) सदस्य देशों को संगम सीमा तक प्रशिक्षण देने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

स्कूटरों के आवंटन के लिये प्रतीक्षा-सूची

290. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामान्य जनता को आवंटित किए जाने वाले स्कूटरों की लम्बी प्रतीक्षा सूची की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री टी०ए० पाई): (क) और (ख). देश में विभिन्न विक्रताओं के पास जनवरी, 1976 के अंत तक सामान्य जनता को स्कूटरों के आवंटन के लिये 5,94,598 आर्डर अनिर्णीत पड़े हुए थे। अनेक कदमों के उठाये जाने के फलस्वरूप स्कूटरों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है और आशा है कि स्कूटरों की मांग जो 1979–80 में 3,00,000 और 4,00,000 के बीच रखी गई है स्कूटरों की कुल उपलब्धता के रूप में व्यक्तिगत अभिरुचियों से भिन्न काफी पूरी कर दी जायेगी।

जाली प्रमाण-पत्रों वाला गिरोह

291. **चौधरी राम प्रकाश** :
श्री एन० ई० होरो :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हायर सेकैन्डरी स्कूल के जाली प्रमाण-पत्र और विश्वविद्यालय की जाली डिग्रियां बेचने वाले संगठित गिरोह को समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसी शिकायतें मिली हैं और मामले का पता चला है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन:)

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दो मामले, एक किंग्स्वे कैम्प तथा दूसरा लोधी कालोनी थाने में, दर्ज किये गये हैं और 56 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। अभिशंसी दस्तावेज जैसे जाली प्रमाण-पत्र, डिग्रियां, मार्कशीट तथा चरित्र प्रमाण-पत्र बरामद किये गये हैं।

Dacoits Menace in Chambal Valley

292. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the nature of efforts being made by the Centre and Madhya Preadesh and Rajasthan Governments to put an end to the dacoit menace in the Chambal valley, common to these two States;

(b) the expenditure incurred as a result of these efforts during the last three years; and

(c) the extent of success achieved by the Centre and State Governments, separately?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a), (b) and (c): The Government of India gave loan assistance in 1970-71 to the Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan totalling Rs. 64·70 lakhs for construction of roads and for purchase of wireless equipment and vehicles in connection with anti-dacoity operations. The State Governments have also been asked to launch coordinated anti-dacoity operations, to exchange information available with them about criminals operating in their areas, to keep the situation under constant review by holding inter-State meetings regularly, to destroy the lines of supply of arms and ammunition to the dacoits, to undertake mobile patrolling of the national high-ways to expand telecommunication coverage in the area, to provide greater mobility for the police deployed in the area and to prepare a development plan for the Chambal area.

Information from the Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan is awaited and will be laid on the Table of the Sabha after it is received.

Manufacture of Woollen Khadi

293. **Shri Lalji Bhai** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan Government have announced recently a master plan to provide incentive for the manufacture of woollen khadi; and

(b) if so, the salient features thereof?

The MinistEer of Industry (Shri T. A. Pai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना, दिवालिया कम्पनियों के औद्योगिक उपक्रमों की जाँच (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 और खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद का वर्ष 1971--73 का प्रतिवदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं श्री ए० सी० जार्ज की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क की उपधारा (1) के

अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० ग्रा० 371 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 10978/76]

श्री बी० पी० मौर्य : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिवालिया कम्पनियों के औद्योगिक उपक्रमों की जांच (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 437 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धिपत्र जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 486 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10979/76]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खाद्य परिष्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1971–73 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10980/76]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा तमिलनाडु लोक पदधारी (आपराधिक दुराचरण) नियम, 1975 तथा इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) सा० सां० नि० 399 (ङ) जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित नियमों तथा विनियमों को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है ।

(दो) सा० सां० नि० 406 (ङ) जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 407 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 16 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 408 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 903 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 904 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 905 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा० सां० नि० 906 जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें दिनांक 16 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2228 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(नौ) भारतीय वन सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग में पद संख्या निर्धारणा) नियम, 1976, जो दिनांक 29 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 426 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) दूसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 6 जुलाई 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 444 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 6 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 445 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सा० सां० नि० 1016 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 7 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2268 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवायें (आचारण) संशाधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1017 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा, (परिवीक्षा) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1018 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1019 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) तीसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1020 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1022 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) दूसरा संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1023 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1024 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1064 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम, 1976 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 1109 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पदसंख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 3 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 750 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 3 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 751 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10981/76]

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु लोक पदधारी (आपराधिक दुराचरण) अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत तमिलनाडु लोक पदधारी (आपराधिक दुराचरण) नियम, 1975 की एक प्रति जो दिनांक 25 फरवरी, 1976 के तामिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० ए० 63/76 में प्रकाशित हुए थे।

(3) (क) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण तथा

(ख) अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10982/76]

वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना तथा केन्द्रीय उत्पाद लवण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें; कम्पनी (लाभ) (संशोधन) नियम, 1976 तथा आयकर (5वाँ संशोधन) नियम, 1976, केन्द्रीय उत्पाद नियम 1944 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें, केन्द्रीय सीमा शुल्क 1962 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम; 1975 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 952 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10983/76]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम 1976, जो दिनांक 9 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 393 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (अट्ठारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 415 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10984/76

(3) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 372 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10985/76]

(4) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 420 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10986/76]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 388 (ङ) जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 810 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 395 (ङ) जो दिनांक 10 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सां० नि० 854 जो दिनांक 12 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 863 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 865 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10987/76]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

एक) सा० सा० नि० 691 जो दिनांक 22 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 369 (ङ) जो दिनांक 27 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 370 (० ङ) जो दिनांक 27 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० सा० नि० 753 जा दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० सां० नि० 386 (ङ) जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० सां० नि० 387 (ङ) जो दिनांक 1 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० आ० 1914 जो दिनाक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० सां० नि० 805 जा दिनाक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० सां० नि० 806 जा दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० सां० नि० 807 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० सां० नि० 808 जो दिनांक 5 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० सां० नि० 397 (ङ) जो दिनांक 11 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० सां० नि० 410 (ङ) जो दिनांक 17 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और सा० सां० नि० 463 (ङ) जो दिनांक 23 जुलाई 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० सां० नि० 411 (ङ) जो दिनांक 17 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० सां० नि० 898 जो दिनांक 19 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० सां० नि० 433 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० सां० नि० 436 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठारह) सां० आ० 447 (ङ) जो दिनांक 1 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सां० सा० नि० 457 (ङ) और 458 (ङ) जो दिनांक 16 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० सां० नि० 1055 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० सां० नि० 464 (ङ) जो दिनांक 22 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० सां० नि० 469 (ङ) से सा० सां० नि० 471 (ङ) जो दिनांक 23 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा० सां० नि० 489 (ङ) जो दिनांक 28 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) प्रवेश पत्र प्ररूप विनियम, 1976 जो दिनांक 1 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 519 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1098/768]

(7) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 741 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) सा० सां० नि० 743 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सा० सां० नि० 745 (ङ) जो दिनांक 2 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 10989/76]

निर्माण संरक्षण (संशोधन) नियम, 1976

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विकीर्ण संरक्षण (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्मरण) की एक प्रति सभा पटल रखता हूं, जो दिनांक 29 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 756 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टा० 10990/76]

नारियल भूसी नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1976, नारियल जटा बोर्ड एरनाकुलम के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम दिल्ली के 15-2-71 से 31-8-72 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : मैं श्री ए० पी० शर्मा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत नारियल भूसी नियन्त्रण (संशोधन) आदेश 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 26 जून, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2168 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिय** संख्या एल० टी० 10991/76]

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड एरनाकुलम के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल० टी० 10992/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली के 15-2-71 से 31-8-72 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिय** संख्या एल० टी० 10993/76]

तमिलनाडु वेतन संदाय अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं—

(क) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु वेतन संदाय अधिनियम 1951 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सां० नि० आ० ए-444/75 जो दिनांक 22 अक्तूवर, 1975 के तामलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तमिलनाडु मंत्री यात्रा भत्ता नियम, 1951 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) सां० नि० आ० ए-445/75 जो दिनांक 22 अक्तूवर, 1975 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तमिलनाडु विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1955 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में राज्य गया **खिदेए** संख्या एल टी० 10994/76]

नौ सेना अधिनियम 1957 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) *(एक) नौसेना (पेन्शन) पहला संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 98 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल टी० 10840 / 76]

**(दो) नौसेना (छुट्टी) दूसरा संशोधम विनियम. 1976 जो दिनांक 1 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 100 में प्रकाशित हुए थे।

**(तीन) नौ सेना (पेन्शन) दूसरा संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 108 में प्रकाशित हुए थे।

**(चार) नौसेना (पेन्शन) तीसरा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 109 में प्रकाशित हुए थे।

**(पांच) नौसेना (पेन्शन) चौथा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 114 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 10875/76]

*अधिसूचना पहले 12 मई, 1976 को सभा पटल पर रखी गई और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत पुनः सभा पटल पर रखी गई।

**अधिसूचनायें पहले 19 मई 1976 को सभा पटल पर रखी गई और प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 234 (2) के अन्तर्गत पुनः सभा पटल पर रखी गई।

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नौसेना (पेन्शन) पांचवां संशोधन विनियम, 1976, जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 180 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) नौसेना (पेन्शन) छठा संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 17 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 181 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) नौसेना (पेन्शन) सातवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 189 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नौसेना (पेन्शन) आठवां संशोधन विनियम, 1976 जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 190 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10996/76]

REVIEW AND ANNUAL REPORT OF BHARAT COKING COAL LTD. FOR THE YEAR 1974-75

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddeshwar Prasad): laid on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(1) Review by the Government on the working of the Bharat Coking Coal Limited, for the year 1974-75.

(2) Annual Report of the Bharat Coking Coal Limited, for the year 1974-75 along with the Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(LAID ON THE TABLE—*See* No. LT 10997/76)

संसदीय समितियां—कार्य सारांश

PARLIAMENTARY COMMITTEES

SUMMARY OF WORK

महासचिव : मैं एक जून 1975 से 31 मई 1976 की अवधि सम्बन्धी संसदीय समितियां—कार्य सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा 10 अगस्त 1976 की अपनी बैठक में राज्य सभा की सदस्यता से सर्वश्री भूपेश गुप्त, रोशन लाल, वी० बी० राजू, मुल्का गोविन्द रेड्डी, लाल के० अडवानी, के० चन्द्रशखरन्, एस० के० गांगुली, ओम मेहता और श्रीमती अजीजा ईमाम के निवृत्त होने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, संविधान (32वां संशोधन) विधेयक 1973 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा के नौ सदस्य नियुक्त करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश की सहमत हुई और रिक्त हुए स्थानों पर उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों सर्वश्री भूपेश गुप्त, रोशन लाल, वी० बी० राजू, मुल्का गोविन्द रेड्डी, वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, एस० एन० मुल्ला, ए० आर० अन्तुले, ओम मेहता और श्रीमती अजीजा ईमाम को नियुक्त किया है।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO THE BILLS

महासचिव : मैं पिछले सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभायों द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तेरह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त विधेयक, 1976

(2) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1976

(4) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 1976

(5) टैरिफ आयोग निरसन विधेयक, 1976

(6) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1976

(7) संविधान (40वां संशोधन) विधेयक, 1976

(8) जीवन बीमा निगम (कर्मचारियों में कम भेद) विधेयक, 1976

(9) बैंककारी तथा लोक वित्तीय संस्थाएं विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

(10) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) संशोधन विधेयक, 1976

(11) चाय (संशोधन) विधेयक, 1976

(12) भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक, 1976

(13) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, 1976

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

32 वां प्रतिवेदन

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं याचिका समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

राजभाषा समिति

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री श्री ओम मेहता : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि राजभाषा अधिनियम 1963 को धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य सर्वश्री भागवत झा आजाद और मूल चन्द डागा के स्थान पर जिन्होने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्यति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य सर्वश्री भागवत झा आजाद और मूल चन्द डागा के स्थान पर जिन्होने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है समिति के सदस्यों के रुप में कार्य करने के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

राष्ट्रीय बाल नीति सम्बन्धी संकल्प—जारी

MOTION RE. NATIONAL POLICY FOR CHILDREN—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय बाल नीति संकल्प पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखेंगे।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० नुरुल हसन): कल मैंने उन सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया था जिन्होंने इस मामले में गहरी दिलचस्पी लेकर बहुमूल्य सुझाव दिये।

सीमित समय होने के कारण यद्यपि मैं उठाई गई सभी बातों पर चर्चा न कर पाऊंगा परन्तु मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर सरकार पूरी तरह विचार करेगी ।

एक बात सभी सदस्यों ने यह कही है कि गर्भवती माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषाहार की ओर अधिक ध्यान दिया जाये । इसमें सन्देह नहीं कि यह जीवन का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें कमी रह जाने पर बच्चे के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ जाता है । इस प्रयोजनार्थ मेरे मंत्रालय के स्वास्थ्य, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों, सहकारिता विभाग और राज्य सरकारों के सहयोग से एक सुगठित बाल विकास सेवा आरम्भ की है जिसका उद्देश्य उपरोक्त सभी बातों पर जोर देना है ।

मुख्य रुप से बाल विकास सेवा का आरम्भ गर्भवती माताओं और जननोपरांत मां और बच्चे की देख-भाल से होता है । उसके बाद बच्चों को रोग मुक्त करने और रोगों से बचाने की बात है । जिसके अन्तर्गत तिहरा टीका, नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षा स्कूल पूर्व भोजन औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आते हैं । हम इस बात को अनिवार्य मानते हैं कि 3- 6 वर्ष के बच्चों को विशेषकर कमजोर वर्ग के बच्चों की ओर इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ध्यान दिया जाये ताकि उन्हें सही प्रेरणा मिल सके और उनका स्वस्थ्य विकास हो सके । इस प्रयोजनार्थ हम प्राथमिक विद्यालयों के बिल्कुल निकट "आंगनवाडियां" स्थापित कर रहे हैं ताकि प्राथमिक विद्यालयों के बड़े बच्चे विशेषकर लड़कियां छोटे बच्चों की देख-भाल कर सकें । इससे लड़कियों को प्रशिक्षण भी मिलेगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सहायता मिलेगी । चूंकि यह नई योजन है और इसमें बहुत सी एजेंसियों को शामिल किया जाना है, इसलिए ऐसा निश्चय किया गया है कि पहले चुने हुए 33 ब्लाक में इसे लागू किया जाये । आशा है कि छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को देश के सभी ब्लाकों में लागू किया जा सकेगा यह अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है इस से समाज के कमजोर वर्गों को बहुत लाभ होगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और अधिकतर राज्य सरकारों ने इस योजना का स्वागत किया है । लेकिन हम सोचते हैं कि इस कार्य को एक स्वतन्त्र निकाय द्वारा अधिक दक्षतापूर्ण ढंग से किया जा सकेगा । अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान द्वारा इस योजना पर कार्य किया जा रहा है ।

हम इस बात पर भी बल द रहे हैं कि प्रत्येक गांव में एक महिला मण्डल का गठन किया जाये क्योंकि गांव की स्त्रियों को भागीदार बनाये बिना बच्चो के लिए कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता ।

इस सम्बन्ध में प्रगति संतोषजनक कही जा सकती है । हम राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि इन महिला मण्डलों का गठन हो सके ।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जिसके अनुसार गांवों की एक निर्धारित संख्या के लिए कम से कम एक दाई अवश्य हो । स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से हम प्रत्येक प्राथमिक केन्द्र में एक अतिरिक्त डाक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं जो केवल बच्चों की ओर ही ध्यान दे । हम इस कार्यक्रम को भाग-दौड़ में लागू नहीं करना चाहते क्योंकि यह कार्य विशाल कार्य है और हमें विस्तृत कार्य का अनुभव चाहिए । उस अनुभव का लाभ उठा कर हम इस कार्यक्रम को देश भर में लागू कर दें ।

अन्य महत्वपूर्ण बात बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के बारे में है। इस समय प्राथमिक शिक्षा की स्थिति से हमें निराशा होती है। हमें जो लक्ष्य 1960 में प्राप्त कर लेना चाहिए था वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके पांचवीं योजना में पूरा होने की भी आशा नहीं है।

लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है : अब यह अनुपात 86 प्रतिशत से बढ़कर 89.9 प्रतिशत हो गया है। हमें इस दिशा में अभी और प्रयत्न करने हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लड़कियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए और प्रयत्न किये जाय।

जहां तक बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था का प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने संतोष प्रकट किया है कि धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। बच्चों की शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान देने का भी पूरा प्रयत्न किया जायेगा।

नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं। बच्चों को आरम्भिक शिक्षा देना काफी कठिन कार्य है जिसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है।

सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है कि बच्चो के लिए स्वस्थ साहित्य तैयार करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाये। हम इस कार्य को देश के भीतर और बाहर दोनो जगह प्रभावी ढंग से करना चाहते हैं। हम इस विषय को यूनेस्को के आगामी सम्मेलन में उठाने की सोच रहे हैं क्योंकि अन्य कई देशों में बाल साहित्य का स्तर हमारे देश में बाल साहित्य से ऊंचा है। हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना सकते। जहां से भी हमें बच्चों की भलाई के लिए कुछ प्राप्त हो सके, तो प्रयत्न आवश्य करना चाहिए।

जहां तक भीख मांगने का प्रश्न है कई बार आर्थिक मजबूरी के कारण भी भीख मांगनी पड़ती है। पर इस दिशा में जो कुचक्र चल रहा है उसकी भी हमें जानकारी है। बच्चों का शोषण किया जाता है, उन पर अत्याचार किये जाते हैं. । हम इसे रोकने के लिए कानून बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए भी कोशिश हो रही है। निरसित बच्चों के लिए अनाथालय खोलने की योजना 1974–76 में आरम्भ की गई थी। इसके लिए पहले दो वर्षों में 245 स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दी गई जिससे 16000 बालकों को लाभ हुआ। कुल मिला कर 208.20 लाख रुपए की सहायता दी गई। वर्ष 1975–76 में 52 स्वयं सेवी संगठनों को 741 "क्रेचों" की सहायता दी गई जिससे 18,525 बालक लाभन्वित हुए। कुल 28.83 लाख रुपए की मंजूरी दी गई।

बाल श्रम के शोषण को रोकने के लिए एक अन्तर-विभागीय कार्यकारी दल की स्थापना की गई। सार्वजनकि सहयोग और बाल-विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस संस्थान की सिफारिशों का कार्यकारी दल द्वारा अध्ययन किया गया है। अब इस बारे में आगे कार्यवाही की जाएगी।

लेकिन समाज कल्याण का कार्य सरकार अकेली नहीं कर सकती। हमें जनता का सहयोग चाहिए। साधन सीमित होने के कारण स्वयं सेवी संगठनों को हम पूरी तरह सहायता नहीं

पहुंचा सकते । लेकिन इस योजना को अन्य महत्वपूर्ण अंगों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है । स्वयं सेवी संगठनों का कार्य भी देश के विकसित भागों में अधिक है । देश के कई पिछड़े भाग ऐसे हैं जहां से बाल विकास की कोई भी योजना समाने नहीं आई है । हम कल्याण कार्यों में महिलायों का अधिकाधिक योगदान लेने के पक्ष में हैं ।

हमने राज्य सरकारो, मुख्य मंत्रियों, और समाज कल्याण मंत्रियों से अनुरोध किया है कि जो भी कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं उन्हें जारी रखने के लिए विशेष प्रयास किये जाय । बच्चों को दोपहर का भोजन देने के लिए उचित व्यवस्था पर भी जोर दिया जाये ।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है ताकि इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जो त्रुटियां हो उन्हें दूर किया जा सके । । प्रधान मंत्री स्वयं इस बोर्ड की चैयरमैन हैं और बच्चों में उनकी विशेष रुचि है । वे इस कार्य को पूरा करने में हमें प्रेरणा देती रहेगी । हमारे देश संघीय व्यवस्था है । अतः राज्य सरकारों की भी कुछ दायित्व हो जाता है वे कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें ।

राज्य सरकारों के सहयोग के बिना केन्द्रीय योजनाएं सफल नहीं हो सकती ।

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक

DELHI AGRICULTURE PRODUCE MARKETING (REGULATION) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक पर विचार किया जायेगा । इसके लिए एक घंटे के समय की सिफारिश की गई है । यदि आवश्यक हुआ तो हम इस निर्धारित समय में और वृद्धि कर देंगे । श्री शाहनवाज खां ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भाण्डारकरण और प्रसंस्करण के अधिक अच्छे विनियमन तथा कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

बम्बई कृषि उपज मंडी अधिनियम 1939 का विस्तार 1957 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए किया गया था तथा तभी से यह अधिनियम यहां लागू है ।

इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अब तक केवल तीन मण्डियों अर्थात् नरेला, नजफगढ़ और जखीरा का विनियमन किया जाता रहा है । दिल्ली की अन्य मण्डियां भी हैं जिनका अभी विनियमन किया जाना है । विनियमन के मार्ग में कुछ व्यवहारिक और तकनीकी कठिनाइयां उठ खड़ी हुई थी । अतः इन कठिनाइयों को दूर करने हेतु वर्तमान अधिनियम का निरसन करके प्रस्तावित विधान बनाने का विचार है । वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत मंडी में पड़ौसी राज्यों के कृषकों को प्रतिनिधित्व देने का उपबन्ध किया गया है और उनका नामांकन उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा ।

प्रस्तावित विधेयक में किसी भी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र घोषित करने के समय स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श करने की बात को छोड़ दिया गया है। विधेयक द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कृषि विपणन बोर्ड और मण्डी समिति में दो सदस्य रखने की व्यवस्था की गई है।

विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि मण्डी समिति की देख-रेख तथा उस पर नियंत्रण रखने हेतु उपराज्यपाल एक बोर्ड स्थापित करेंगे जिसे दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा।

क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच विवादों को निपटाने हेतु मध्यस्थों की नियुक्ति अथवा मण्डी समिति की एक उपसमिति बनाने का भी उपबन्ध किया गया है। अगर कोई अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष कार्य निवृत्त होते समय अपना कार्यभार नए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को सौंपने से न्कार करे तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की भी व्यवथा की गई है।

यह भी व्यवस्था की गई है कि बोर्ड सरकार तथा मण्डी समितियों से प्राप्त धन से एक निधि बनाएगा जिससे वह कृषि उपज के बेहतर विपणन, श्रेणीकरण तथा उसकी मानकीकरण और मण्डी का सामान्य सुधार करेगा।

विधेयक के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के लिए दिया जाने वाला दण्ड भी विद्यमान अधिनियम की दण्ड व्यवस्था की तुलना में अधिक कड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भाण्डारकरण और प्रसंस्करण के अधिक अच्छे विनियमन तथा कृषि उपज के लिये मंडियों की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम): *दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक, 1976, बम्बई कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1939 के स्थान पर प्रस्तुत किया जा रहा है और अब तक दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि उपज का विपणन इसी के आधार पर किया जा रहा था। परिवर्तित परिस्थितियों के सन्दर्भ में बम्बई अधिनियम को पर्याप्त नही समझा गया। इस विधेयक के माध्यम से एक कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसके सभापति के साथ 12 अन्य सदस्य होंगे।

आपातस्थिति में बहुत अधिक प्रचारित 20-सूत्री कार्यक्रम के बावजूद भी पिछले कुछ अरसे से देश भर में सभी आवश्यक पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति लक्षित हो रही है। मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: मध्यस्थों, ऐजेन्टों और जमाखोरों की गतिविधियों के कारण हो रही है।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

1533 एल एस—8

कुछ समय पहले प्याज़ और आलू का निर्यात किया जा रहा था। लेकिन अब उनका निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है लेकिन फिर भी देश में उनकी कीमत बढ़ रही है। जब तक नौकरशाहों की धांधलेबाजी को रोका नहीं जाता तब तक न तो उत्पादक को लाभ होगा और न ही उपभोक्ता को।

सरकार ने जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश से सब्जियां और फल लाने हेतु तेज गाड़ियां चलाई हैं लेकिन उपभोक्ताओं को इससे किसी भी प्रकार लाभ नहीं हुआ। सारा माल शीतगारों में चला जाता है और उपभोक्ताओं को पहले के समान अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। शीतगारों के मालिकों की गतिविधियों की निगरानी की जाए।

दिल्ली के सब्जी विक्रेताओं को दूर-दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया है इससे उनके व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है। इन लोगों को वित्तीय सहायता तथा पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

प्रस्तावित बोर्ड/समिति के सदस्यों को कार्मिक संघ अधिकार, छुट्टी की सुविधाएं तथा पेंशन इत्यादि दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य महोदय मध्याह्न भोजन के बाद अपना वक्तव्य जारी रखें। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक--जारी

DELHI AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (REGULATION) BILL—*Contd.*

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर : मैं कह रहा था कि विपणन समितियों को उत्पादकों से सीधे खरीद करनी चाहिये। उनकी निगरानी में उपभोक्ताओं को उचित दामों पर वस्तुएं बेची जानी चाहिये। पड़ोसी राज्यों के किसान माल बेच सकेंगे। किसानों को उनके उत्पाद के लिये लाभप्रद मूल्य मिलने चाहियें।

दिल्ली में फल तथा सब्जी के दामों में वृद्धि का कारण यह है कि सब्जी मार्किट को बहुत दूर ले जाया गया है और छोटे छोटे व्यापारियों को वहां से माल लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। विधेयक में बोर्डों तथा समितियों के गठन की व्यवस्था की गयी है। मेरा सुझाव है कि इन बोर्डों और समितियों में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिये। उन्हें पर्याप्त वेतन तथा मजदूरी मिलनी चाहिये। उन्हें सेवा सम्बन्धी सभी सुविधायें दी जानी चाहिये। मुझे आशा है कि इस विधेयक के पास होने के बाद उपभोक्ताओं को कम दरों पर वस्तुएं मिलेंगी।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : This Bill has been brought in the public interest.

The hon. Minister should state the aims and objects for which this Bill has been introduced in the House. I would suggest that this Bill after it is passed should also be made applicable to big cities like calcutta and Madras.

Persons of I. A. S. rank only should be appointed as Surveyors. All the residential areas with the population of 500 should be provided with the fruit markets.

According to the Bill one progressive agriculturist of Delhi will be the member of the Board. The hon. Minister should specifically define as to who will be his "progressive agriculturist".

I would suggest that in addition to one member of the Metropolitan Council, one Local member of the Parliament should also be represented in this body.

The Board should not be equipped with wide powers which should be limited. 30 per cent scheduled caste persons should also be represented in the services.

The hon. Minister should clarify as to what type of penalty will the purchaser be required to pay.

Shri Hari Singh (Khurja): I congratulate the hon. Minister for bringing this Bill which will certainly benefit producers and consumers.

Some of the provisions of the Bill like constitution of Market Boards and Market Committees are very useful in the present cotext of things Representatives of the producrs will be there in these bodies to look after their intersts. This Bill contains some useful proviision for regulating the markets for the tradirs of elhi and adjoining States. Now agriculturists will get fair prices for their produce through these marketing Boards and Committees.

The Board has also been empowered to check adulteration. This Bill will, no doubt, create confidence in the minds of producers.

I would also suggest that stores and cold stores should be provided in sufficient number for the agriculturists so that they could store their commodities and sell the same at the appropriate time.

I would also request the Government to remove the army of middlemen between the producers and consumers in the larger interests of the people.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह विधेयक पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। यह बात खुशी की है कि जो कुछ भी हम चाहते थे वह सब विधेयक में है।

विधेयक का उद्देश्य कृषि उत्पादनों की मार्किट को विनियमित करना है। इस विधेयक द्वारा इस बात का कोई भी संकेत नहीं मिलता कि उत्पादक अपनी पैदावार के लिये अच्छे दाम प्राप्त करने के बारे में निश्चित रहेंगे। विधेयक में कृषकों की पैदावार के मूल्यों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है।

विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिये कि उत्पादन बिना किसी आढ़ती अथवा व्यापारी के सीधे मार्किट में आ सकता है। इस बात को विधेयक के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। बोर्ड अथवा समिति को यह देखने की शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिये कि उत्पादकों को दिये गये दामों और उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये दामों के बीच कितना अंतर है। बोर्ड अथवा समिति को इस प्रकार की कोई भी शक्तियां नहीं दी गयी हैं। विधेयक को पढ़ने से पता चलता है कि बोर्ड मूल्यों के बारे में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अत: विधेयक में इस आशय का प्रावधान जोड़ ही दिया जाये।

विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि समिति में एक प्रगतिशील किसान तथा कृषक संस्था का प्रतिनिधित्व होगा। आप दोनों प्रतिनिधि किसानों की संस्थाओं से क्यों नहीं लेते?

मार्केटिंग बोर्ड में पंजाब; हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की किसान संस्थाओं का प्रतिनिधित्व क्यो नहीं लिया जाता? लेकिन बोर्ड में ऐसा करने के बजाय किसी को नामजद ही किया जायेगा।

विधेयक में "कृषक" की परिभाषा विचित्र ढंग से की गयी है जो कि सरकार की घोषित नीतियों के विरुद्ध ही है। अतः इस परिभाषा का संशोधन किया जाये।

इस विधेयक के कई प्रावधान उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के अहित में हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है?

मैं पुनः इस बात पर बल देना चाहता हूं कि असली उत्पादक को मार्केट क्षेत्र में आने की अनुमति दी जाये ताकि इस व्यापार से बिचौलियों को हटाया जा सके। उपभोक्ता तथा उत्पादक सहकारी समितियों को भी इस व्यापार से सम्बद्ध किया जाये।

Shri M. C. Daga (Pali) : It is not known whether the chairman of the Board will be nominated or elected? I think that neither growers nor consumers will be represented in the Board in sufficient numbers. It will neither be a democratic nor official institution. It will have only Administration Development officers and Market Officers. There is hardly any need of the Board. This institution will not be a democratic institution. No body would like to be the chairman of this Board.

According to the Bill the Board will after the approval of the Administrator delegate its powers to the chairman. It means that Government wants the Officers to dominate the eleeted representatives.

The cases of misappropriation and misconduct are detected after lapse of a period of five years or so but you have pardoned such people after expiry of two years.

Marketing Societies are meant for agricultural produce but in some cities agricultural tax is imposed on other articles such as kerosene or fodder. Agriculural tax should be imposed on those items only which are brought in the marketing yard by the farmer:

Shri Nathu Ram Ahirwar (Nagaur): This Bill which has been brought here to regulate the marketing of agricultural produce in Delhi, is welcome because it removes several lacunae in the old legislation. The scheme of things as envisaged in this Bill is quite appropriate because the constitution of a Board is very much necssary to formulate a uniform marketing policy and to bring about coordination in the work of different marketing Committees. Then, Delhi is a very big consuming centre, and different markets that have to be set up for different commodities has to be regulated. This Bill provides for regulation of these markets and for marketing of agricultural goods. Therefore, this legislation will facilitate matters for agriculturists in the neighbouring States. It will also help in obtaining a fair price to agriculturists for their produce. However, measures should be taken to see that this legislation is implemented honestly.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): I welcome the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill. This Bill is a legislation to regulate all the activities relating to purchase and distribution of agricultural produce that come to Delhi from Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. Under the present system producers as well as comsumers were the victim of exploitation by wholesalers. It is high time now that we should safeguard the interest of the consumers also while we are taking steps to protect the interest of producers. It should be the responsibility and the function of the Board to see that produce of inferior quality is not allowed to come in the market and the producer gets a remunerative price for his produce. It has not been clearly laid down in this legislation as to how prices will be requlated and how the interests of the consumers will be protected. Therefore, measures should be taken to fix reasonable price for the agricultural produce after taking into account the cost of production incurred by agriculturist. But at the same time, the interests of the consumers should not be neglected.

In Japan the entire population is being looked after by the cooperative banking system. They provide all the inputs and they purchase all the produce. They provide money to the producers to produce and they also finance the purchasers. All aspects relating to both buyers and sellers are looked after by them. In the same way, you will have to find out some sort of device by which you can protect the interests of the consumers as well as the producers. You are owning the responsibility for this by appointing this Board. So, while ensuring that all the advantages and facilities are given to the farmers, at the same time the interests of the consumers should not be neglected.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): विधेयक के खण्ड 9 के अनुसार किसानों द्वारा चुने गये 6 सदस्य होंगे परन्तु बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत होगा । इस समय हर जगह व्यक्ति मनोनीत किये जा रहे हैं । इस प्रकार के मनोनयन राजनीतिक और सत्ताधारी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन गये हैं । दुर्भाग्यवश इस प्रकार मनोनीत किये जाने के पीछे राजनीतिक कारण होते हैं । कम से कम दिल्ली में कृषि उपज विपणन समिति के सम्बन्ध में ऐसा न किया जाये ।

कृषि उपज विपणन समितियों के उद्देश्य अच्छे हैं । अतः इस विधेयक का समर्थन किया जाना चाहिए । परन्तु इन समितियों को वास्तविक और यर्थाथ बनाने के लिए तथाकथित व्यापारियों और कमीशन एजेंटों को समाप्त किया जाये । इन समितियों में कृषकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Rajdeo Singh (Jaunpur) : The Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill is a very good piece of legislation and it was long overdue. The objective of this Bill is laudable but it should not have been limited to the Union Territory of Delhi only.

It is said that the Board will be dominated by officials. For that purpose it will be better if the number of members is raised to 15, out of which six members should be the representatives of agriculturists, six should represent consumers interest and three should be the nominated members and the Chairman should be non-official. Then, this Board should be dissolved and not suspended if a *prima facie* case of corruption is estatlished against it. The marketing committees should also include representatives of retailers and consumers, so that the interests of consumers and also the marginal agriculturists can be protected. This Bill will go a long way in ensuring a fair price to producers as well as consumers and so, it deserves all support.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill deserves all support because it protects the interest of agricultural producers' as well as those of consumers'. Marketing Societies are being set up in each state to protect the interest of producers and cousumers and it is with the object of regulating the markating of agricultural produce in the Union Territory of Delhi that this Bill thas been brought here. This Bill envisages constitution of a Marketing Board and marketing committees, but traders and officials are being given a very large representation. Their representation should be reduced and the representation of producers and consumers should be increased. This Bill will also help in objtaining a fair price to agriculturists, and therefore, I support the Bill. There are very little facilities for consumers and farmers for marketing etc. This Bill will help not only the people of Delhi but it will be helpful for the farmers etc. of neighbouring states of Haryana and Punjab also. This should be made applicable to the entire country.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है । उत्पादको को अपने उत्पाद या उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए । उपभोक्ताओं को भी अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलनी चाहिएं । उत्पादकों को उचित मूल्य इस कारण नहीं मिलता क्योंकि स्थानीय मण्डियों में व्यापारी उनके साथ चालबाज़ी करते हैं । इस विधेयक से यह चालबाज़ी समाप्त हो जायेगी ।

विपणन बोर्ड और विपणन समितियां इसलिए गठित की गई हैं ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाये । उनके प्रतिनिधि इन समितियों में होंगे । दिल्ली में नरेला, नजफ़गढ और जखीरा, में तीन ऐसी ही विनियमित मण्डियां हैं । सरकार का विचार दिल्ली में नौ नई मण्डियां खोलने का है । ये मंडियां नियमित होंगी । इन मण्डियों में फल, सब्जियां, खाद्यान्न, पशु, मेवे, मसाले, अण्डे और मछलियां, ऊन और बाल, घी तथा तिलहनों का विक्रय करने का विचार है ।

मण्डियों की संख्या अधिक हो जाने के कारण, इस सभी मण्डियों के कार्यकलापों का नियंत्रण करने एवं इन पर निगरानी रखने के लिए विपणन बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक हो जायेगा।

जहां तक बोर्ड के चेयरमैन का सम्बन्ध है, दिल्ली की मण्डियों में लाई जाने वाली वस्तुएं और उत्पादन दिल्ली के उपादकों से ही नहीं लाये जायेंगे बल्कि दिल्ली के आसपास के राज्यों जैसे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से भी आयेंगे । इसलिए वास्तव में उपयुक्त चेयरमैन के चयन करने का कार्य उपराज्यपाल पर छोड़ दिया गया है जिससे सभी राज्यों को यह मान्य हो और वे चेयरमैन चुने गये व्यक्ति से सन्तुष्ट हों ।

बोर्ड और विपणन समितियों का गठन इस प्रकार किया जायेगा जिससे उत्पादकों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाये और विपणन समितियों में उनका पर्याप्त और उपयुक्त प्रतिनिधित्व हो । उदाहरणार्थ विपनण समितियों के 14 सदस्यों में 6 सदस्य कृषिक होंगे । अधिकारियों को बोर्ड में सदस्यों (मेम्बरों) की हैसियत से लेना विपणन बोर्ड और विपणन समितियों के लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि प्रस्ताविक मण्डियों को समचित रूप से चलाने के लिए बहुत प्रशासनिक कार्य करना होता है ।

एक विशेष बात अब यह होगी कि बिचौलियों को मिलने वाला लाभ अब उत्पादकों और उपभोक्ताओं को मिलेगा ।

मैं श्री नायक के इस विचार से सहमत हूं कि जापान में सहकारी क्षेत्र अत्यन्त शक्तिशाली है तथा वहां पर निर्माता तथा उत्पादक दोनों प्रसन्न हैं । मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के समाज सेवक और राजनीतिक संगठन उपभोक्ता सहकारी भण्डार के निर्माण में सहयोग देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय; विक्रय, भाण्डारकरण और प्रसंस्करण के अधिक अच्छे विनियमन तथा कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा आरम्भ करते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपने संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 3 में अधिसूचना के किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था है। मेरा सुझाव है कि अधिसूचना सहकारी अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाये।

श्री शाहनवाज खां : मेरा विवेदन है कि समाचार पत्र में प्रकाशन सरकारी गजट के अलावा होगा।

श्री मूल चन्द डागा : खण्ड 2, उपखण्ड 3 में व्यवस्था है कि इसे किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा। बाद में आपने बताया कि इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
SHRI BHAGWAT JHA AZAD IN THE CHAIR]

सभापति महोदय : क्या आपने अपने संशोधनो की वापस ले रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : जी नहीं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendmonts Nos. 1 and 2 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शाहनवाज खां : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा।

श्री मूल चन्द डागा : मैं सभा से अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन संख्या 5 में सरकार द्वारा संगठन की परिभाषा न दिये जाने का उल्लेख किया गया है । इसमें मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि किसी सस्दय अनर्हरता विशिष्ट अवधि के बाद समाप्त हो जायेगा ।

संशोधन संख्या में "निलम्बित" के स्थान पर "भंग" रखने का उद्देश्य है ।

जब पुराना बोर्ड निलम्बित हो जाता है तब नये बोर्ड की स्थापना कैसे की जा सकती है ?

सभापति महोदय : एक बार जब बोर्ड निलम्बित हो जाता है जब छः महीने में नये बोर्ड का गठन हो जाएगा ।

श्री शाहनवाज खां : जैसे ही बोर्ड के निलबिम्त होने पर नये बोर्ड के गठन का निर्णय हो जाता है तो पुराना बोर्ड स्वतः ही भंग हो जाता है । नये बोर्ड के गठन से पूर्व पुराने बोर्ड के भंग किये जाने के बारे में एक आदेश जारी किया जायेगा ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 4 से 12 वापिस लिये गये ।

The amendments No. 4 to 12 were by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 6 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 9 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 to 24 were added to the Bill.

खण्ड 25

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं ।

अवशिष्ट शक्तियां स्वतः ही बोर्ड के पास होनी चाहिएं ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर रहा ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया ।

The amendments were by leave withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ट 27 विधेयक अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 27 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 से 34 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 28 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 28 to 34 were added to the Bill.

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 35

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूं ।

"निदेशक" शब्द के स्थान पर "समिति" रखा जाये । आप एक अधिकारी को शक्ति क्यों देते हैं ।

श्री शाहनवाज खां : कार्यकारी शक्ति किसी एक व्यक्ति को देनी पड़ती है ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन पर अग्रह नहीं करता ।

संशोधन संख्या 16 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Amendment No. 16 was by leave withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 35, 36 और 37 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 35, 36 और 37 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 35, 36 and 37 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 38 और 39 से 49 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 38 और 39 से 49 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 38 and 39 to 49 were added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 50 से 55 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 50 से 55 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 50 to 55 were added to the Bill.

खण्ड 56

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 17 और 18 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय भ्रष्ट व्यक्तियों को बचाने की व्यवस्था न करें। यदि दस वर्ष पश्चात् भी भ्रष्टाचार आदि के मामले आते हैं तो दोषी व्यक्तियों को क्षमा न किया जाये ।

श्री शाहनवाज खां : ऐसी व्यवस्था करना कर्मचारियों के प्रति अन्याय होगा । क्योंकि तब तक साक्षी, रिकार्ड आदि अनुपलब्ध हो सकते हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : क्या रिकार्ड खो सकता है ?

श्री शाहनवाज खां : क्योंकि इस अवधि में वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं अतएव दीर्घ समय तक इसे वैसे नहीं रखा जा सकता ।

सभापति महोदय : कर्मचारी के सेवा में रहते अथवा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के भीतर आरोप लगाया जाना चाहिए ।

श्री मूल चन्द डागा : यदि मामलों को दो वर्ष पश्चात् समाप्त कर दिया जाये तो इसका अभिप्राय है कि लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के समय व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं की जा सकती ।

Shri R. R. Sharma (Banda): In the cases of corruption the period should be more than two years.

Shri Shahnawaz Khan: Corruption can be proved when an employee is in service.

Shri R. R. Sharma: The period of limitation may be increased in accordance with the period of sentence.

सभापति महोदय : क्या श्री डागा अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री मूल चन्द डागा : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Amendment was by leave with drawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 56 से 73 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 56 से 73 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 56 to 73 were added to the Bill.

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Schedule Clause 1, enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1973 का और सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।" जब 1953 में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम पास किया गया था तब गोआ, दमन और दीव के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी । अतः उक्त संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में इन जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण करने हेतु कोई उपबन्ध नहीं किया जा सकता था । गोआ, दमन औरदीव के सम्बन्ध में 1968 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना जारी की गई थी और उनकी जन संख्या सम्बन्धी आंकड़े जो 1971 की जनगणना पर आधारित थे अप्रैल, 1972 में अर्थात् विधान सभा के लिये गत आम चुनाओं के बाद ही उपलब्ध हुये थे । अब जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हो गये हैं । गोआ, दमन और दीव विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों को सुरक्षित करने का उपबन्ध करने हेतु यह विधेयक लाया गया है ।

1971 में की गई जनगणना के समय जनसंख्या के आधार पर परिसीमिन आयोग द्वारा गोआ, दमन और दीव में विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कार्य पूरा कर लिया गया है। अतः इस विधेयक के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या निर्धारित करने तथा विधान सभा के चुनाव क्षेत्रों की संख्या नियत करने का अधिकार या शक्ति प्राप्त है। पांडिचेरी में जनजातियों को अधिसूचित नहीं किया गया है। अतः विधेयक में इस उपधारा की पुनरीक्षित व्याख्या प्रस्तावित करते समय धारा 3(4) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्र प्रसशासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये "

***श्री एम० कतामुतु** (नागापटिटनम): संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव 1961 में स्वतन्त्र हुआ था। अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र होने के कारण जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का पता लगाने के लिये विशेष जनगणना की जा सकती थी। यदि यह किया गया होता तो 1967 के आम चुनावों के दौरान संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों को सुरक्षित किया जा सकता था और ये पिछड़े लोग 1967 में ही विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेज देते। यह असाधारण विलम्ब नहीं होता यदि बहुत पहले ही उचित कदम उठाये जाते। अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भी यहां समीचीन होगा। यहां विधान सभा न होने पर भी अनेक समितियां हैं। उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल से अनेक लोग वहां चले गये हैं और बस गये हैं। यद्यपि इन लोगों को अपने राज्यों में यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त था लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह में उन्हें ठोस कदम उठाये जाने चाहियें तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए पहले से ही सम्भव कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : पांडिचेरी तथा गोआ, दमन और दीव की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वहां के विधान मंडलों में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह इसलिये है कि केन्द्र में कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। उन्हें यह अधिकार दिये जाने के बाद भी मुझे सन्देह है कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा भी या नहीं।

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कुछ विचित्र सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या अत्यन्त अधिक है, उन्हें इस तरह से बांटा या अलग किया गया है कि मतदानों की गिनती में सवर्ण लोगों का पलड़ा भारी रहे। यदि सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके अधिकार और उनके लिये सुरक्षित स्थान उन्हें देने के लिये वास्तव में गम्भीर है तो उसे यह देखना चाहिये कि उनका एक व्यक्ति अवश्य चुना जाये और उन्हें इस तरह से टुकड़ों में नहीं बांटा जाये कि सवर्ण लोगों के बहुमत से एक अनुसूचित जाति का सदस्य चुना जाये।

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।**
Summarised translated version based on the speech delivered in Tamil.

Sardar Swarn Singh Sokhi (Jamshed pur): Though this bill is small, it is an important Bill as it concerns the scheduled castes and scheduled tribes. In this Bill, the Government has, on the one hand have given rights to the people, I mean scheduled castes and scheduled tribes people, on the other hand they have deprived certain people of their rights.

I want that government should reduce the number of union territories. Chandigarh should be merged with haryana or Punjab..

Whatever action the governmet takes it should ensure that injustice is not done to any party with these words I support this Bill.

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : सभी सदस्य जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिये पृथक् मतदान के विरुद्ध मरण व्रत रखा था । हम केवल निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण करते हैं परन्तु मतदान में सभी व्यक्ति, किसी को भी मत देने में स्वतन्त्र हैं ।

संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 में अधिनियमित हुआ था । गोआ, दमन और दीव की अनुसूचित जातियों की अधिसूचना 1968 में प्रकाशित हुई थी तथा जनगणना 1971 में हुई थी । एक प्रावधान किया गया था कि यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते तो उन्हें नामांकित किया जाये । मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 और 3

सभापति महोदय : हम अब खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड 2 और 3 के लिये कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

CLAUSE 1 THE ENACTING FORMULA AND THE TITLE WERE ADDED TO THE BILL.

श्री ओम मेहता : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को लेते हैं। डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैयद मुहम्मद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमन अधिनियम, 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।

महोदय, आप को ज्ञात ही है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था । इस संयुक्त समिति ने कुछ संशोधन सुझाये हैं ।

मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु न्यायिक सुधारों की मांग निरन्तर की जाती रही है । विधि आयोग ने अपने 14वें प्रतिवेदन में इस विषय पर विचार किया था । लेकिन आयोग ने कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी । परन्तु अपने 27वें प्रतिवेदन में विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन सम्बन्धी सिफारिशें की हैं । उन्हीं के आधार पर विधेयक को पुरःस्थापित किया गया और संयुक्त समिति को सौंपा गया । अपने 54वें प्रतिवेदन में भी विधि आयोग ने व्यापक रूप से बिचार कर सिफारिशें की थीं । वर्तमान विधेयक में उन्हीं सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर ध्यान दिया गया है ।

समिति ने न्यायालय शुल्क फीस कम करने और भारत भर में उसने एकरूपता लाने का सुझाव दिया है । लकिन चूंकि यह राज्य का विषय । अतः हमने इस बारे में किसी उपबंध को विधेयक में शामिल नहीं किया है । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि यदि किसी राज्य सरकार को कोर्ट फीस के रूप में आमदनी अधिक होती है और सिविल न्याय प्रशासन पर व्यय कम होता है तो अतिरिक्त आमदनी का प्रयोग मुकदमों में फंसी जनता को राहत देने के लिए किया जाये ।

मुकदमों के निपटान में होने वाले विलम्ब को यथा सम्भव समाप्त करने का उपबंध विधेयक में किया गया है।

संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों ने यह जरूरत अनुभव की कि विचारण पूर्व सुलह कार्यवाही या विचारण पूर्व सम्मेलन होने चाहियें। कुछ अन्य देशों में भी ऐसी व्यवस्था है।

सभा में विधेयक जिस रूप में पुर:स्थापित किया गया है, उसमें धारा 80, 115 तथा 13 को हटाने का प्रस्ताव है। मामले पर गहराई से विचार करने के बाद समिति ने सुझाव दिया कि इन धाराओं को संहिता में रहने दिया जाये किन्तु धारा 80 तथा 115 को इस तरह से संशोधित किया जाये जिससे सही पक्ष को न्याय मिल सके।

मुकदमों में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के विचार से निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में संहिता के उपबंधों में संशोधन करके उन्हें ठीक किया गया है :

(एक) प्रतिवादियों के लिए सम्मन सेवा (दो) प्रतिवादियों द्वारा उपस्थित होना और लिखित विवरणिकाएं भरना (तीन) पक्षों की जांच (चार) पक्षों द्वारा दस्तावेजों को भरना (पांच) साक्षियों के लिए सम्मन भेजना तथा उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना (छ:) आयोग सम्बन्धी साक्षियों की जांच (सात) स्थगन तथा (आठ) अस्थायी निषेधादेश।

इसके अतिरिक्त जिन मुकदमों को न्यायालय बिना सुनवाई के निपटा सकते हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है।

मुकदमों के स्थगित किये जाने को रोकने के विचार से विधेयक में एक ऐसा विशेष उपबंध किया गया है कि यदि उचित तिथि को कार्यवाही नहीं की जाती है या यदि पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई स्थगित की जाती है तो दोषी पक्ष को प्रतिपूर्ति लागत भरनी पड़ेगी। समिति के सदस्यों ने महसूस किया कि निर्णय देने में असाधारण विलम्ब किया जाता है। यह भी अनुभव किया गया कि इसके लिए समय-सीमा निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि भिन्न-भिन्न मामले में निर्णय तैयार करने तथा निर्णय देने में कम या अधिक समय लग सकता है। यह मामले की जटिलता पर निर्भर करता है। अत: समिति ने सिफारिश की है कि यदि सुनवाई के तत्काल पश्चात् निर्णय नहीं दिया जाता तो यह सुनवाई समाप्त होने की तिथि से 15 दिनों के पश्चात् तक दे दिया जाना चाहिए या यदि तब तक निर्णय तैयार नहीं होता तो सुनवाई समाप्त होने की तिथि के पश्चात् 30 दिन के भीतर तक निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए।

आशा है कि यदि इन उपबंधों को अधिनियमित करने के पश्चात् निर्णयों में होने वाला विलम्ब काफी हद तक समाप्त हो जायेगा। विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से अपील करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और परिसीमन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं चाहता हूं कि मंत्री जी के इस वक्तव्य से सहमति व्यक्त कर सकता अर्थात् इस विधेयक से न्याय मिलने में होने वाले विलम्ब को समाप्त किया जायेगा और मामलों का शीघ्र निपटान हो सकेगा। लेकिन प्रक्रिया की विधि में परिवर्तन कर देने मात्र से हम समुचित ढंग से जनता को न्याय नहीं दिला सकते। प्रक्रिया विधि में जो कुछ किया गया है, उसका उद्देश्य उपबंधों में यत्र तत्र कुछ परिवर्तन करना है। ढांचे सम्बन्धी परिवर्तन करने के लिए वास्तविक दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। जहां तक प्रक्रियात्मक न्याय का सम्बन्ध है, कुछ परिवर्तन कर देने मात्र से हम मूल समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते।

न्याय में विलम्ब केवल विधि प्रक्रिया के कारण ही नहीं होता। वैसे यह एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य है। किन्तु हमारी न्यायपालिका का कार्य भी उचित होना चाहिए। इसके बाद न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या और उनकी उपलब्ध सुविधाओं का प्रश्न सामने आता है। अधीनस्थ न्यायाधीशों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनके पास रिकार्ड रखने के लिए भी स्थान नहीं है। अधीनस्थ न्यायाधीशों को पर्याप्त कर्मचारी तथा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहियें।

एक स्थायी शिकायत यह की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की जाती। मंत्री जी कह सकते हैं कि यह राज्य का विषय है परन्तु वह कम से कम यह तो बताएं कि ऐसे न्यायालयों में कुल कितने रिक्त स्थान हैं।

पहले हमें सूचित किया गया था कि उच्च न्यायालयों में 65 स्थान रिक्त हैं। यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु में सेवा-निवृत्त होना है तो उसके स्थान पर न्यायाधीश नियुक्त करने का कार्य पहले ही आरम्भ हो जाना चाहिए। जिससे उत्तराधिकारी नियुक्त करने में एक दिन का भी विलम्ब न हो। यदि अच्छे लोग उपलब्ध नहीं होंगे तो सरकार न्यायपालिका के प्रशासन को ठीक ढंग से कैसे चला सकती हैं। इन सब बातों पर व्यावहारिक ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

मुकदमे या समझौता करने की विधि के प्रति मूल दृष्टिकोण में परिवर्तन किये बिना हम समस्या को हल नहीं कर सकते। इस विधेयक के उपबंधों से देश की विधिक प्रक्रिया या न्यायिक प्रशासन में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता। न्यायालयों में मामलों पर निर्णय देने में होने वाला विलम्ब इस ढंग से दूर नहीं किया जा सकता। इसमें होने वाला विलम्ब कई बार जान-बूझ कर नहीं किया जाता। यह विलम्ब तो न्याय प्रशासन की प्रक्रिया में है। यह प्रक्रिया देश में वर्षों से चल रही है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इसके ढांचे में पूर्णरूपेण परिवर्तन किया जाये। समग्र परिवर्तन ही न्याय प्राप्ति में होने वाले विलम्ब को रोक सकता है।

सरकार जनसाधारण को तत्काल तथा कम लागत पर न्याय देने में असफल रही है। इतनी संख्या में राज्यों में विधान लागू किये जा रहे हैं। केन्द्र में भी संसद् द्वारा इतने अधिक कानून बनाये जाते हैं। लेकिन न्याय मिलने में विलम्ब से उनका उचित लाभ नहीं उठाया जा सकता।

यह विधेयक पूर्ण नहीं है। इससे कुछ विशेष अन्तर नहीं हो सकता।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न्याय में विलम्ब होने के कारणों को समाप्त करना होगा। हमें ग्राम पंचायतों से लेकर ऊपर तक के न्यायालयों की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तन करने चाहियें। माननीय मंत्री ने कहा है कि इस संशोधन विधेयक से न्यायिक प्रशासन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो

जायेंगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं होता प्रतीत होता। हमें न्यायाधीशों या वकीलों या अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मैं तो सरकार को इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार मानता हूं। क्या केन्द्रीय सरकार इस विषय पर राज्यों से सलाह मश्विरा करती है? क्या सरकार मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करती है? सरकार को सस्ते और शीघ्र न्याय के लिये आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए।

आज वाणिज्यिक, व्यापारिक आदि कार्यों को अधिक शीघ्रता से किये जाने पर जोर है। यहां तक कि नागरिकों के विरुद्ध भी बहुत से अनुचित कार्य होते हैं। अब समय है कि आपात स्थिति का लाभ उठाकर न्यायालय के शुल्क में कमी की जाये। मंत्री महोदय हमें बतायें कि धारा 80 को वर्तमान रूप में रखकर किस तरह तत्काल न्याय की आशा की जा सकती है?

कानूनी सहायता उपलब्ध करने के बारे में अनेक समितियां नियुक्त हुई हैं। परन्तु उनकी सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। निम्न वर्ग के लोगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? सरकार अनेक कार्यक्रमों की बातें करती है। यह कहना गलत है कि देश के गरीब लोगों को न्याय दिलाया जा रहा है। सरकार अति निर्धन लोगों को कमजोर वर्ग कहकर उनका मजाक उड़ा रही है। कुछ दिन पहले एक समाचार था कि न्यायमूर्ति भगवती की अध्यक्षता में एक और समिति गठित कर दी गई है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में समितियां नियुक्त की जाती रहेंगी और वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]
Shri Vasant Sathe in the Chair

यह उपबन्ध किया गया है कि दूसरी बार अपील करने का अधिकार छीन लिया जायेगा। यदि केवल एक न्यायाधीश किसी संवैधानिक महत्व के मामले या किसी विधि के प्रश्न पर निर्णय देता है, जिस पर पहले कोई निर्णय नहीं किया गया है, तो उसे अन्तिम मान लिया जायेगा और उस सम्बन्ध में आगे कोई अपील नहीं हो सकेगी। जहां तक धारा 100 का सम्बन्ध है, यह उस डिग्री के विरुद्ध है जिसमें पर्याप्त रूप से विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो। इस सम्बन्ध में कई आधार निर्धारित किये गये हैं और समझ में नहीं आता कि इसे वास्तविक रूप में कैसे लागू किया जायेगा।

पृष्ठ 39 पर कहा गया है कि यदि किसी वकील के बीमार पड़ने के आधार पर स्थगन मांगा गया है तो न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं करेगा जब कि इस बात से संतुष्ट न हो जाये कि वह पार्टी समय पर दूसरा वकील करने की स्थिति में नहीं थी। इसमें बहुत सी कठिनाइयां पेश आयेंगी। अधिक अच्छा यह होगा कि यह बात न्यायाधीश पर ही छोड़ दिया जाये। इस उपबन्ध द्वारा इस तरह का संकेत दिया जा रहा है कि मामलों में विलम्ब करने के लिये वकील जिम्मेदार होते हैं और जबकि सरकार इस पर बहुत चिंतित है।

मंत्री महोदय कानूनी सहायता के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट करें।

Shri M. C. Daga (Pali): Sir, I was a member of a Committee which considered this Bill. Our aim was to make a justice available quickly and cheaply. Adjournment of cases in generally sought by big lawyers as they take in hand a large number cases. They cannot attend to all cases and seek adjournment that is why it has been provided that adjournment will not be granted unless a convincing reason exists.

विधि आयोग ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में कहा में कि धारा 80 उस समय अधिनियमित की गई थी जब भारत पराधीन था। अब यह एक स्वतन्त्र देश है। इसमें सब का बराबर दर्जा है। इसमें किसी के विशेष अधिकार नहीं होने चाहियें। एक कल्याणकारी राज्य में राज्य और व्यक्ति में अन्तर नहीं होना चाहिए।

विधि आयोग ने अपनी 54वीं रिपोर्ट में धारा 80 को समाप्त करने की सिफारिश की थी।

We want that section 80 should be deleted. I hope the hon. Minister will accede to our request. In a welfare state there should be no question of giving any notice. The Law Commission had recommended in their 27th report that the court fee should be abolished for proper administration of justice. Later on they recommended reduction in the court fee which had become too heavy. The Law Commission had stated that there should be a uniform law for the entire country in this regard. At present people have to pay thousands of rupees as court fee. Then, the lawyers are also charging very high fee from their clients. A poor man cannot get cheap justice in these circumstances.

We donot have good judges, because they are not paid good salaries. The Law Commission has stated in one of its report " A law of procedure however perfect, will fail in its purpose unless the men who administer it are men of ability and are imbued with missionary zeal for doing justice and unless they receive in this task the cooperation of the members of the Bar."

The conditions in courts are very bad. There are few books, and no place for the lawyers to sit. Government should pay attention to these problems.

In cases relating to family matters, there should be some kind of a pretrial conference in which the judge should call both the parties and try to bring a rapprochement between them.

Thus the first hearing in some cases takes many months. So, for avoiding such lingering of cases, on the very first day there should be pretrial-conference. It will be better if this conference is held without the assistance of lawyers. This sort of arrangement has also been recommended by the Law Commission . In the case of a land dispute the judge should visit the site. In this way cases could be decided expeditiously.

The Government is propos ing to retain section 80 in the code. I suggest that this clause should be omitted. I also feel that a welfare state should have no privileges in the matter of litigation as against a citizen.

It has also been stated that only after the passage of this legislation, it will be possible to render cheap and speedy justice to the masses. But as the Law Commission has suggested, the rate of Court fees should be reduced. Only the implementation of this suggestion will provide some relief to the Common man for whom justice is very costly now-a days.

My other submission is that we need very impartial judiciary. The judges should administer justice in an impartial manner. Unless our judges are inbued with a missionary zeal for rendering justice the purpose will not be achieved. I suggest that better salaries and attractive working conditions should be provided for our judges and magistrates, otherwise efficient and able persons will not come forward to join this service. At the same time I may submit that pre-trial conferences will result in expeditious and inexpensive justice. Due consideration should be given to this suggestion also.

The inclusion of a provision for day-to-day hearing in the present code is something very good. It is also equally good that the provisions pertaining to preliminary and final decrees has been modified to abolish that distinctions. The amendment of section 11 in relation to *res judicata* will help in disposal of thousands of pending cases, because even the executive Court's decision would now be considered as final.

It is a welcome measure that there is a provision that ladies can tender their statements in camera.

Shri R. R. Sharma (Banda): It has been rightly stated by my friend Shri Daga that this Bill will help a lot in providing speedy and cheaps justice to the poor section of society. The Members of the Select Committee alongwith its chairman deserve congratulations for the commendable job which they have done for the preparation of this measure. But still there are certain reasons because of which this bill falls short of our expectations.

Our present Civil Proccedure Code is a mess of a number of sections and subsections and orders and rules which have been issued from time to time. It is hoped that this hotch potch will be cleared by re-organising the relevant material into different sections and sub-sections. But it has not been done so far. It should be looked into by the Government.

A provision has been made in the Bill to discourage adjournment of cases. It is a very common practice to get adjournments through false and frivolous means. This will not be allowed now. It will enable the aggrieved party to get speedy justice.

It has also been provided in the Bill that appeal in High Court can now be made only on a point of law. In our country, where people are too poor even to pay bus fare to reach court, it will not be possible for them to file appeal in higher courts on a point of law. So my submission is that this provision may be reconsidered.

Regarding section 80 it has been stated by Shri Daga that....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा। अब सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 अगस्त, 1976/21 श्रावण, 1898 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, the 12th August, 1976/Sravana 21, 1898 (Saka)

म० प्र० भा० स० मु० न० दि० एल० एस०-3--1533 एल० एस०--9-9-76-200

GMGIPND—LS III—1533 LS—9-9-76 —200.